तृतीय माला, खंड 52, अंक 21 बुधवार, 16मार्च, 1966/25 फाल्गुन, 1887 (शक)
Third Series, Vol. LII, No. 21 Wednesday, March 16, 1966/Phalguna 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक —30 मंगलवार, 29 मार्च, 1966/ 8 चैत्र, 1888 (शक)

No. 30 —*Tuesday, March* 29, 1966/*Chaitra* 8, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
832	आपातकाल अनाज वितरण योजना	Emergency Food Distribution Scheme	5737–40
833	खेती के काम में संयुक्त रूप से पूंजी लगाने की प्रणाली	Joint Stock Capitalism in Farming	5740–43
835	दिल्ली दुग्ध योजना के घी की बिक्री	Selling of DMS Ghee . .	5743–46
836	भारत को खाद्यान्न सहायता सार्थ संघ	Air India Consortium in Food grains	5746–47
837	भूमि हीन खेतिहर मजदूर	Landless Agricultural Labourers .	5748–50
838	गन्ने की पिराई	Crushing of Sugarcane . .	5751–53
839	गहन कृषि विकास कार्यक्रम	Intensive Agricultural Development Programme . . .	5753–55

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
14	विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम	Pay Scales of University Teachers	5755–60

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
834	राज्यों में सूखे की स्थिति	Drought conditions in States .	5760
840	नदी बाष्प-नौचालन (स्टीम नैवीगेशन) कम्पनियां	River Steam Navigation Companies	5761
841	राजस्थान सरकार द्वारा फसल उगाही योजना को समाप्त किया जाना	Withdrawal of Crop levy Scheme by Rajasthan Government .	5761
842	सस्ती दरों पर अनाज बेचने के लिए स्टोर	Stores for selling Foodgrains at Cheep Rates . . .	5761–62
843	बौछारी सिंचाई (स्प्रे इरीगेशन) तरीके	Spray Irrigation Methods . .	5762

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
844	मोंट ब्लांक पर एयर इंडिया विमान की दुर्घटना	Crash of Air India Plane on Mont Blanc	5762
845	खाद्य क्षेत्र	Food Zones	5763
846	अन्तर्राज्य सड़कें	Inter-State Roads . . .	5763
847	पालम हवाई अड्डे पर प्राथमिक उपचार की सुविधायें	First-Aid Facilities at Palam Airport	5763–64
849	उत्तर प्रदेश में खांडसरी उद्योग	Khandsari Sugar Industry in U.P.	5764
850	आगरा डिपो में खाद्यान्नों को लादने तथा उतराने पर व्यय	Expenditure on Loading and Unloading of Foodgrains at Agra Depot	5764–65
851	बम्बई में सरकारी परिसमापक (लिक्विडेटर)	Official Liquidator at Bombay .	5765
852	एयर इण्डिया के विमानों की उडानों केदौरान लेन देन में रुपये में भुगतान स्वीकार न करना	Non-acceptance of rupee payment for Transactions on Board the Air India Flights . .	5765–66
853	राज्योंमें सुखे की स्थिति सम्बन्धी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन	Report of Secretaries Committee on Drought Conditions in States	5766
854	खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Foodgrains .	5766
855	खाद्यान्नों की बरबादी	Wastage of Foodgrains .	5767
856	आयात किये गये गेहूं का कोटा	Quota of Imported Wheat . .	5767
857	गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के बीज फार्म	Large scale seed Farms in Private Sector	5767–68
858	विमान दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच	Judicial Enquiry into Air Accidents	5768–69
859	पर्यटक निगमों का विलय	Merger of Tourist Corporations .	5769
860	अनाज संग्रह व्यवस्था	Foodgrains storage system . .	5769–70
861	कृषि उत्पादन बोर्ड	Agricultural Production Board .	5770

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
2931	मछली उद्योग सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Report of Soviet Experts on Fishing	5770–71
2932	केरल में टेपिओका के खाये जाने वाले आटे कोतैयार करना	Manufacture of Tapioca Edible Flour in Kerala . . .	5771
2933	महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Foodgrains to Maharashtra	5771
2934	अमरीका से गेहूं का आयात	Import of Wheat from U.S.A. .	5772
2935	भारत और बेल्जियम के बीच विमान सेवा	Indo-Belgium Air Service . .	5772
2936	वस्तु समितियां	Commodity Committees . .	5773

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2937	केन्द्रीय शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) सम्बन्धी सलाहकार समिति	Central Cold Storage Advisory Committee	5773–74
2938	राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Foodgrains in Rationed Areas	5774
2939	धान का समाहार	Paddy Procurement . . .	5774
2940	टेपिओका का दाम	Price of Tapioca . . .	5774–75
2941	ट्रैक्टर-ठेले (ट्रॉली)	Tractor Trolleys . . .	5775
2942	मध्य प्रदेश को चीनी का संभरण	Supply of Sugar to Madhya Pradesh	5775
2943	स्कूटर रिक्शा का भाड़ा	Scooter Rickshaw Fares . .	5775–76
2945	ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors . .	5776–77
2946	कलकत्ता में हैलीपेड योजना	Halipad Scheme at Calcutta .	5777
2947	अहमदाबाद में खाद्य पोलीटैकनीक	Food Polytechnic at Ahmedabad.	5777
2948	एयर इंडिया को होने वाले लाभ	Profits earned by Air India . .	5778
2949	भारत पाकिस्तान संघर्ष में असैनिक उड़ानों में कमी	Cut in Civil Flights during Indo-Pak. Conflict. . . .	5778–79
2950	विवाह तथा तलाक के मामले	Marriage and Divorce Cases .	5779
2951	उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता	Assistance to U. P. Government .	5779–80
2952	गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग को अमरीका से वित्तीय सहायता	U.S. Financial Assistance to Botanical Department of Gorakhpur University . . .	5780
2954	सामुदायिक विकास योजनाओं सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Community Development Schemes . .	5780–81
2955	सहकारी संस्थायें	Cooperative Institutions . .	5781
2956	उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन	Cooperative Movement in Orissa.	5781
2957	उड़ीसा मे गन्ने कीखेती काविकास	Development of Sugarcane Cultivation in Orissa . . .	5781–82
2958	कृषि विशेषज्ञ	Agricultural Exports . . .	5782
2959	सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता	Assistance to Drought Affected Areas	5782
2960	फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता	Aid from Ford Foundation. .	5783
2961	केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध चलाये गये दीवानी मुकदमें	Civil cases filed Against Central Government	5783
2962	एयर इंडिया को होने वाला लाभ	Profits of Air India . . .	5783
2963	पार्श्ववर्ती सड़क (लैठरल रोड) पर कोसी नदी पर पुल	Bridge Across Kosi River on Lateral Road	5784
2964	बनों का उजाड़ा जाना	Destruction of forests . . .	5784
2965	भूकम्प	Earth Tremors	5784–85
2966	भूमि पर उर्वरकों का प्रभाव	Effect of Fertilizers on Soil . .	5785–86

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2967	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात	Imports under PL-480 . .	5786
2968	कपास	Cotton	5787
2969	खाद्य नीति	Food Policy	5787
2971	महाराष्ट्र को उर्वरक का संभरण	Fertilizer supply to Maharashtra .	5788
2972	महाराष्ट्र में सामुदायिक विकास खण्ड	C.D.Blocks in Maharashtra. .	5788
2973	गुजरात में जहाज बनाने का कारखाना	Ship building Yard in Gujarat.	5789
2974	आलू बीज का संभरण	Supply of Potato Seeds . .	5789
2975	नई दिल्ली में एक कंपनी द्वारा सावधि निक्षेपों (फिक्सड डिपाजिट्स) का स्वीकार किया जाना	Fixed Deposits Accepted by a Company in New Delhi. .	5790
2976	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	5790–91
2977	मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Foodgrains to Mysore .	5791
2978	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep sea Fishing . . .	5791
2979	खेती वाली भूमि	Cultivated Land . . .	5791–92
2980	अधिनियमों तथा नियमों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Acts and Rules	5792
2981	संसद् सदस्यों का उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली	M.Ps. Consumer Co-operative Stores, New Delhi . . .	5792
2982	चावल तथा चावल से बने पदार्थों के परोसे जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Serving Rice and Rice Products	5792–93
2983	खाद्य तेलों, तिलहनों तथा वनस्पति घी के मूल्य	Prices of Edible Oils, Oil Seeds and Vanaspati Ghee . .	5793
2984	दुग्ध केन्द्रों के डिपो मैनेजर	Depot Managers of Milk Booths.	5793–94
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	5794
	राजस्थान, पंजाब, तथा जम्मू और काश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना के जमाव के समाचार	Reported Concentration of Pakistani troops on Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir Borders	5794–96
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	5796
	राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	5797
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	तिरासिवां प्रतिवेदन	Eighty-third Report . .	5797

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
छियालीसवां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report . .	5797
सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
बाइसवां प्रतिवेदन	Twenty-second Report . .	5797
पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति के बारे में वक्तव्य—श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Statement re: Food Situation in West Bengal-Shri C. Subramaniam	5797
अनुदानों की मांगें,1966–67—	Demands for Grants, 1966-67—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence—	
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh .	5798–99
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	5799–5800
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	5800–01
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . . .	5809–11
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee .	5811–13
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan . .	5813–14
श्री बृजराज सिंह—कोटा	Shri Brij Raj Singh—Kotah.	5814–16
श्री हुकमचन्द कछवाय	ShriHukam Chand Kachhavaiya	5816–17
श्री मानवेन्द्र शाह	Shri Manabendra Shah .	5817–18
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . .	5818–19
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	5819–20
श्री गोपाल दत्त मेंगी	Shri Gopal Datt Mengi .	5820
श्री अ० म० थामस	Shri A. M. Thomas . .	5820–22
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	5822–23
श्री कर्णी सिंहजी	Shri Karni Singhji . .	5823–24
श्री रा० गि० दुबे	Shri R. G. Dubey .	5825
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	5825

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 मार्च, 1966/8 चैत्र, 1888 (शक)
Tuesday, March 29, 1966/Chaitra 8, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आपातकाल अनाज वितरण योजना

+

*832. **हेम राज :**
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार**मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल अनाज वितरण योजना को अन्तिम रूप देदिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): ऐसी कोई योजना जिसमे आपातकाल अनाज वितरण योजनाकहा जाए तैयार नही की गयी है। लेकिन यह कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि जो राज्य गत वर्ष असाधारण सूखा पड़ने से कठिनाई का सामना कर रहे हैं उन्हें खाद्य सप्लाई तथा वितरण सुनिश्चित किया जाए। की गयी कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(1) प्रभावित राज्यों को गेहूं तथा माइलो के आवंटन में पर्याप्तवृद्धि कर दी गयी है।

(2) राज्यों को गेहूं/माइलो के सामान्य मासिक आवंटनों के अलावा, राहत सम्बन्धी कार्य पर लगे व्यक्तियों को प्रति मास 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न देने के लिए अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया जा रहा है।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में बूढ़े तथा निर्बल व्यक्तियों को मुफ्त राहत देने के लिये प्रत्येक राज्य को एक हजार मीटरी टन गेहूं नियत किया गया है। आवश्यकताओं के में पता बारे लगने पर और मात्रा नियत की जाएगी।

(4) प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को सप्लाई करने के लिये राज्यों को दुग्ध चूर्ण दिया जा रहा है।

श्री हेम राज : जहां तक आयातित गेहूं का सम्बन्ध है, वह तूट से दूर राज्यो को सप्लाई किया जाता है और देसी गेहूं तटवर्ती क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस से उसके पहुंचने में हमेशा देरी हो जाती है। यदि आयातित गेहूं तटवर्ती राज्यों को सप्लाई किया जाये तो इससे क्या देरी कम नहीं हो जायेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : वितरण प्राय: आयातित गेहूं का किया जाता है और नियतन करने के मामले में इन सब बातों का ध्यान में रख जाता है।

श्री हेम राज : इस बात के बावजूद भी जब कि सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है, मैं यह जान सकता हूं कि अनाज की कमी के कारण बहुत से राज्यों में अब भी यह उथल-पुथल क्यों हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं नहीं समझता कि यह कहना ठीक है कि बहुत से राज्यों में उथल-पुथल है, परन्तु कुछ कमी अवश्य है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां अकाल अथवा सूखा है या अनाज की मांग की जा रही है तथा उन्हें अनाज देने के लिये क्या कायवाही की जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : सूखे से महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे जिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन राज्य ों के ऐसे जिलों में अकाल सहायता कार्य आरम्भ किये गये हैं।

श्री विश्वनाथ राय : पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे अभाव वाले क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा को ध्यान में रखते हुए क्या उचित मूल्य की दुकानें, जो पहले थीं और अब बन्द कर दी गई हैं फिर से खोलने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : राज्य सरकारें, यदि आवश्यक समझें, तो उचित मूल्य की दुकानें खोल सकती हैं।

Shri Vishram Prasad : As the hon. Minister has said, milk powder was allotted to the States for supply to children during emergency. I want to know the quantity of milk powder supplied and the names of the States to whom it was supplied? Is the hon. Minister also aware that this milk powder is not distributed amongst children and the teachers take it collectively ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : ऐसा जाहिर होता है कि माननीय सदस्य उस स्कूल वितरण का उल्लेख कर रहे ह ैं ज ो हमने पहले संगठित किया था। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि माननीय सदस्य अध्यापकों के विरुद्ध इस प्रकार खुलमखुल्ला अक्षेप कर रहे है। इसे खोलने की हैसीयत से मैं माननीय सदस्यों से यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है इस में कुछ एक त्रुटियां हो सकती हैं।

Shri Vishram Prasad : I wanted to know the quantity of milk supplied and the States to which it was supplied. He has not given an answer to that end.

Mr. Speaker : He wants to know in which States it was distributed and how much.

श्री गोविन्द मेनन : मेरे द्वारा पहले बताये गये राज्यों के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में दूध का पा उडर दिया जाता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : कितनी मात्रा में ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम मात्रा अभी नहीं बता सकते हैं।

श्री बसप्पा : माननीय मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि मैसूर के कुछ भागों में सूखे की स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैसूर राज्य के कितने क्षेत्र में सूखे की स्थिति है तथा उन भागों को कितना अतिरिक्त अनाज दिया गया है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैसूर राज्य में विशेषकर बिदर, चित्तलदुर्ग, हसन, कोलार और तामकुर जिलों में लगभग 1800 गांव हैं जहां बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जिन्हें सहायता व्यवस्था में विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

श्री बसप्पा : मासिक कोटे के अतिरिक्त कितनी अतिरिक्त मात्रा दी गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसे पहले बताया गया है, इन राहत सम्बन्धी कार्यों पर लगे व्यक्तियों को हम प्रति मास 10 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न देते हैं। अब तक विभिन्न परियोजनाओं में 9760 श्रमिक नियुक्त किये गये हैं और हम उन्हें 10 किलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्न देते हैं।

डॉ० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल तथा बिहार जैसे कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति तो नहीं है परन्तु अनाज की कमी है। उन्हें अनाज देने के लिये आपातकालीन योजना क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसे आपातकालीन कार्यक्रम नहीं कहूंगा। यह राज्यों की कमी को पुरा करने का सामान्य कार्यक्रम है। जहां तक बंगाल सरकार तथा उसे पहले दी जा रही मात्रा का सम्बन्ध है, उस के बारे में मैं प्रश्न काल के बाद एक वक्तव्य दूंगा।

डॉ० रानेन सेन : मैंने बिहार के बारे में भी पूछा था। वहां भी अनाज की कमी है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, अधिकांशतः उन्हें अपने आप व्यवस्था करनी होती है परन्तु फिर भी हम उन्हें प्रत्येक मास लगभग 30,000 से 40,000 टन आयातित गेहूं दे रहे हैं।

श्री क० ना० तिवारी : अभाव वाले राज्यों को कितना कोटा नियत किया गया था तथा आयातित गेहूं कितना दिया गया था।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि हम सब राज्यों को मिलाकर देखें तो हम ने मार्च में 888,000 मीटरी टन आयातित गेहूं और 130,000 मीटरी टन माइलो नियत किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को पता है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अभाव की स्थिति अथवा अकाल की स्थिति विद्यमान है तथा कमी की स्थिति के बारे में सरकार की मंशा को बताने के लिये राजस्थान का बन्द है और यदि हाँ, तो राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, हमने उनकी संपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है तथा उनके साथ बातचित करके ही हमने मार्च के लिये 46,000 मीटरी टन गेहूं और 5,000 मीटरी टन माइलो नियत किया था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 833।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या 857 भी इस प्रश्न के साथ ले लिया जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: वह प्रश्न भिन्न है। वह बीज फार्मों के बारे में है।

श्री स० मो० बनर्जी: उनमें क्या अन्तर है। दोनों का सम्बन्ध बिजली से है।

खेती के काम मे संयुक्तरूप सेपूंजी लगाने की प्रणाली

+

*833. **श्री मधु लिमये** :
श्री किशन पटनायक :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खती के काममें संयुक्त रूप से पूंजी लगाने की प्रणाली लागू करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदिहां, तो आगामी पांच वर्षों में इन संयुक्त स्कन्ध समवायों को सरकार कितनी एकड़ भूमि अर्जित करने देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री(श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : इस मामले पर विचार किया गया था, परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं समझा गया।

Shri Madhu Limaye : I want to know that if it is not the intention of Government to introduce capitalism in farming then the land which has been given by Punjab Government to Birla's institution in Punjab.....

Shri Bhagwat Jha Azad : One thousand acres.

Shri Madhu Limaye : Everbody knows it. May I know whether Central Government will issue instructions to Punjab Government to reconsider this decision and either Government farm should be set up on that land or farm on cooperative basis?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): इस पर विचार करना पंजाब सरकार का काम है।

Mr. Speaker : That is not a Joint Stock Company. This question is regarding Joint Stock Companies.

Shri Madhu Limaye: But to whom the land has been given. This question is connected in this way as to whether capitalism will be introduced in farming or not?

Mr. Speaker : This question is regarding joint stock capitalism.

Shri Madhu Limaye : This land has been given to a Birla's company, Birla's institution.

Mr. Speaker : This question is not in regard to individuals.

Shri Madhu Limaye : Birlas have monopoly in industrial field. They are the biggest industrialists.

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त रूप से पूंजी लगाया जाना न कि किसी व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाया जाना ।

डॉ० रानेन सेन : हाउस आफ बिड़ला सर्वत्र है, प्रत्येक स्थान में तथा संपूर्ण क्षमता में . . .

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that the land has been given by the Punjab Government. We are not involved in that.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Government have given any advice to the Punjab Government keeping in view their policy decision.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्या मैं भी सुझाव दे सकता हूं कि इस का सम्बन्ध संयुक्त स्कन्ध समवायों से है तथा जिसने इसे लिया है वह संयुक्त स्कन्ध समवाय नहीं था, वहएक न्यास था ।

Shri Madhu Limaye : It is a nominal trust. Anyway, my second question is whether to give this farm to Birla's institution is this that the resolution regarding joint farming at Nagpur has proved abortive, the Congress Party has no faith in it and that it was passed merely to be fool the persons and get their votes.

An hon. Member : It is not appropriate to use the words "to be fool the persons"

Shri Madhu Limaye : Had I spoken in English, the hon. Member might not have feared up.

श्री सोनवणे : कांग्रेस दल को बीच में क्यों लाया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : Then which one could be brought in?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्नइस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । इसप्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था कि क्या संयुक्त स्कन्ध समवायों को विकास के लियेबेकार पड़ी भूमि लेने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

Shri Kishen Pattnayak : The beneficial aspect of capitalism is that more investment can be made on land for more production. So may I know whether Government has any proposal under consideration to organise the small farmers or landless farmers and give them capital to be used on waste land so that the same may be converted into cultivable land and thus the production may be increased?

Mr. Speaker : That is another question. It does not arise here?

श्री वारियर : क्या वह भूमि न्यास की है अथवा किन्ही व्यक्तियों की । क्याबीज फार्मों में पैदा किये गये संकर बीज किसानों को सरकार द्वारानिर्धारित मूल्यों पर दिये जायेंगे अथवा वे स्वयं मूल्य निर्धारित करेंगे?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बीज उत्पादों अथवा उनके मूल्य निर्धारण केप्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को किसी समय स्वयं यह सुझाव नहीं दियाथा कि उन्हें फार्म तथासहकारी क्षेत्र में शामिल होना चाहिये? मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर मेंकहा है कि ऐसा करनाव्यावहारिक नहीं समझा गया है। क्याइस का यह कारण था कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा रखी गई शर्तें योजना को व्यावहारिक बनाने वाली नहीं थीं क्योंकि उन्होंने कहाथा कि उन्हें भूमि, जल तथा अन्य सभी वस्तुयें सरकार द्वारा दी जानी चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक विचारार्थ प्रस्ताव यह था कि क्या संयुक्त स्कन्ध समवायों अथवा जिनके पास लगाने के लिये पूंजी है उन्हें बीज उत्पादन के लिये कहा जाय। यह प्रस्ताव भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के सम्मुख था। इस बारे में केवल एक ही प्रस्ताव रखा गयाऔर उसे भीव्यवहार्य न समझा गया था।

Shri Sheo Narain : This Government always claims that they are very much successful in co-operatives. I want to know then why this land is being given to joint stock company and what are the reasons for not utilising it on co-operative basis?

Mr. Speaker : Shri Kapur Singh.

Shri Sheo Narain : Sir, my question has not been answered.

Shri S. M. Banerjee : That needs no answer.

श्री कपूर सिंह : यहप्रसन्नता की बात है कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा खेतीका काम करना व्यवहार्य नहीं है परन्तुक्या उन्होंने यह विचार कर लिया है कि बड़े पैमाने के सभी फार्मोंका, विशेषकर संयुक्त स्कन्ध समवायों का, स्वयं काम करने वाले छोटे किसानोंपर क्याप्रभाव पड़ेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भूमि के अधिकतम परिमाण के बारेमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानून बने हुए हैं। वह कानून उनपर लागू कर दिया जायेगा।

श्री हनुमन्तैया: क्यासरकार कृषि उत्पादन के बारेमें औद्योगिक उत्पादन में लागू तकनीक, अर्थात् तरीका तथा प्रबन्ध,अपनाने के बारे में विचार कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। हमने उसपर विचार किया है, परन्तु हमारे देश में, जहां बहुत से लोग केवल भूमि पर निर्भर करते हैं,यदि हम मशीनों से खेती करना आरम्भ कर दे, तो बहुत से लोग बेरोजगारहो जायेंगे। इस लिये ऐसे तरीके अपनाने के पहले हमें इन बातों पर भी विचार करना होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि छोटे फार्मोंमें भी आधुनिक ढंग से खेती की जा सकती है तथा उसका प्रदर्शन जापान में किया जा चुका है।

श्री बासप्पा : सूरतगढ तथा अन्य स्थानों पर हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिएकड़ उपज बड़े फार्म में अधिक होती है अथवा छोटे फार्म में?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा अनुभव तो यह है कि यदि कृषक रुचि ले तो छोटे फार्म में उत्पादन अधिक होता है। ऐसा केवल हमारे देश का अनुभव ही नहीं है परन्तु इस तरीके से हर स्थान पर बड़े फार्मों की तुलना में छोटे फार्मों में अधिक उत्पादन होता है।

श्री बासप्पा : सूरतगढ़ फार्म में क्या अनुभव हुआ है?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Are Government of the view that by investing more and by introducing new irrigation schemes production can be increased in small farms?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । कृषि विकास की हमारी यह योजना है ।

Shri Yashpal Singh : First of all I have to thank you Sir, for having given a chance to ask a question to an agriculturist, as uptill now only non-agriculturists were asking questions.

श्री कपूर सिंह : मैं भी किसान हूं ।

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons for not abandoning cooperatives and allowing the farms to stand on their own feet keeping in view the fact that no Government farm has got the degree of "Krishi Pandit" so far and neither the production has increased there and also taking into account the declaration of some private farm owners that they will get their lands cut in case the Government farms will be able to increase production than the private farms, even in a century to come?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सहकारी खेती स्वेच्छा से की जाती है । लोग स्वयं अपने संसाधन इकट्ठा करने के लिये संगठित हो सकते हैं । ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। इस लिये यदि किसान स्वयं सहकारी संगठन बनाये, तो हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिये । दूसरे, हम इस के लिये प्रोत्साहन देते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के घी की बिक्री

\+

*835. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के घी को सार्वजनिक रूप से नीलाम करके बेचने का निश्चय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके लिये कोई टेंडर मांगे गये हैं ;

(ग) सबसे अधिक राशि का टेंडर कौनसा है; और

(घ) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो क्या सरकार को हानि हुई अथवा लाभ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) 16 किलोग्राम टीन में पैक किये गये 16 टोण्ज घी के लिए दिसम्बर, 1965 में टेंडर माँगे गये थे ।

(ग) सब से अधिक राशी का टेंडर 9·05 रुपये प्रति किलोग्राम था ।

(घ) सब से अधिक राशि का टेंडर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, हानी 8800 रुपये की हुई जिसमें उपरी व्यय तथा सूद आदि भी शामिल है ।

श्री स० चं० सामन्त: कौन लोग दिल्ली दुग्ध योजना का घी खरीद सकते हैं तथा एक मास में कितनी मात्रा और क्या उनका कोटा बढ़ाया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : अभी कोई कोटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा खरीद सकता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या संसद सदस्यों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के जिस घी को घटिया किस्म का बताया गया था उसको बेच दिया गया है।

श्री चि० सुब्र म्हण्य : दुर्भाग्य से पिछले दो या तीन वर्षों में घी को जमा रखा गया और उसे बेचा नहीं गया। अत: वह खराब हो गया और हमने निर्णय किया कि इसको निलामी द्वारा बेचा जाये और इसलिये हमने उसे बेच दिया है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that during the last two or three years the demand for pure ghee was as much as it is now; if so, why the D.M.S. ghee had to be disposed of by auction and thus sustaining a loss of 8 Thousand rupees?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : क्योंकि उत्पादन मांग से अधिक था (**अंतर्बाधा**)। नवम्बर में दुग्ध का उत्पादन 31 लाख किलोग्राम था जबकि उस महीने में घी का उत्पादन 48 लाख किलो ग्राम था। दूध और घी का उत्पादन जनवरी 1965 में क्रमश: 40 लाख और 51 लाख किलोग्राम था; और फरवरी में क्रमश: 37 लाख और 46 लाख किलोग्राम था। जहां तक भैंस के दूध का संबंध है हम इसको भैंस के दूध के रूप में नहीं बेचते हैं, परन्तु हम उसमें चिकनाई की मात्रा घटा कर 5प्रतिशत कर देते हैं। अत: 1.5 से 2प्रतिशत तक चिकनाई कम कर दी जाती है और उसका मक्खन बना लिया जाता है। इसप्रकार मक्खन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि जनवरी 1965 में 952 किलोग्राम घी का उत्पादन किया गया, जबकि जनवरी 1966 में 61,545 किलोग्राम घी का उत्पादन किया गया। फरवरी, 1965 में 11,000 किलोग्राम घी पदा किया गया जबकि फरवरी, 1966 में 74,731 किलोग्राम घी पदा किया गया। यही कारण हैं कि हमारे पास अधिक स्टॉक जमा हो गया। इसलिये हमने निर्णय किया कि कम से कम पुराने घी को तो तुरन्त बेच देना चाहिये। इसलिये हमने लगभग 20 टन घी बच दिया और शेष मात्रा को चालू उपभोग के लिये रख लिया गया।

Shri M. L. Dwivedi : This scheme was started for the benefit of small consumers; but the price of ghee has been increased from Rs. 8.00 to 11.00 for the small consumers while it is sold to bulk consumers at the rate of Rs. 10.00 per kilogram. What are the reasons for such a policy?

श्री शिन्दे : इस बिक्री का संबंध आपातकी अवधि सितम्बर-अक्तूबर, 1965 से है। (**अन्तर्बाधा**)। जिन टिनों में घी बन्द किया जाता है वे टिन विशिष्ट आकारों में सितम्बर-अक्तूबर में उपलब्ध नहीं थे। उन टिनों को प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये रखा गया था। सरकार को 16 किलोग्राम वाले टिनों में रखना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं छोटे टिनों की अधिक मांग है जबकि बड़े टिनों की मांग कम है। क्योंकि घी खराब होने वाली वस्तु है, इसलिये सरकार ने इसको बेचने का निर्णय किया। इन परिस्थितियों में बड़े टिन बेचे गये थे।

श्री म० ला० द्विवेदी : परन्तु मूल्य क्यों बढ़ाया गया ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : प्रत्येक वर्ष यह शिकायत की जाती थी कि दिल्ली दुग्ध योजना को लाखों रु० का घाटा हो रहा है। जब हमने इसकी जांच की तो हमें पता चला कि हम दूध

और घी को अलाभप्रद मूल्यों पर बेचते रहे हैं। और इसलिये दूध और घी के लाभप्रद मूल्य निर्धारित कियेगये। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसको राज्य सहायता मिले और करदाताओं पर इस बोझ पड़ेतो मैं इसप्रश्न पर विचार कर सकता हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : सरकार कहती है कि उत्पादन अधिक था और खपत कम थी। क्या सरकार बता सकती है कि दिल्ली में बाहर से कितना घीमंगाया जाता है और कम मूल्यों पर लोगों को बेचा जाता है और यदि दिल्ली दुग्ध योजना का घी बढ़िया किस्म का है तो इसे दिल्ली में क्यों नहीं बेचा जाता है? क्या सरकारने मामले की जांच की है?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसमें ग्राहक की इच्छा का प्रश्न है। जो लोग दूधवालों से ताजा दूध लेते हैं वे यही समझते हैं कि डेरी का दूध अच्छा नहीं होता। जबकि डेरी का दूध पेस्ट्चोराइज्ड होता हो औरइसके शुद्ध होने कीगारन्टी दी जाती है। हमें धीरे धीरे मण्डी को बनाना है और हम बना रहे हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What is the reason for the difference in quality between the milk and ghee supplied under the D.M.S. and that which we get in our home from cows? Are you not giving cottonseeds and oilcakes to the dairy cows?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह महंगा नहीं है। बाहरकेघी के मूल्य से हमने उसकी तुलना की है औरइस योजना का घी कुछ सस्ता होता है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्द : माननीय मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से घी खराब हो रहा था और उसको नीलाम किया गया। क्या सरकारने इसबात पर विचार किया है कि खराब घी का खानेवालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यही कारण है कि माननीय उपभोग के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाता है और इसको अन्य कामों में लिया जाता है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि दिल्ली दुग्ध योजना का घी खालिस मक्खन से तैयार नहीं किया जाता है, अपितु यह एक टोंड उत्पाद है? यदि हां, तोक्या सरकारइस तथ्य को भोलेभाले उपभोक्ताओं को बताती है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसकी जांच की गई है। यह घी केसमान शुद्धहै। यदि कोई शिकायत होगी तो मैं घी को रासायनिक विश्लेषण के लिये भेजने को तैयार हूं।

श्री सोनावने: दूध में चिकनाई की मात्रा को क्यों कम किया जाता है?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : अधिक चिकनाई स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और अब चिकनाई को कम करने की प्रवृत्ति है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister said that the deteriorated ghee was disposed of by way of auction. Is it a fact that the Director, Shri Sikha sold that ghee to one his near relative and got a big profit from him? If it was auctioned, who were the bidders and why that ghee was sold for human consumption for which purpose it was not meant?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक की सिक्का का संबंध है वह अब वहां नहीं हैं; उनको काफी पहले हटा दिया गया था। यह कहना कि श्री सिक्का इसमें अन्तर्ग्रस्त थे, गलत है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Who were the bidders in the auction and what were the bids?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं जानता कि यह कब कहा गया था कि उस दूध को माननीय उपभोग के लिये बेचा गया जो कि इस प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त था। माननीय सदस्य शायद उस दूध का जिक्र कर रहे हैं जो परिवहन के दौरान खट्टा हो जाता है। उसको मक्खन तयार करने के लिये काम में लिया जा सकता है।

Shri Sheo Narain : The hon. Minister said that there was over production of ghee. If there was over production, why the rates were increased?

श्री शिन्दे : उत्पादन लागत का हिसाब लगाया गया है और वर्तमान बिक्री मूल्य उत्पादन लागत पर आधारित है।

भारत को खाद्यान्न सहायता सार्थ संघ

\+

*836. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री लिंग रेडी :
श्रीमति रेणूका बड़फटकी :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे की स्थिति में तथा खाद्य संकट के समय भारत द्वारा खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने के हेतु भारत के लिये खाद्यान्न सहायता सार्थ संघ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : Why the Government changes price for the wheat which is received in aid from foreign countries?

श्री गोविन्द मेनन : उसको मुफत नहीं दिया जा सकता।

Shri Yashpal Singh : Why do you get brokerage?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमें विटामिन की गोलियां और दूध पाऊडर मुफ्त मिलता है। उसका हम कोई मूल्य नहीं लेते। परन्तु जहां तक खाद्यान्न का संबंध है, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका भी मुफ्त वितरण करते हैं। पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि हम प्रत्येक राज्य को एक हजार टन प्रति मास की दर से मुफ्त वितरण के लिये, अनाज दे रहे हैं। अतः जहां भी आवश्यकता होती है इसका मुफ्त वितरण किया जाता है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि जापान, इटली और बेल्जियम में बच्चे जलूस निकाल रहे हैं और चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि भारत में अकाल की हालत है; यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों को सूचना दे दी है कि यहां पर खाद्य स्थिति इतनी खराब नहीं है और यह कि यहां पर अकाल की हालत नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जी हां; हमने उनको सूचना दे दी है ।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि हमारे देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग की आर्थिक दशा बहुत खराब है, और उचित मूल्यों वाली दुकानोंद्वारा लागत मूल्य से कम पर अनाज बेचने की परम्परा जो पहले से चलीआ रही है उसको देखते हुए क्या सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में, जहां कि अनिवार्य संविहित राशन व्यवस्था नहीं है इन उचित मूल्य वाली दुकानों को चालू रखने की अपनी पुरानी परम्परा को छोड़ दिया है और यदि हां तो क्या सरकार उसको पुनः चालू करना चाहती है ताकि वे लोग जोमण्डी में अनाज नहीं खरीद सकते हैं, लागत मूल्य से कम पर इन उचित मूल्य वाली दुकानों सेआयातित अनाज खरीद सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, उचित मूल्य वालीदुकानें बड़ीं संख्या में हैं जहां पर कि नियन्त्रित मूल्यों पर इन वस्तुओं को बचा जाता है और इन दुकानों पर भाव बाज़ार भाव से काफी कम होते है ।

श्री रंगा : मेरा यह सुझाव है कि राशन की दुकानों के मूल्यों से कम मूल्य होने चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नियन्त्रित मूल्य सभी स्थानों पर समान हैं । अपाहिज व्यक्तियों को, जो कुछ नहीं दे सकते हैं, हम मुफ्त अनाज देते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत को सहायता देने के लिये एक विश्व सहायता सार्थ संघ बनाने के बारेमें अमरीका के चोटी के राजनितिज्ञों द्वारा पहल की गई थी और संयुक्तराष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा इस संबंध में जो पहल की गई थी क्या उस ओर भी दिलाया गया है । यदिहां, तोक्या पहल करने से पूर्व तथा हमारी खाद्य स्थिति की कमी का आवश्यकरूप सेप्रचार करने से पूर्व उन्होंने यह विश्व अपील करने के लिये भारतसरकार की अनुमति लीथी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक सार्थ संघ का संबंध है इसमें संदेह नहीं कि इसका प्रस्ताव अमरीका तथा अन्य स्थानों में रखा गया था, परन्तु इसके लियेकभी कोई कार्यवाही नहीं की गई । जहां तक अपील का संबंध है इसके लिये उन्होंने हमारी अनुमति प्राप्त की थी।

श्री बसुमतारी : क्या यहां पर राजदूतावासों को मंत्री द्वारा की गई अपील और अनाज मांगनेके लियेहमने विदेशों के जो दौरे किये क्या उनके कारण ही विदेशों में भारत की सहायताके लिये अंशदान इकट्ठा करने के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राजदूतों केसामनेमैंने जोभाषण दिया है, माननीय सदस्य उसको पढ़ें । वास्तव में इसीप्रश्न को उस भाषण में लिया गया था । विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित इनसमाचारों का मैंने उल्लेख किया किभारत में अकाल की हालत हैऔर यहां परबड़े पैमाने पर मृत्यु होंगी । मैंने कहा था ये सब बिल्कुल निराधार हैं और इनको बन्द करना चाहिये।

Shri Tulsi Das Jadhav : Free distribution of foodgrains will develop the tendency of begging in the people. Why do the Government hesitate to sell the foodgrains which has been received by way of gift from foreign countries?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जबदेश में अनाज की कमी होती है और सहायता के रूप में प्राप्त अनाज पर्याप्त नहीं होता तो हमें विदेशों से अनाज खरीदना पड़ता है ।

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

+

*837. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को बसाने की कोई योजनायें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों के नामों तथा बसाये जाने वाले परिवारों की संख्या व अनुमानित व्यय को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5924/66]** ये समस्त योजनाय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राज्य सरकारें इन्हें कार्यरूप देंगी।

श्री स० चं० सामन्त: पश्चिमी बंगाल में कितने भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं ? क्या कारण है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वास्तव में पश्चिमीबंगालसरकार ने पहली और दूसरी योजना में लगभग 42,000 एकड़ भमि में भूमिहीन खेतिहर परिवारों को बसाया गयाथा। तीसरी योजना में उन्होंने कहा कि भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को बसाने के लिये उनके पास कोईभूमि नहीं है क्योंकि उन्हें शरणार्थियों कोबसाना होता है।वे वन भी लगाना चाहत थे, अतएव, वे सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री स० चं० सामन्त: क्या भूमि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्राप्त भूमि भी इसमें शामिल है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वहइसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं यह बतादूं कि पहली और दूसरी योजनाओं में राज्य सरकार ने लगभग 95 लाख एकड़ भूमि में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाया है।

श्री भागवत झा आजाद : वितरण मेंबसाये जाने वाले 3,31,000परिवारों का उल्लेख है। नवीनतम अनुमान के अनुसार कितने भूमिहीन खेतिहर म ज दूहैं ? इन योजनाओं के अन्तर्गत उनमें से कितने प्रतिशत को बसाया जायेगा और कितने प्रतिशत को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : माननीय सदस्य कोमालूम होगा कि देश में किसानों में से लगभग 18 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर हैं अर्थात् लगभग 1करोड़परिवार हैं। यहएक बहुत छोटी संख्या है। लेकिन, इसके अतिरिक्त भूमिहीन मजदूरों कोबसाने का राज्यों का एकसामान्य कार्यक्रम है, जो क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री बासप्पा : तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत मैसूर मेंकेवल 550 परिवार बसाये जायेंगे जब कि केरलमें 11,000, मध्य प्रदेश में 18,000, पंजाब में 52,500 और बिहार में 75,000 परिवार बसाये जायेंगे। मसूर के साथ यह सौतेली मां जसा व्यवहार करने के क्या क ा रहें? क्या मैं यह समझूं कि वहां बसाये जाने वाले केवल 550 परिवार हैं?

श्री श्यामधर मिश्र : यह केन्द्रद्वारा प्रायोजित योजना तो अवश्य है लेकिन परिवारों की संख्या भूमि मिलने, सर्वेक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के अनुरोध पर नियत की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे राज्यों में, उदाहरण के रुप में आन्ध्र प्रदेश, जहांस्पष्टरूप से बहुत सी बंजर भूमि है, क्या केन्द्रीयसरकार ने ये योजनायें मंजूर करते समय किसी अवस्था पर राज्य सरकारों से परामर्श किया था कि वहां इतनी अधिक बंजर भूमि उपलब्ध होते हुए भी इतनेकम परिवारों को बसाने के क्या कारण हैं? अब तीसरी योजना समाप्त होने वाली है, तो क्या सरकार ने कहां पता लगाया है कि इन योजनाओं को कहां तक क्रियान्वित किया गया है?

श्री श्यामधर मिश्र : आन्ध्र प्रदेश ने पहली और दूसरी योजना अवधि में पहले ही 7.57 लाख एकड़ भूमि नियत की थी और तीसरी योजना में, केन्द्र द्वारा प्रायोजितइस योजना के अतिरिक्त 9.77लाख एकड़ भूमि नियत की गईहै। यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस रुप में है कि कुछ व्ययय योजना-सीमा के अतिरिक्त हैं, कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है। ये 7.57लाख और 9.77 लाख एकड़ की जिन योजनाओं का मैंने उल्लेख किया, वे राज्य सरकार की सामान्य योजना के अन्तर्गत हैं। केन्द्रद्वाराप्रायोजि त इस योजना के अन्तर्गत बसाये जाने वाले 2,653 परिवारोंपर 117 लाख रुपये व्यय था और 11,577एकड़भूमि थी। यह योजना केवल तीन वर्ष पहले ही मंजूर की गई थी और तीसरी योजना के आरम्भ में शुरू नहीं की गई थी अर्थात् यह दो वर्षों से ही क्रियान्वित हो रही हैऔरइस लिए प्रगति कम हुई है। अभी तक जोभागपूरा नहीं हुआ है वह चौथी योजना में चला जायेगा।

श्री रंगा : क्या यह सच नही है की भारत सरकार और राज्य सरकारों नें किसी न किसी बहाने खेतिहर मजदूरों में सरकारी बंजर भूमि बांटने सम्बधी सभी कार्यवाही रोक दी है, विशेष रुप आपात काल के दौरान और क्या उन्होंने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि व यह भूमि खेतिहर मजदूरों में बांट सकते हैं? क्या यह भी सच नहीं है कि यद्यपि खेतिहर मजदूरों ने एसीभूमि को उन्हें बांटने का अनुरोध किया है, उन्हें यहभूमि इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि सरकार की सहकारी खेती की कुछ योजनायें हैं, इसलिये वे ये भूमि देने को तयार नहीं?

श्री श्यामधर मिश्र : जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया सहकारी खेती का तोएक सीमित कार्यक्रम है, जो ऐच्छिक है। सारे देश मेंहमारी योजनाके अन्तर्गत लगभग 5,000 सहकारी फार्म हैं और क्षेत्र 5 अथवा 6 लाख एकड़ ही है। इसलिये इसका दूसरेसे कोई विरोध नहीं है। खेतिहर मजदूरों को भूमि के नियतन सम्बन्धी आंकड़े मैंने दिये हैं। यहएक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसका सम्बन्ध धन की कमी से है लेकिनहम यह नहीं कह सकते हैं कि आपातकाल के कारण भूमि नहीं दी गई है। यह योजना पिछले दो वर्षों में क्रियान्वित की गई है, जो आपातकाल की अवधि थी।

Shri Maurya : When the Republican Party had launched a mass agitation in which 2 lakh persons were sent to jail, the Government gave an assurance that land reserved for forests but in which actually there are no forests will be distributed among the agricultural labour. Is the Government taking any steps to distribute this land among agricultural labour?

Shri Shyam Dhar Misra : We always consider this aspect. The land reserved for forests but not useful for the purpose is cleared. This land is surveyed by the State Governments under centrally sponsered scheme. Government is taking necessary steps in the matter.

श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा: तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम में कितने भूमिहीन परिवार बसाये गये और क्या सरकार को पता है इन परिवारों को बसाने के लिये काफी बेकार पड़ी भूमि उपलब्ध है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वक्तव्य में परिवारों की संख्या 5,800 दी गई है और इसके लिये 101 लाख रुपये की रकम नियत की गई है, कितने परिवार बसाये गये है, इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

Shri Balmiki : Has it come to Government's notice that corruption is prevalent in leasing out the land to agricultural labours and if so, does the Government propose to take any action to alert the State Governments which are not doing anything in this regard ?

Shri Shyam Dhar Misra : I do not agree with this allegation that State Governments are not doing any work. They have distributed one crore acres of land. If the hon. Member cites any specific complaint, we will look into it. We have not so far received any such complaint.

Shri Gulshan : Has the Government ever taken into account the agricultural labourer belonging to a State where there is no waste land, should be given land in other States where there is more waste land ?

Shri Shyam Dhar Misra : This matter is discussed with States. It is true that the labourers of one State have migrated to another State during the Third Five Year Plan. We have also this scheme.

Shri Madhu Limaye : Government must be knowing that majority of the agricultural labourers belongs to Harijan, *adivasi* and backward classes. What will be proportions of these people among the three lakhs and thirty one thousand families to be settled. Will there also be nepotism in this matter?

Shri Shyam Dhar Misra : Though I have no figures, but I think majority of them will be of Harijans etc.

श्री बालकृष्णन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमि बन्दोबस्त योजना के मजदूरों को छो कर अन्य मजदूरों की तुलना में खेतिहर मजदूरों को बहुत कम मजूरी मिलती है, क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की मजूरी बढ़ाने के लिये कोई कल्याण योजना बना रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र: यह बहुत व्यापक प्रश्न है । मैं केवल यह कहूंगा कि हरिजन आदि कमजोर वर्गों के लिय मुर्गी पालन, डेरी तथा मत्स्यपालन योजनायें हैं और उनके लिये ग्रामीण कार्यक्रम है तथा अभावग्रस्त क्षत्रों के लिये कार्यक्रम, जिनका अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, भी है । इस से काश्तकारों, भूमिहीन मजदूरों तथा हरिजनों को मजूरी बढ़ाने में मदद मिलती है ।

+ **गन्ने की पिराई**

*838. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गन्ने की पिराई की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी राज्योंमेंखड़ी फसल गन्ने की पिराईमिलों द्वारा की जायेगी अथवा नहीं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5925/66 ।**

(ख) और (ग) : आशा है कि शर्करा कारखाने 1965–66 की फसल का गन्ना पेरने का काम बन्द करने से पूर्व सभी उपलब्ध गन्ना पेर देंगे ।

Shri Vishwa Nath Pandey : In how many acres of land there is still standing crop of sugarcane which has not been crushed ?

श्री शिन्दे : ठीक ठीक आंकड़े बताना बहुत कठिन है क्योंकि राज्य सरकारों से हमें आंकड़े नहीं मिलते हैं । किन्तु मैं सदस्यों की जानकारी के लिये यह कह सकता हूं कि इस वर्ष 64 लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गई और चीनी मिलों ने चीनी बनाने के लिये इसमें 25 प्रतिशत लिया ।

Shri Vishwa Nath Pandey : The figures submitted by the hon. Minister show that the largest quantity of sugarcane was crushed in Uttar Pradesh. But substantial quantity of sugarcane was not crushed in Bhatni Sugar Mill in Dewaria District of Eastern U. P. Do Government propose to take some effective steps in order to see that sugarcane of that area is taken by Bhatni Mill or it is crushed?

श्री शिन्दे : इस वर्ष चीनी उद्योग में सबसे अधिक गन्ने की पिराई हो रही है । विभिन्न राज्यों ने, जिनसे हमने पूछताछ की थी, बताया है कि इस फसल के दौरान चीनी मिलों को जितना भी गन्ना मिलेंगे, पेरा जायेगा । किन्तु व्यक्तिगत शिकायतों के बारेमें, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मुझ जानकारी नहीं है । यदि वह मुझे लिखित रुपशिकायत दें तो मैं पूछताछ करके सही स्थिति का पता लगाऊंगा ।

श्री सोनवणे : सरकार उन चीनी मिलों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है जो धन की कमी के कारण किसानों को अभी तक गन्ने के मूल्य नहीं दे पाई हैं और जिनके गोदामों में गन्ने का स्टाक जमा हो रहा है ?

श्री शिन्दे : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वित्तमंत्री महोदय से बात चीत भी की थी । स्वयं मैंने इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत की थी । गवर्नर महोदय चीनी उद्योग को इस संकट से बचाने के उपाय निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ क्षेत्रों में चीनी उद्योग गन्ना उत्पादको को गन्ने का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं किन्तु रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और आशा है कि यह समस्या निकट भविष्य में हल हो जायेगी ।

Shri Vishram Prasad : According to the statement 4, 412 tonnes and 9, 337 tonnes of Sugarcane was crushed in Maharashtra and Uttar Pradesh respectively. May I know the number of Sugar Mills in Maharashtra and Uttar Pradesh respectively ?

श्री शिन्दे : मैं नहीं जानता हूं कि माननीय सदस्य किस विवरण का उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कितनी कितनी चीनी मिले हैं।

श्री शिन्दे : उत्तरप्रदेश में लगभग 78 चीनी मिलें और महाराष्ट्र में 33 चीनी मिलें हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गन्ना उत्पादकों में यह भावना है कि मिल में ले जाने पर उनका गन्ने का वजन कम हो जायेगा, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य में संशोधन करके गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य दिया जायेगा क्यों कि 45 टन गन्ना सप्लाई किये जाने पर वह केवल 35 टन ही माना जायेगा ?

श्री शिन्दे : मेरे विचार से यह समस्या का हल नहीं है। नवम्बर से मई तक पेराई का समय होता है इसलिये गन्ने की कटाई छः सात महीने के सारे समय के दौरान करनी पड़ती है। समस्या का हल यह है कि हमें जल्दी पकने वाले तथा देर से पकने वाले गन्ने की किस्में बोनी चाहिए ताकि उसका रस कम न होने पाये। हमने देश के कई क्षेत्रों में यह प्रयोग किया और हमें इस में सफलता मिली है।

श्री कन्डप्पन : विवरण से पता चलता है कि प्रति एकड़ कम उपज वाले क्षेत्रों में अधिक और प्रति एकड़ अधिक उपज वाले क्षेत्रों में कम गन्ना पेरा गया है। इस विषमता के क्या कारण हैं।

श्री शिन्दे : इसका स्पष्ट कारण यह है कि इस वर्ष वर्षा न होने के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ गया और आशानुकूल उत्पादन नहीं हुआ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the attention of the hon. Minister been drawn to those sugar mills of Uttar Pradesh where the cane growers have to wait at the gates of mills for two or three days with the loaded carts and their sugarcane is not weighed and they are also paid price of their cane by deducting one anna per rupee.

श्री शिन्दे : मुझे इस शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है कि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में गन्ने की कटाई, तथा ढुलाई हो और मिलों को दिया जाये ताकि गन्ना उत्पादकों तथा मिलों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। माननीय सदस्य अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकते हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The sugar mill owners have not taken the whole quantity of sugarcane, for which they have signed the bonds from the sugarcane growers of the area near Delhi Shahdara and the sugarcane crop is still standing and drying in the fields. Will the millowners be asked to take the sugarcane from the growers. They should take it as early as possible or to pay compensation for it to them.

श्री शिन्दे : पिछली बार भी माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया था। उसी के आधार पर मैंने पंजाब सरकार से पूछताछ की थी और पंजाब सरकार ने मुझे बताया कि चीनी मिलों को सभी उपलब्ध गन्ना पेराई के लिये लेना चाहिए। मिलों की पेराई करने की क्षमता की एक सीमा होती है किन्तु फिर भी इस वर्ष मिलों की पेराई की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। इस वर्ष सबसे अधिक पेराई हो रही है और सबसे अधिक गन्ना पैदा हुआ है।

श्री काशिनाथ पाण्डे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई चीनी मिलें ऋण लेने की अपनी शक्ति के अनुसार ऋण ले चुकी हैं और वे अब और गन्ना खरीदने के लिये ऋण की स्थिति में नहीं है जिसके कारण उत्पादकों में निराशा पैदा हो गई है। क्या सर- स सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रही है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सभा में कोई वक्तव्य देंगे ताकि उत्पादकों की निराशा दूर हो सके।

श्री शिन्दे : मैं बता चुका हूं कि हमने इस सम्बन्ध में जांच की है और हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि लगभग 298–299 चीनी मिलों में से 65–70 मिलों को ऋण लेने की पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हैं। शेष के सम्बन्ध में हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको कठिनाई को किस प्रकार दूर किया जाये।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को देखते हुए कि वर्ष 1930–35 में लगाई गई चीनी बनाने की पुरानी मशीनों द्वारा समय पर गन्ने की पेराई करने में कठिनाई होती है, क्या पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिन्दे: माननीय सदस्य को स्वयं पता होगा कि भारत सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने के लिये श्री गूंडूराव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। मेरा विचार है कि मैं इसे सभा पटल पर रख चुका हूं और यदि नहीं रखी तो मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हूं।

Shri K. N. Tiwary : Is Government aware that more sugarcane is supplied to sugar factories because it is not being utilized for the production of *gur* as the prices of *gur* are low this year and this sugarcane will not be crushed fully by the end of crushing season in Punjab, Uttar Pradesh and Bihar? What action Government propose to take to crush all the available sugarcane by the end of crushing season?

श्री शिन्दे : विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिलों को उपलब्ध गन्ना पेरना चाहिए। अतः मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य की जानकारी सही है।

गहन कृषि विकास कार्यक्रम

*839. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गहन कृषि विकास कार्यक्रम के साथ लुधियाना में स्थापित किये गये प्रायोगिक एकक के डा० एन० सिन्हा द्वारा किये गए अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के परिष्करण के लिए, विशेष रूप से फार्म उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के काम को ग्रामीण संस्थाओं के अन्तर्गत करने के लिए, क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यह कहां तक सच है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से विकास खण्ड अधिकारियों और पंचायत समितियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है, जिससे गहन कृषि विकास कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार खण्ड कार्य-व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) अभी तक ब्लाक समिति तथा खण्ड विकास अधिकारियों में कोई मतभेद होने का कोई मामला हमारे नोटिस में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या उनके अपने विश्लेषण के अतिरिक्त सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

श्री श्यामधर मिश्र : मुझे नहीं मालूम कि यह अनुसन्धान केन्द्र संबंधी अध्ययन दल इस प्रश्न की भी जांच करेगा अथवा नहीं। मेरे विचार से माननीय सदस्य स्वयं उस समिति अथवा मूल्यांकन दल के सदस्य हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम उत्पादन का लक्ष्य किस तरह से निर्धारित किया जायगा?

श्री श्यामधर मिश्र: संस्थागत आधार पर ये पंचायती राज संस्थाएं तीन खण्डीय पद्धति पर अर्थात् पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा लोगों को प्रोत्साहित करने में मिल कर कार्य करेंगी। इस काम को मिलजुल कर करने में कुछ कठिनाइयां हैं। अतः हम पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं ताकि इससे कृषि उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ सके। परन्तु अभी तक वांछनीय प्रभाव नहीं हुआ है और हम स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद: मुख्य प्रश्न के भाग (घ) की ओर निर्देश करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सभी मूल्यांकनों तथा सभी के, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके फायदे के लिये ये खण्ड बनाए गये हैं और वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो इन खण्डों के प्रभारी अधिकारी हैं, मत के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ये खण्ड विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं और इसलिये इन्हें तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिये, और यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी कार्यवाही करने का विचार है?

श्री श्यामधर मिश्र : नहीं तो इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध है और न ही मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि ये खण्ड कृषि विकास के रास्ते में सब से बड़ी बाधा हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। यह सत्य है कि कुछ राज्यों में कुछ कमियां हो सकती हैं। हम उन्हें दूर करने तथा खण्डों की कार्य पद्धति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : लोक-सभा की रायलेलीजि ये।

एक माननीय सदस्य : जनमत जान लिया जाना चाहिये।

श्री रंगा: यदि मेरे माननीय मित्र यहां पर जो कुछ कहा जा चुका है उसे याद करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हीं की ओर से पहले एक उत्तर दिया जा चुका है। क्या यह सही नहीं है कि चूंकि पंचायत समितियों के सभापति इन निधियों को अपनी इच्छा तथा अपने दलों की इच्छा के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिये वे खण्ड विकास अधिकारियों के बने रहने के विरुद्ध हैं? क्या यह सही नहीं है कि कुछ राज्यों में पंचायत समितियों के सभापति खण्ड विकास अधिकारियों की इस संस्था को ही समाप्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस समय वे अपनी इच्छा के अनुसार खण्ड निधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं?

श्री श्यामधर मिश्र : दोनों में ही तथ्य नहीं हैं।

Pay scales of University Teachers

+

S.N.Q. 14. **Shri Balmiki :**
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hem Barua :
Shri Surendranath Dwivedy :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. Ranen Sen :
Shri Madhu Limaye :
Shri Manoharan :
Shri Warior :
Shri Ansar Harvani :
Dr. L. M. Singhavi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :
Shri H. N. Mukherjee :
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the University and College Teachers staged a demonstration before Parliament House on the 21st March, 1966 under the auspices of their All-India Organisation, *viz.*, All India University College Teachers' Association and their affiliated State Associations;

(b) if so, what are their demands and what action has been taken by Government to fulfil them;

(c) whether Government are ready to remove the disparity in their pay scales all over the country;

(d) whether it is a fact that he gave any assurance in this matter; and

(e) if so, the reasons for the non-implementation thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ): विवरण संलग्न है।

विवरण

अध्यापकों की मांग है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) द्वारा सिफारिश किए गए वेतन के बढ़े हुए वेतनक्रमों को पहली अप्रैल, 1966

से लागू किया जाना चाहिए। 16 फरवरी, 1965 को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संस्था (West Bengal University & College Teacher's Associations) का प्रतिनिधि मण्डल मुझ से मिला था और मैंने उन्हें सूचित किया था कि शिक्षा मंत्रालय कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों के किसी भी संशोधन को मान लेगा, जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने की हैं। और यह मंत्रालय इस बात की भी कोशिश करेगा और देखेगा कि राज्यों को उनकी सहायता के लिए तथा संशोधित वेतनमानों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अखिल भारतीय आधार पर, कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन के कुछ बढ़े हुए वेतन-क्रमों की सिफारिश की है। ये वेतनक्रम, यदि मान लिए गए, तो देश के विभिन्न भागों की असमानता को दूर करेंगे। देश की आर्थिक कठिनाई के कारण पहली अप्रैल, 1966 से संशोधित वेतन-क्रमों के लिए आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पर्याप्त संसाधन जुटाना संभव नहीं हो सका है। फिर भी इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि सभी राज्यों को जरूरी वित्तीय सहायता देने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें, जिससे सिफारिशों को क्रियान्वित करने में राज्य समर्थ हो सकें।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भागवत झा आजाद : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री स० मो० बनर्जी : 376 भाग (क) के उत्तर में उन्होंने 'हां' कहा है.....

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर गलत है तो व्यवस्था का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न 21 मार्च को अध्यापकों द्वारा किये गये प्रदर्शन के बारे में है। उसके उत्तर मे मंत्री जी ने एक प्रतिनिधिमण्डल का उल्लेख किया है जो 16 फरवरी को अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में उनसे मिला था। हमें मार्च की जानकारी चाहिये। क्या मंत्री महोदय ऐसा उत्तर भी दे सकते हैं जिसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हो?

अध्यक्ष महोदय : 21 मार्च को प्रदर्शन किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी: इसके उत्तर में उन्होंने 'हां' कहा है। परन्तु दूसरी चीज के बारे में स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वैसा कहा है। मैं और क्या कर सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी: आप ही हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

श्री मु० क० चागला: माननीय सदस्य की शिकायत क्या है। मैंने सभी तथ्य तथा सामग्री सभा के समक्ष रख दी है।

Shri Balmiki : I was expecting that the hon. Minister would reply to my question part-wise but this has not been done. I am not even satisfied by the statement laid on the table. But the following words of his bring some relief to the university teachers:

> "Efforts are, however, being made to see if the required financial resources could be found for giving the necessary assistance to all the States to enable them to implement the recommendations".

To what extent and the time by which these efforts will bear fruit so far as implementation of the recommendations of the University Grants Commission

to remove disparities in the pay scales of these teachers ? The implementation of these assurances may, otherwise, take a whole year.

श्री मु० क० चागला: माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि मेरे उत्तर में क्या गलती है। जहां तक मेरे प्रयत्नों का सम्बन्ध है, मैं बराबर वित्त मंत्री से बातचीत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि यथा संभव शीघ्र इसका कुछ परिणाम निकलेगा। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri Balmiki : I want to know the time that will be taken—one month, two months or three months. Otherwise it may take years.

श्री म० क० चागला : मुझे अपने माननीय मित्र से सहानुभूति है। वे कुछ समय तक सबर करें। मैं उस निर्णय की घोषणा करने वाला हूं।

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the Government been drawn to the report appearing in today's issue of "the Hindustan Times" that one hundred teachers under the Delhi Administration have not been paid for the last five months? If so, what action Government is taking to remove their difficulty?

श्री मु० क० चागला: इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मेरा ध्यान इस ओर दिलाया गया है और मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि अध्यापकों का प्रतिनिधिमण्डल वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री से मिला था तो क्या सरकार कोई निर्णय करने वाली है अथवा वह इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि अध्यापक अखिल भारतीय आधार पर हड़ताल करें और तभी वह कोई कार्यवाही करे?

श्री मु० क० चागला: मैं पहले कह चुका हूं कि पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि यथा संभव शीघ्र निर्णय हो जाये। मुझे आशा है कि हड़ताल करके अध्यापक अपने शिष्यों के लिये बुरा उदाहरण स्थापित नहीं करेंगे। वे मुझसे मिले थे और मैंने उन्हें यह सलाह दी थी कि उन्हें स्वयं अनुशासन में रह कर अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी: उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है कि उनके पास कौड़ी भी नहीं बची है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The teachers have been continuously intimating their demands regarding enhanced scales of pay to this Ministry for the last so many days, but this Ministry and the Government have not paid any attention to them. They have been constrained to go on strike. Will Government take action to get their reasonable demands implemented to avoid such a situation?

श्री मु० क० चागला: यह सही नहीं है कि मंत्रालय ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरे मंत्रालय को उनकी मांगों से पूरी पूरी सहानुभूति है। उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अच्छे वेतनक्रमों की सिफारिश करने के लिये कहा और मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार किया था। मेरे माननीय मित्र को पता है कि हमारे सामने वित्त की बड़ी भारी कठिनाई है। प्रश्न केवल धन की व्यवस्था करने का है। यह कोई नहीं कहता कि उनकी मांगें उचित नहीं हैं परन्तु कठिनाई धन की व्यवस्था करने की है और इस दिशा में मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यापक जो कुछ भी करने जा रहे हैं मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता क्योंकि मंत्री स्वयं अपने आश्वासन को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रधान मंत्री ने

भी अध्यापकों के प्रतिनिधिओं से कहा है कि वे अमरीका की यात्रा से आने के पश्चात स्वयं इस मामले को जांच करेंगी। इन सबको दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि उन्होंने विवरण के अन्तिम परा में जो कुछ कहा है व उसे हृदय से करना चाहते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिय गये आश्वासन की कार्यान्विति में, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा?

श्री म० क० चागला: जैसा मैंने कहा मैं इसबारे में भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री के भारत वापस लौटने से पहले ही निर्णय हो जाये। परन्तु यह पूर्णतया मेरे पर ही निर्भर नहीं करता। हमें बहुत सी बातों पर विचार करना है क्योंकि यह केवल एक साल का मामला नहीं है। यदि हम सहमत हो जाते हैं तो यह पांच साल का मामला है और वित्त मंत्रालय को यह देखना है कि क्या पांच वर्ष तक इसे कार्यान्वित करने के लिये वह धन की व्यवस्था कर सकता है अथवा नहीं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

डा० रानेन सेन : शिक्षा मंत्री ने कुछ मिनट पहले कहा था कि अध्यापकों को अनुशासन का पालन करना चाहिये। क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन सबसे कम होते हुए भी वे लोग 1962 से अपनी मांग पेश करते आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है? यदि उन्हें यह जानकारी है तो क्या वे साथ साथ यह बता सकते हैं कि अध्यापकों को कितने समय तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके द्वारा हड़ताल की धमकी दिये जाने से सभी शिक्षा संस्थाएं ठप्प हो जायेंगी?

अध्यक्ष महोदय : बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है।

डा० रानेन सेन : अध्यापकों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि टेलीविजन पर 100 करोड़ रुपये खच किये जा रहे हैं परन्तु अध्यापकों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या यह सरकार चार करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकती है। क्या हम सरकार से ऐसे वक्तव्य की आशा कर सकते हैं?

श्री मु० क० चागला : मैं यह कतई स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं और मैं अध्यापकों से अपील करूंगा—पिछले वर्ष उन्होंने मेरी अपील मान ली थी—कि वे कोई आन्दोलन शुरू न करें। उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं और उन्हें कोई बुरा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The State Governments gave assurances to their university teachers on the basis of the assurance given by the Central Government. The Central Government could not implement its assurance and the State Governments had to follow suit. The Central Government has now advanced the ground that the serious financial stringency has arisen because of the present emergency. I want to know from the hon. Minister as to whether the salaries and dearness allowances of high ups in Government services and in public sector industries during the last 10-12 months have been increased or not? If their salaries can be increased despite this emergency what is the justification for this talk of emergency when it comes to enhancement of pay scales of university teachers?

श्री मु० क० चागला: जहां तक सरकारी नौकरों का प्रश्न है, वेतन आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया है। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करने के लिये कटिबद्ध थी।

Shri Madhu Limaye : This was also an assurance; are you not bound by it?

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अध्यापकों को क्या आश्वासन दिया था। मैंने कलकत्ता की यात्रा के पश्चात् कहा था कि मैं यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपूंगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह मामला सौंपा गया। आयोग ने कुछ वेतनक्रमों की सिफारिश की। मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया और बाद में यह वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो गई। इसलिये ऐसा कोई आश्वासन नहीं है जिसे मैंने पूरा नहीं किया हो।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विवरण में दिया हुआ है:

"......पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संस्था का प्रतिनिधिमण्डल मुझ से मिला था और मैंने उन्हें सूचित किया था कि शिक्षा मंत्रालय कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों के किसी भी संशोधन को मान लेगा, जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है......"

बाद में यह दिया हुआ है:

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ बढ़े हुए वेतनक्रमों की सिफारिश की है....."

अतः उन्होंने यह आश्वासन दिया है। अब वे कहते हैं कि उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया था। जब उन्होंने यह आश्वासन दिया है, तो क्या इसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा?

श्री मु० क० चागला : मैंने आगे यह भी आश्वासन दिया है और मेरे पास यह शब्दशः है। मैंने कहा था कि उन्हें स्वीकार करने के पश्चात् मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था कर दे। यह आश्वासन भी मैं पूरा करूंगा।

श्री रंगा : जब सरकार का एक मंत्री किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेता है तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को यह पता है कि वित्त मंत्री के परामर्श से ही वे उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं अन्यथा मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य सरकार के नाम में यह नहीं कह सकता कि वह इसे स्वीकार करने के लिये तयार है अथवा उसने इसे स्वीकार कर लिया है। जब उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है तो इसका अर्थ है कि इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इसका अन्य कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता और वे तो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

श्री वारियर : क्या यह सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दो मास पहले घोषणा की थी कि जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों का वेतन बढ़ा कर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन के समान किये जाने की सिफारिश कर देगा, वे उसे कार्यान्वित करेंगे, परन्तु तभी जबकि बराबर का अनुदान प्राप्त हो जायेगा? बराबर का अनुदान देने में क्या बाधा है?

श्री मु० क० चागला : केवल बंगाल का ही प्रश्न नहीं है। यह अखिल-भारतीय प्रश्न है और हमें उन सब राज्यों को जो इस योजना को लागू करने के लिये तैयार हैं अनुदान देना होगा। हम 80 प्रतिशत वहन करते है और राज्य 20 प्रतिशत। इन सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसलिये माननीय सदस्य जरा सबर से काम लें।

Shri Ram Harkh Yadav : Our teachers have been making a great contribution in strengthening the nation by disseminating education in the country. But the answer of the hon. Minister is very puzzling. It matters little for a teacher whether it is the University Grants Commission or the hon. Minister himself or the Finance Ministry or the State Government. He does his duty and wants a good reward for that. Will the hon. Minister continue to plead his helplessness time and again or will be taken some positive steps so that the let our teachers may improve and they may get better salaries?

श्री मु० क० चागला : मैं लाचार हूं क्योंकि यह धन की व्यवस्था का प्रश्न है और हम वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। फिर भी मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे अध्यापकों के साथ पूर्ण सहानुभूति है और वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता है। मैंने खुले आम इस बात को स्वीकार किया है। मुझ यह सब कुछ मालूम है, परन्तु यह एक अखिल-भारतीय प्रश्न है और इसे अखिल-भारतीय आधार पर ही हल करना होगा।

* * * *

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में सूखे की स्थिति

*834. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उन राज्यों से जहां सूखा पड़ा है हाल ही में मौनसून कालीन वर्षा न होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में अभाव स्थिति का पूर्ण विवरण देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें विवरण प्राप्त हो गया है और उनकी छानबीन कर ली गई है; और

(ग) क्या जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उनके कारण अगले वर्ष की योजना में समायोजना करना जरूरी हो जाएगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) : योजना आयोग ने केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मैसूर और उड़ीसा की राज्य सरकारों से इस विषय पर पत्र भेजे थे। सूखा से प्रभावित दूसरे राज्य आन्ध्र प्रदेश को इस सम्बन्ध में नहीं कहा गया था क्योंकि बाद में आयोग ने यह निर्णय किया कि केन्द्रीय दल सभी सूखा से प्रभावित राज्यों का दौरा करें। आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, सभी ऐसे राज्यों के बारे में केन्द्रीय दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी है। इन रिपोर्टों में सम्बन्धित राज्यों में किस सीमा तक कमी है, का कुछ ब्यौरा और इसका मुकाबला करने के लिए सुझाये गए उपाय दिए गए है, अन्य बातों के साथ साथ केन्द्रीय दलों ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि गैर योजना बजट से चलाए जाने वाले राहत कार्यों के अलावा, वे राहत पहुंचाने के लिए प्लान स्कीमों का भी उपयोग करें और इन में से कुछ स्कीमों को बढ़ाया जाए अथवा चालू वर्ष तथा 1966-67 में विस्तृत पैमाने पर चलाया जाए।

नदी वाष्प-नौचालन (स्टीम नैवीगेशन) कम्पनियां

*840. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी वाष्प नौचालन कम्पनियों की आस्तियों का पूर्ण उपयोग करने के हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रुपरेखा क्या है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवरेड्डी) : (क) और (ख) : पाकिस्तान से अभी हाल ही के संघर्ष के कारण कलकत्ता-आसाम मार्ग पर रिवर स्टीम नौवेगेशन कम्पनी लि० द्वारा चालित नदी सेवायें सितम्बर, 1965 में निलंबित कर दी गई थीं। फिलहाल कम्पनी के बड़े के एक भाग को आसाम में स्थानीय नदी सेवाओं के लिये उपयोग में लाया जा रहा है। कम्पनी के अन्य मालमत्ते को पूरी तौर से उपयोग में लाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा फसल उगाही योजना का समाप्त किया जाना

*841. **श्री प्र० के० देव :**
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने खरीफ की उपज जैसे ज्वार, मक्का तथा धान पर लागू की गयी फसल उगाही योजना को समाप्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम उठाने से पहले राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से परामर्श कर लिया था; और

(ग) क्या भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों को भी वैसी ही कार्यवाही करने के बारे में परामर्श दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

Stores for selling foodgrains at cheap rates

*842. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to open stores in big cities for providing foodgrains at cheap rates; and

(b) if so, the names of the places and the basis on which they would be set-up?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). In all big cities, Government is already distributing foodgrains at prescribed prices through fair price shops or ration shops. More and more such shops are being operated through consumer cooperatives sponsored by Government.

बौछारी सिंचाई (स्प्रे इरीगेशन) तरीके

*843. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के रेतीले और शुष्क क्षेत्रोंमें बौछारी-सिंचाई तरीकोंसे सिंचाईकरने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्धमें किये गये प्रयोगों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में भावी योजना क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) विधि अभी तक प्रयोगात्मक अवस्थामेंहैऔरबड़े किसी पैमानेपर शुरू नहींकिया गया है।

(ख) कपास पर केवलएकप्रयोग सी० ए०जैड० आर० आई० में दोवर्ष से चलायागया है। फ्लैट या फुरो सिंचाई तरीकों की अपेक्षा इसके द्वारा 10 से 15 प्रतिशत पानी का कम ोग हुआ है। फिर भी, रेतीली भूमि होने के कारण कम पानी के प्रयोग का अन्तर बौछारी-सिंचाई लगाने के भारी खर्चको पूरा नहीं करता।

(ग) प्रयोगों के नतीजोंके बाद ही सरकार कोईनिर्णय करेगी। वर्तमान सूचनाओं के अनुसर उपकरण की भारी लागत के कारण बौछारी-सिंचाईको बड़े पैमानेपर शुरूकरनाउचित नहीं समझा गया है।

मौंट ब्लाक पर एयर इंडिया विमानकी दुर्घटना

*844. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य:
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम हरख यादव:
श्री मुरली मनोहर:
श्री लखमू भवानी :
श्री बसुमतारी:
श्री महम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1966 के "टाइम्स आफइंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 24 जनवरी, 1966को मौंट ब्लाक पर एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना इटली के एक लड़ाकू जेट विमानसे टकरा जानेकारण हुई थी;

(ख) क्या इस समाचार की सचाई का पता लगाने के लिये कोई पूछताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवरेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अब तक की गईजांच इस रिपोर्ट की विशुद्धता को आंकनेमें असफल रही है। जांच करने वाला फ्रेंचआयोग, जो दुर्घटनाकी जांच कर रहा है, इस पहलू पर विचार करेगा।

खाद्य क्षेत्र

***845. श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री किशन पटनायक :
श्री बसुमतारी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को खाद्य क्षेत्र सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राज्य सड़कें

***846. श्री नि० रं० लास्कर:**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों को मिलाने वाली अन्तर्राज्य सड़कें बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या योजना को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथ पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। सब राज्यों की राजधानियां सड़कों के एक अच्छे कार्यजाल से संबद्ध हैं जो अन्तर्राज्य सड़कों का कार्य करती हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डे पर प्राथमिक उपचार की सुविधायें

***847. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर प्राथमिक उपचार की सुविधायें अपर्याप्त बताई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पालम हवाई अड्डे पर पर्याप्त प्राथमिक उपचार की सुविधाय उपलब्ध हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार की सहायता देने के लिये एक हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारी हर समय उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त, एयरफोर्स मेडिकल निरीक्षण कक्ष पर भी प्राथमिक उपचार की सुविधायें उपलब्ध हैं। जिन व्यक्तियों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें निकटके किसी हस्पताल में ले जाने के लिये भी प्रबन्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग

*849. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बतानेकीकृपा करेंगे कि:

(क) क्या यहसचहैकि उत्तर प्रदेश में कईलाख लोग खांडसारी बनानेका काम करते हैं;

(ख) क्या यहभीसचहैकिखांडसारी को राज्य से बाहर भेजने पर लगे प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप इस वर्ष खांडसारी का काफी स्टाक जमाहो गयाहैऔर उस का भाव बहुत गिर गया है जिससे खांडसारी गन्ना उत्पादकों को बहुत घाटाहो रहाहै;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकारने केन्द्रीय सरकारसे इस प्रतिबन्ध को हटानेके लिये अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे):(क) उत्तर प्रदेश में कितने लोग खण्डसारी बनानेमें लगे हुयेहैं, उनकी ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं है।

(ख) ये खबरें हैं कि उत्तर प्रदेशमें खण्डसारी काबहुत अधिक स्टाकएकत्रितहो गया है और खण्डसारी के भावों में गिरावट का रुख आया है। उत्तरप्रदेश से खण्डसारी के निर्यात के लिये बड़े कोटे की घोषणा होने से भावों में बढ़ोतरी का रुख आया है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकारने इस मामलेपर विचार किया है और उत्तरप्रदेश से खण्डसारी के निर्यात के कोटे और निर्यात सम्बन्धी प्रक्रिया को भी उदार बनाने का निर्णय किया है।

Expenditure on Loading and Unloading of Foodgrains at Agra Depot

*850. **Shri Bagri :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the estimate of expenditure for loading, unloading and transport works at Agra Depot during the period from the 17th October, 1961 to 16th October, 1963 was Rupees three and a half lakhs approximately;

(b) whether an amount of about Rupees eighteen lakhs instead of Rupees three and a half lakhs was paid by Government to the contractor for the work done at Agra Depot and whether Government propose to hold an enquiry into the excess payment of about Rupees fourteen and a half lakhs; and

(c) whether Government have taken any action against the officers responsible for the excess payment and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) For the purpose of comparative evaluation of tenders received after open tender enquiry, the expenditure during the period of the new contract was estimated at about Rs. 3.28 lakhs, on the basis of the actuals during the preceding year. This was in accordance with the practice in vogue then.

(b) The payment has been of the order of Rs. 18.53 lakhs for the actual services performed by the contractor at the approved rate for different items of services. There is no question of any excess payments. The volume of work during this period far exceeded the actuals of the previous year and the payments were made for the work actually done by the contractor and duly verified.

(c) Does not arise.

बम्बई में सरकारी परिसमापक (लिक्विडेटर)

*851. **श्री खाडिलकर:** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बम्बई में सरकारी परिसमापक के कार्यालय में किसी गबन (डिफाल्केशन) के मामले का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो वह गबन किस प्रकार का और कितनी राशि का है, उसके लिये कौन उत्तरदायी है और वह कब किया गया था; और

(ग) क्या समवाय विधि बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकारी परिसमापक बम्बई के कार्यालय का समय समय पर निरीक्षण किया गया है ?

विधी मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) जी हां ।

(ख) कोलाबा मिल्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड (जो समापन में है) के किरायेदारों से वसूल किये गय किराये के एक भाग का इस कार्यालय में गबन किया गया है । मामले की पुलिस एवं विभाग द्वारा जांच होरही है । गबन किये गये धन की ठीक राशि, समय जिससे वह सम्बद्ध है और उत्तरदायी व्यक्तियों का पता जांच पूरी होने पर चलेगा । अबतक की विभागीय जांच 28,700 रुपये की रकम का गबन बताती है जो हिसाब के अन्तिम मिलान पर संशोधित हो सकती है । सन्देहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार या पदच्युत या निलम्बित किया गया है ।

(ग) जी हां, कम्पनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ।

एयर इण्डिया के विमानों की उड़ानों के दौरान लेन देन में रुपये में भुगतान स्वीकार न करना

*852. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया अपने विमानों की उड़ानों के दौरान किये जाने वाले लेनदेन में भारतीय यात्रियों से भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रुपये पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा; और

(घ) क्या इसके अन्य उपाय के रूप में यात्रियों को अधिक विदेशी मुद्रा ले जाने दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की व्यवस्था के अनुसार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

राज्यों में सूखे की स्थिति सम्बन्धी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन

***853. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए कार्यवाही करने के सुझाव देने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई सचिवों की विशेष समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5926/66।]**

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

***854. श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने से रोकने और उन्हें देश के देहाती क्षेत्रों में बांटने में उपभोक्ता सहकारी समितियां क्या काम कर रही हैं ; और

(ख) क्या देश के देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियां बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नियम के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से उपभोक्ता सहकारी समितियां गठित नहीं की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा विपणन समितियों द्वारा अपनी सामान्य गतिविधि के एक भाग के रूप में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। बहुत से राज्यों में, ये संस्थाएं नियंत्रित मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानें चला रही हैं।

(ख) जी हां। प्रस्ताव है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए विपणन सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा समितियों को अधिक संख्या में चुना जाए।

Wastage of Foodgrains

*855. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 277 on the 1st March, 1966 and state how far the measures taken to stop wastage in foodgrains have proved successful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : It is difficult to indicate precisely the savings derived from measures taken to stop wastage in foodgrains. It is, however, estimated that quantity of foodgrains treated for storage pests by Plant Protection organisations has gone up from 5 lakh tonnes in 1960-61 to 20 lakh tonnes in 1964-65. This does not include substantial quantities of foodgrains treated by individual farmers and traders. In addition all the imported foodgrains are properly protected against damage in storage.

आयात किये गये गेहूं का कोटा

*856. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री हेडा :

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उनका आयातित गेहूं का कोटा बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और उन्होंने कितनी अधिक मात्रा की मांग की है है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) : कुछ राज्यों ने खाद्यान्नों की मासिक आवश्यकताओं में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा है जबकि अन्य राज्यों ने ऐसे किसी परिवर्तन के लिए नहीं कहा है। राज्य सरकारों द्वारा अपनी मासिक आवश्यकताओं में बताए गए परिवर्तनों और केन्द्र के पास कुल उपलब्धि को ध्यान में रखकर केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों का मासिक आवंटन किया जाता है। राज्य द्वारा मासिक आवश्यकता में बताए गए परिवर्तन का महीना विशेष की समाप्ति पर कोई महत्व नहीं रहता है क्योंकि किसी भी राज्य द्वारा आवश्यकताओं में बताए गए परिवर्तनों और उस राज्य के लिए निर्धारित मासिक कोटों का मिलान करते समय इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के बीज फार्म

*857. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री दे० जी० नायक :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के बीज फार्मों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (इंडियन चैम्बर आफ कामर्स) को लिखा है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उद्योगपतियों द्वारा सहयोग करने के प्रस्ताव से सरकार का किस प्रकार लाभ उठाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल को लिखा गया था कि वह अपने संलग्न वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के माध्यम से पता लगायें कि क्या इसके सदस्य देश में बीज के व्यापार को अपने हाथ में ले सकते हैं ।

(ग) मण्डल को लिखे इस पत्र के उत्तर में केवल एक उत्तर प्राप्त हुआ था । इस संस्था से कुछ ब्यौरा मांगा गया था और उसकी प्रतीक्षा है ।

(घ) बीज व्यापार में प्राइवेट संस्थाओं की दिलचस्पी पैदा करने का प्रस्ताव है । विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा तैयार करना तथा सहायता लेने के बारे में सुझाव देना गैर-सरकारी संस्थाओं का काम है ।

विमान दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच

*858. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ह० चं० सोय :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रानेन सेन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोक्कर फ्रैंडशिप तथा कारवेल विमानों की हाल में हुई दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य होंगे ; और

(ग) वह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) मैं सभा की मेज पर अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण रखता हूं ।

(ग) समय की हदतय करना कठिन है क्योंकि यह प्रत्येक मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी जांच को पूरा करने में तीन से छः महीने लगते हैं ।

विवरण

(ख) फोक्कर फ्रैण्डशिप तथा कारवेल विमान की दुर्घटनाओं की जांच करने के लिय नियक्त जांच की दो अदालतों का निर्माण नीचे दिया गया है :—

फोक्कर फ्रैण्डशिप विमान

पंजाब हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला	कोर्ट
1. नागर विमानन के उप-महा निदेशक श्री जी० सी० आर्य 2. नागर विमानन विभाग में वायु सुरक्षा के निदेशक श्री वाई० आर० मल्होत्रा 3. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कप्तान एच० डी० मेहरा	असेसर

कारवेल विमान

पंजाब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला	कोर्ट
1. नागर विमानन के उप-महा निदेशक श्री जी० सी० आर्य 2. नागर विमानन विभाग में वायु सुरक्षा के निदेशक श्री वाई० आर० मल्होत्रा 3. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कप्तान एच० डी० मेहरा 4. दिल्ली फायर सेवा में मुख्य फायर अधिकारी श्री ए० बी० अडवानी	असेसर

पर्यटक निगमों का विलय

*859. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गत वर्ष स्थापित किये गये दोनों निगमों का जिन के नाम पर्यटक-होटल निगम तथा पर्यटक परिवहन निगम हैं, विलय करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटक विभाग तथा निगमों का प्रस्तावित पुनर्गठित ढांचा क्या होगा ; और

(ग) पुनर्गठन किन परिस्थितियों के कारण किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी इसे पूरा करने में समय लगेगा ।

(ग) किफायत और सुचारू समन्वय के लिये पुर्नसंगठन करना आवश्यक समझा गया है ।

अनाज संग्रह व्यवस्था

*860. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एक अच्छी अनाज संग्रह व्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्नों का सामान्य सर्वेक्षण तथा विश्लेषण करने के लिये नियुक्त किये गये भारत तथा स्वीडन के विशेषज्ञों के अध्ययन दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो परिणाम क्या निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें दी गयी है, सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5927/66।]**

(ग) कांडला बन्दरगाह पर जो अन्तरिम रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गयी थी, सरकार ने उसपर विचार किया है। तथापि, मुख्य रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है।

(घ) कांडला बन्दरगाह पर अन्तरिम रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट जिसमें इंजीनियरिंग प्लान और डिजाइन शामिल है, तयार करने का काम जारी रखा जाए।

कृषि उत्पादन बोर्ड

*861. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे० द० पुरी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में कृषि उत्पादन बोर्ड की सदस्य-संख्या तथा अधिकार कितने बढ़ा दिये गये हैं ताकि वह सुचारु रुप से कार्य कर सके;

(ख) क्या इस बोर्ड के निर्णयों को भारत सरकार के निर्णयों के बराबर मान्यता दी जायेगी; और

(ग) बोर्ड द्वारा मंत्रालय विशेष से सम्बन्धित मामले पर विचार करते समय उस मंत्रालय के मंत्री को सहयोजित सदस्य के बारे में यदि कोई उपबन्ध है, तो वह क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० श्यामधर मिश्र) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के प्रस्ताव संख्या 2-4/65-ए०पी०बी० दिनांक 10 दिसम्बर, 1965 जो भारत के गज़ट के भाग 1 अनुभाग 1 (पृष्ठ 26) दिनांक 1-1-1966 में प्रकाशित हुआ, के अनुसार कृषि उत्पादन बोर्ड की सदस्य-संख्या तथा अधिकार बढ़ा दिए गए थे।

(ख) बोर्ड के निर्णयों को भारत सरकार के निर्णयों के बराबर मान्यता तभी दी जाती है जब तक कि वे योजना व्यवस्था तथा सम्बन्धित मंत्रालयों की अनुमोदित बजट व्यवस्थाओं की सीमा में होते हैं।

(ग) बोर्ड के अध्यक्ष को अधिकार है कि वह किसी अन्य मंत्री को बोर्ड का सदस्य बना सकता है यदि उसके मंत्रालय के मामले किसी मीटिंग में बोर्ड के सामने रखे गए हों।

मछली उद्योग सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

2931. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन रूसी विशेषज्ञों से मछली सम्बन्धी कोई प्रतिवेदन मिल गये हैं, जिन्होंने हाल ही में देश का दौरा किया था;

(ख) प्रतिवेदन में देश में मछली उद्योग का विकास करने के लिये कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं;

(ग) क्या केरल के समुद्री तट पर मछली उद्योग का विकास करने के बारे में कोई सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ): सोवियत रूस से एक दल जिसमें मात्स्यकी विशेषज्ञ, प्रोसेसिंग विशेषज्ञ और बन्दरगाह विशेषज्ञ हैं, भारत आया था। यह दल सोवियत रूस सरकार द्वारा दी जा सकने वाली सहायता के स्वरूप का निर्धारण करने के लिये विचार विमर्श करेगा और कई मत्स्य-हरण केन्द्रों औरप्रयोग किये जा रहे उपकरणों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करेगा। कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है लेकिन आशा है कि मास्कोमें अधिकारियों के साथ परामर्श करनेके बाद ठोस सुझाव प्राप्त होंगे।

केरल में टपिओकाके खाये जाने वाले आटे को तैयार करना

2932. **श्री अ० कं० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतका खाद्य निगम केरल राज्य में टेपिओकाके खाये जानेवाले आटे को तैयार करने के उद्देश्य से कुछकारखाने खोलने की योजनाबनारहाहै; और

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने किन किन केन्द्रोंमें खोले जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Foodgrains to Maharashtra

2933. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsi Das Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state the total quantity of foodgrains (rice, wheat, maize and gram) asked for by the Government of Maharashtra during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66 and the quantity supplied, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : The requirements of each State are examined in consultation with the State Governments and supplies are arranged keeping in view the needs of all the States and the overall availability of foodgrains with the Central Government. During the years 1963, 1964 and 1965, the following quantities of foodgrains were actually supplied to the State of Maharashtra :—

Year	(In lakh tonnes) Quantity
1963	6.48
1964	13.12
1965	14.84

For the year 1966, Maharashtra have been allotted so far 8.8 lakh tonnes o foodgrains.

अमरीका से गेहूं का आयात

2934. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत को अमरीकी संभरणकर्ताओंसे गेहूं खरीदने के लिये दो "फूड फार पीस" प्राधिकार पत्र दिये हैं,

(ख) यदि हां, तोप्राधिकार पत्रों का ब्यौराक्या है, और

(ग) इन प्राधिकार पत्रोंसे कितनी मात्रा में गेहूं खरीदा जा सकेगा और उस का मूल्य क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) :संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने पी०एल० 480 के अधीन गेहूं के लिये पहली मार्च, 1966 को दो क्रय प्राधिकार और 10 मार्च, 1966 को अन्य दो क्रय प्राधिकार दिये हैं। इन के ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

क्रय प्रा०सं०	वस्तु	मात्रा	राशि	विवरण
39-183	हार्ड गेहूं	23,492 मीटरी टन	1,381,000 डालर	ठेका अवधि 8-3-1966से 30-4-1966 लदान अवधि 8-3-1966से 31-5-1966
39-184	हार्ड गेहूं	30,431 मीटरी टन	1,788,500 डालर	"
39-185	हार्ड विन्टरगेहूं	637,000 मीटरी टन	37,440,500 डालर	ठेका अवधि 17-3-1966 से 31-5-1966 लदान अवधि 17-3-1966 से 30-6-1966
39-186	हार्डविन्टरगेहूं	85,000 मीटरी टन	4,997,000 डालर	ठेका अवधि 10-3-1966 से 31-3-66लदान अवधि 10-3-1966से 30-6-66

भारत और बेल्जियम के बीच विमान सेवा

2935. **श्री राम हरख यादव :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतऔर बेल्जियमके बीचविमानसेवा चालू करने के लिये भारत और बेल्जियम ने एक विमान संचालन करार पर हस्ताक्षर कियेहैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवरेड्डी): (क) और (ख) : बेल्जियम तथा भारत के प्रदेशोंतक या परे वायु सेवाओंके संचालनकेलिये करार केएक मसौदे पर नई दिल्ली में 4मार्च, 1966को प्रथमाक्षर हुए। करार हस्ताक्षर तथा सत्यांकनके बाद लागू होगा। तब तक, करार की शर्तें गोपनीय समझी जायेंगी।

वस्तु समितियां

2936. श्री राम हरख यदव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति सहित विभिन्न वस्तु समितियां समाप्त कर दी हैं तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के प्रशासन के अधीन भारतीय पटसन विकास समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित बोर्ड का ब्यौरा तथा उसके सदस्य कौनकौनहैं; और

(ग) उसके अधिकार तथा कार्य क्या होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1अक्तूबर, 1965से नौपण्य समितियोंमेंसे निम्नपांच पण्य समितियों को (जिनमें भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति भी शामिल है) तोड़ दिया गया है:—

(1) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति;

(2) भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति;

(3) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति;

(4) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति; और

(5) भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति ।

निम्नलिखित चार समितियों को पहली अप्रैल 1966से तोड़ दिया जाएगा:—

(1) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति;

(2) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति;

(3) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति; और

(4) भारतीय केन्द्रीय लाख समिति ।

भारतीय केन्द्रीय पटसनसमिति के तोड़े जाने पर कृषि विभाग पटसन के विकास तथा विपणन के उस समस्त कार्य की देख-रेख कर रहा है जिसकी देख-रेख समिति करती थी । भारत सरकार की सहायतातथा परामर्श के लिए कृषि विभाग के अधीन एक भारतीय पटसन विकास परिषद् का गठन किया गया है ।

(ख)और (ग): एक विवरण नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5928/66 ।]**

केन्द्रीय शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) सम्बन्धी सलाहकार समिति

2937. श्री राम हरख यादव: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीतागार आदेश, 1964 के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय शीतागार सम्बन्धी सलाहकार समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौनहैं; और

(ग) समिति के निदेशपद, शक्तियां तथा कार्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविद मेनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): सरकारी संकल्प की एक प्रति जिसमें समिति की संरचना, कार्यविधि और कार्य दिये गये हैं, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5929/66।]**

राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों का संभरण

2938. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन क्षेत्रों में जहां राशन व्यवस्था लागू है, वितरण और विक्रय के लिए गेहूं तथा अन्य अनाजों की कुछ विशेष किस्में निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इन किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को निर्धारित किस्मों के प्रतिकूल घटिया किस्म के गेहूं तथा अन्य अनाज बेचने पर क्या दण्ड देने की व्यवस्था है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग): देश में वितरित अथवा बेचे जाने वाले सभी खाद्यान्न को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन निर्धारित किस्म मानकों के अनुरूप होना चाहिये। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट बी में मद ए० 18.06 पर इन मानकों का ब्यौरा दिया गया है। देश में अवमानक खाद्य वस्तुओं की बिक्री करना उक्त अधिनियम के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

धान का समाहार

2939. श्री थेनगोंडर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा थानजवुर जिले के मन्नारगुड्डी में वसूल किये गये धानों को छिलका उतारने के लिए काफी दूर भेजा जाता है और खाद्य निगम के गोदाम में उन्हें फिर वापस लाया जाता है जिस पर काफी खर्च आ जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उन्हें लाने ले जाने में प्रति क्विन्टल कितना खर्च आता है और लाने ले जाने में होने वाले व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने थानजबूर जिले के मन्नागुड़ी में धान नहीं खरीदा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेपिओका का दाम

2940. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में गत कुछ महीनों से टेपिओका का दाम बहुत गिर गया है;

(ख) क्या दाम में यह कमी निर्यात पर रोक लगाने के कारण हुई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि टेपिओका पैदा करने वालों को लाभप्रद दाम मिलता रहे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, कुछ केन्द्रों में।

(ख) मूल्यों के निश्चित होने के कारणों में लाने ले जाने पर रोक लगाना भी एक कारण हो सकता है।

(ग) मूल्यस्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है। इस समय सरकार विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझती।

Tractor-Trolleys

2941. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether the agriculturists can make use of their tractor-trolleys for carrying manure to the fields; and

(b) whether the agriculturists are authorised to make use of their tractor-trolleys for selling their produce in the market?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). The information required is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received.

मध्य प्रदेश को चीनी का संभरण

2942. **श्री लखमू भवानी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी चीनी की आवश्यकता है; और

(ख) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश को वास्तव में कितनी चीनी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) शर्करा वर्ष, 1965-66 (नवम्बर-अक्तूबर) में मध्यप्रदेश को लगभग 1,64,000 मीटरी टन शर्करा का नियतन किया जाएगा।

(ख) राज्यसरकार को नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 तक 40,000 मीटरी टन शर्करा नियत की गयी है और उस अवधि में 34,935 मीटरी टन शर्करा उठायी गयी है।

स्कूटर रिक्शा का भाड़ा

2943. **श्री लखमू भवानी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा का भाड़ा अब और बढ़ा दिया गया है तथा सब स्कूटर-रिक्शाओं में टैक्सी जैसे मीटर लगा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब कितना भाड़ा लिया जायेगा तथा भाड़ा बढ़ाने के क्या कारण है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : स्कूटर रिक्शाओं की चालन लागतमें वृद्धि केकारण राज्य परिवहन अधिकारी, दिल्लीमें अपनी 9 मार्च, 1966की बैठक में 15-3-1966 से इनगाड़ियोंके किराये के ढ़ाचेमें निम्न वृद्धि की सहमति दी है। इसमें शर्तयहहैकि 6से नौमहीनेतक इनमें अनुमोदित फेयर मीटरलगालिये जाये।

(1) प्रथम $1\frac{1}{2}$ किलोमीटर या उसके लिये कम से कम 40 पैसे।

(2) उसके बाद के प्रत्येक आधे किलोमीटर या उसके भागके लिये 10 पैसे।

ट्रैक्टरों की आवश्यकता

2945. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

श्री मौर्य :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा**सहकार**मंत्री यहबतानेकी कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकारने भारी, मध्यम और छोटे ट्रैक्टरों सम्बन्धी (कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों की मांग के अतिरिक्त) भारतीय किसानों की वार्षिक आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) इसमांगमेंसे कितनीमांग देशमें निर्मित ट्रैक्टरोंसे पूरी करनेका प्रस्ताव है;

(ग) इसमेंसेकितनी मांग आयातसे पूरी की जायेगी और इन का आयात किन-किन देशों से तथा किस अनुपात में किया जायेगा;

(घ) इसमेंसे कितनी मांग पूरी नहीं हो सकेगी; और

(ङ) बढ़ती हुई मांगकी तुलनामें सीमीत सम्भरण के कारण ट्रैक्टरोंमें होने वाली चोर-बाजारी को रोकनेके लिये क्या कार्यवाहीकीगईहै?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। 1966-67 के लिए अनुमानित आवश्यकतायें निम्नलिखित हैं:—

12-18 अश्व शक्ति	. . .	6,000 संख्या
20-30 अश्व शक्ति	. .	12,000 संख्या
35-50 अश्व शक्ति	. . . .	2,000 संख्या
	कुल .	20,000 संख्या

(ख) 12-18 अश्व शक्ति	. .	1,000 संख्या
20-30 अश्व शक्ति	. . . .	8,000 संख्या
35-50 अश्व शक्ति	.	2,000 संख्या
	कुल	11,000 संख्या

(ग) और (घ) : कुछ ट्रैक्टर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ तथा चेकोस्लोवाकिया से आयात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आयातज़रूरी तौरपर सीमित होगा इसलिए मांग का कुछ भाग पूरा नहींहो सकेगा।

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा ट्रैक्टरों का आयात होता है। निगम मूल्य निश्चित करती है जिन पर ये एजैन्टों द्वारा बेचे जाने चाहिएं। एजैन्टों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक बिक्री आय के आधार पर बिक्री मूल्यों की जांच की जाती है। देश में बने ट्रैक्टरों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। देशीय ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता में हैलीपैड योजना

2946. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के हैलीपैड योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह हैलीपैड कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। कलकत्ता की हैलीपैड की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद में खाद्य पौलिटैकनिक

2947. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अहमदाबाद में खाद्य पौलीटैकनिक स्थापित करने का है;

(ख) क्या उसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार चलायेगी; और

(ग) इस संस्था में प्रशिक्षण देने का क्या कार्यक्रम है और वहां किस को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हाँ।

(ख) यह खाद्य पौलीटैकनिक संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसायटी द्वारा चलाया जाएगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इसका खर्चा देंगी और उन्ही का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा।

(ग) यह खाद्य के सम्बन्धित विभिन्न क्राफटों जैसे कि बेकरी, खाद्य परिरक्षण जिसमें फल तथा सब्जियों की डिब्बाबन्दी और निर्जलीकरण, पाक विधि, बेटिंग और होटल स्वागत शामिल हैं, में प्रशिक्षण देगा। अन्य मदें जैसेकि मछली हैण्डलिंग, मांस हैण्डलिंग, खाद्यान्न विधायन, शीतागार आदि को यथा समय सम्मिलित किया जाएगा। प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र या इसके बराबर योग्यता होगी या क्राफट ट्रेड में अनुभव रखने वालों में से चुने जाएंगे।

Profits earned by Air-India

2948. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Air-India have earned a profit of Rs. 3 crores during 1964-65; and

(b) if so, whether the profit has been earned as a result of an increase in the freight rates?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The operating profit of Air-India during the year 1964-65 was Rs. 362.03 lakhs.

(b) A number of factors contributed to the profit. The growth in cargo traffic and slight increases in the freight rates were among the factors which contributed to the earnings of the Corporation.

Cut in Civil Flights during Indo-Pak. Conflict

2949. Shri M. L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) the assistance rendered by the Civil Aviation Department in the defence operations during the Indo-Pak. Conflicts;

(b) whether there was any cut in the civil flights as a result of the assistance rendered or goods transported by them for defence purposes; and

(c) the regular routes on which the scheduled flights were cancelled during the recent Indo-Pak. conflict?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Air Traffic Control Services, air navigation and aeronautical communications facilities controlled by the Civil Aviation Department were kept at the disposal of the defence needs of the country. The Civil Aviation Department also supplemented the effort of the Indian Air Force in providing "eyes and ears" to the vast air space so as to detect immediately any enemy intrusion into the territory of India.

(b) and (c). No civil flights were cut as a result of the assistance rendered in the defence operations but as a matter of policy all services operated by Indian Airlines Corporation to and overflying Pakistan were suspended with effect from 6th September, 1965. A list of such suspended services is attached.

Indian Airlines Corporation services to Pakistan and overflying Pakistan Territory suspended from 6th september, 1965

Services to Pakistan

1. Delhi/Karachi
2. Delhi/Lahore

3. Bombay/Karachi

4. Calcutta /Dacca.

Services overflying Pakistan Territory

1. Delhi/Kabul/Delhi
2. Calcutta/Bagdogra
3. Calcutta/Gauhati
4. Calcutta/Gauhati/Mohanbari
5. Calcutta/Tezpur/Jorhat
6. Calcutta/Agartala/Silchar
7. Calcutta/Agartala/Silchar/Imphal
8. Calcutta/Agartala/Khowai/Kamalpur/Kailashahar
9. Calcutta/Agartala/Gauhati
10. Calcutta/Gauhati/Tezpur/Jorhat/Lilabari/Mohanbari.

Marriage and Divorce Cases

2950. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of marriage and divorce cases registered during the year, 1965 under the various acts;

(b) whether Government have also found out the reasons for an increase in their number over the previous year;

(c) whether there has been an increase in the cases of suicide as a result of such marriages and divorce; and

(d) if so, the number thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): The required information is not available with the Government of India as marriage and divorce laws are administered by the State Governments.

उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता

2951. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1965-66 में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ऋण अथवा सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1966-67 में राज्य को कुल कितनी राशि दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख): 1965-66 में अबतक 25.550 लाख रुपए का ऋण तथा 39.586 लाख रुपए का अनदान मंजूर किया गया है।

(ग) इसके बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

U. S. Financial Assistance to Botanical Department of Gorakhpur University

2952. Shri Vishwa Nath Pandey : Willthe Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agriculture Department of America has provided financial assistance to the Botanical Department of Gorakhpur University under P.L. 480 agreement during 1964 and 1965; and

(b) if so, the total amount provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 2,69,305 over a period of five years.

Conference on community development schemes

2954. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether itis a fact that a conference was held in Delhi in December, 1965 in regard to community development schemes;

(b) if so, whether the proposal to give awards and promote these village level workers who have achieved the highest production in their areas has been accepted by Government; and

(c) whether the proposal will also apply in the case of Project Officers?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes. A Central Conference of Key personnel engaged in the implementation of the Intensive Agricultural Programmes in the States was held at New Delhi from 15th to 18th December, 1965 to review the progress and problems of the Intensive Agricultural Programmes.

(b) The Conference considered, *inter-alia*, proposals to award incentives to deserving workers at the district and block levels as a recognition of the good work done by them in the field of agricultural production. It was recommended that medals and certificates should be awarded to the district level officers who have shown outstanding performance. The block level staff including the Block Development Officer, Extension Officers and Village Level Workers should be given only certificates, in addition to suitable monetary awards, mainly in the form of lumpsums of money to be given preferably on the eve of festivals or important occasions. This recommendation has been forwarded, along with the other recommendations of the Conference to the State Governments for consideration and necessary action.

(c) The District Level Officers to be awarded medals and certificates include Project Officers, besides the District Agricultural Officers, Dy. Assistant Registrars of Cooperative Societies, Subject-Matter Specialists, etc.

सहकारी संस्थायें

2955. श्रीप्र० रं० चक्रवर्ती: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अनुरूप सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियोंको प्रबन्ध सम्बन्धीप्रशिक्षण देने के सुझावपर विचार किया है;

(ख) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओंका एकक्षेत्र बनाने के हेतुसहकारी संस्थाओं का कहांतक उपयुक्त स्वरूप बनाया गया है ताकि वेलागतस्तर, उत्पादन-क्षमता, व्यापारिक सम्बन्ध तथा प्रबन्ध कुशलताकी दृष्टिसे गैर-सरकारीक्षेत्र के समरूपहो जाय; और

(ग) क्या देशके विभिन्न क्षेत्रोंमें काम कर रहेकेन्द्रीयसहकारी स्टोरके गैर-सरकारी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता कर सकने की आशा बंधी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) ऋण, विपणन, प्रोसेसिंग तथा वितरण के क्षेत्रोंमें सहकारी समितियां गठित की गई है। उन्हें प्रशिक्षित कर्मचारी, वित्तीय सहायता, आवश्यक वस्तुओंकी सप्लाईऔर सदस्यों तथा गैर-सरकारी पदधारियोंके लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ करके सहायतादीगईहै।

(ग) जी हां ।

उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन

2956. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारने उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन कोतेज़ करनेकेलिए 1965-66में उड़ीसा सरकारकोकोई ऋण अथवा सहायतादी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क)व (ख): जीहां। 1965-66 मेंअब तक 8.692 लाख रुपए का ऋण तथा 25.221 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है।

उड़ीसा में गन्ने कीखेती का विकास

2957. श्री रामचन्द्र उलाका:

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीयसरकारने उड़ीसा को उस राज्यमें गन्ने की खेती का विकास करने के लिये 1965-66 में कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदिहां, तो उसकाब्यौराक्याहै; और

(ग) उस राज्य में कुलकितने एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती कीगईऔरउसअवधि में उड़ीसा में गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयमें उपमंत्री (श्रीशिन्दे): (क) योजना के अनुसार कोई अलग अनुदान मंजूर नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारद्वारा वर्ष के दौरान कियेगये खर्चे के आधार पर प्रत्येक वर्ष मार्चमें सभी कृषि विकास योजनाओं जिनमें गन्ना विकास योजनाएं भी शामिल हैं, के लिये इकमुश्त राशि मंजूर की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

कृषि विशेषज्ञ

2958. श्री बादशाह गुप्त : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा**सहकार** मंत्री यहबताने **की** कृपाकरेंगे कि केन्द्रीय सरकार की सेवामें काम कर रहे कृषि विशेषज्ञों की पदालि क्याहैं तथा मासिकवेतन सहित पदालिवार उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथासहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है औरसभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता

2959. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों ने, जहां सूखापड़ाहै तथा वर्षानहींहुईहै, अपने राज्योंमें सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने भूमिगत जल संसाधनों का उपयोगकरनेके लिए विशेष वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है तथा उनको कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथासहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): कई राज्योंमें अकाल की परिस्थितियों के मौजूद होने केकारण सरकारने लघु सिंचाई, जिसमें नलकूपों का निर्माण, कुओं की खुदाईतथा पम्पसैट लगानेभी शामिलहैं, के विकास पर विशेष जोरदियाहै। आपत्कालीन खाद्य उत्पादन अभियान के अन्तर्गत राज्यों को लघुसिंचाई कार्यक्रमों को गतिमान करने में राज्यों को सहायता देने तथा अकाल ग्रस्त क्षेत्रोंमें लघु सिंचाई योजनाओं की शुरुआत में सहायता देने की दृष्टि से भारतसरकारने 1965-66 की अवधि में विभिन्न राज्यों को समय समय पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है।

1965-66के शुरू में जिन मूलखर्चों के बारेमें सहमति प्रकटकीगईथी तथा विभिन्न राज्यों को अपनीलघु सिंचाईयोजनाओंकी क्रियान्विति के लिए 1965-66में समयसमयपर जोअतिरिक्त धन राशियां दी गईथीं, उनको प्रदर्शित करनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गयाहै। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल०टी० 5930/66।]**

फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता

2960. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने देश में राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन प्रयासोंकी सहायतार्थ भारत को 13लाख डालर का अनुदानदेने की पेशकशकी है; और

(ख) यदिहां, तो इसअनुदानमेंसे किन परियोजनाओं को वित्त प्रदान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) किसी नई सहायता की पेशकश नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध चलाये गये सिविल मुकदमें

2961. श्री गुलशन: क्या **विधि** मंत्री यहबताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965में सारेभारत में केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कितने सिविल मुकदमें चलाये गये; और

(ख) किन मुकदमोंमें सरकार के विरुद्ध निर्णय हुआ औरउन परयदिकोई कार्यवाही की गई हैतो क्या ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क)और (ख): जो जानकारी मांगी गई है वह तुरंत उपलब्धनहींहै । उसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से तथा राज्योंसे भी प्राप्त करनाहोगा औरइस में काफी समय लग जाएगा ।

एयर इंडिया को होने वाला लाभ

2962. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन**मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सचहै कि क्यापिछले वर्षोंकी तुलनामें 1965-66 में एयरइंडिया को कम लाभ हुआहै;

(ख) यदि हां, तो इसके क्याकारण हैं; और

(ग) लाभ कम न होने पाये इसके लिये क्या कार्यवाही की गईहै?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्रीसंजीव रेड्डी) : (क) 1965-66 के चालू वर्षके दौरान प्राप्त परिणामोंके अनुसार एयरइण्डिया का 1962-63, 1963-64और 1964-65 के पिछलेवर्षों के मुकाबलेमेंचालन लाभ कम हुआ ।

(ख) खर्चों में बढ़ौतरी और परिचालनों का कम किया जाना इसके मुख्य कारण हैं।

(ग) हानि को कमकरने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं वे ये हैं (क) परिचालनों को बढ़ाकर क्षमता में वृद्धि करना और (ख) खर्च में यथासम्भव कमी करना।

Bridge Across Kosi River on Lateral Road

2963. Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme to construct a lateral road which would cross over the River Kosi;

(b) whether it is also a fact that no decision has been taken so far regarding the point at which it would cross the river Kosi and for that reason an important portion of that road is not being constructed; and

(c) when the decision will be taken and the work completed?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). A statement giving the required information is attached.

Statement

(a) Yes. The scheme is, however, not provided in the first phase of construction of the lateral road.

(b) Investigations, which will include surveys, model studies etc., are being made to fix the location of a suitable site for a barrage across the river Kosi by the Central Water & Power Commission. The road bridge will be located on the barrage so as to utilize the expensive river training works required for the Kosi. The construction of the road approaches to the bridge joining the link roads now being constructed under the lateral road project between Muzaffarpur and Darbhanga on the Western side and Araria and Forbesganj on the Eastern side, would be taken up after a suitable site for the barrage-*cum*-bridge has been found.

(c) A decision will be taken after the investigations for the barrage-*cum*-bridge site are completed. It will also be subject to the availability of funds. The work will take about 3 years to complete after it is sanctioned.

वनों का उजाड़ा जाना

2964. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसबातका कोई अनुमानलगायागया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ बन उजाड़े गये; और

(ख) यदिहां, तो उक्तअवधिमें कितने एकड़बन उजाड़े गये?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : पूछीगईजानकारी राज्य सरकारोंसे इकट्ठी की जा रहीहै और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भूकम्प

2965. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1966 में भारतमें कितनी बार भूकम्प आये; और

(ख) उनका वेग क्या था?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क)और (ख): 7 फरवरी, 1966को भारत में साधारण तीव्रता वाला 1 भूकम्प और मामूली तीव्रता वाले 7 भूमि कम्पन रिकर्ड किये गये थे। इसकेअतिरिक्त, विश्व के दूसरे भागोंमें भी एक बहुतबड़ी संख्यामें भूकम्प और भूमि-कंपन रिकर्ड किये गये।

भूमि पर उर्वरकों का प्रभाव

2966. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बडे :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन उर्वरकोंकी भूमि की उर्वरकता तथा खाद्यान्न की किस्म पर क्या खतरनाक प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरक कुछ समय बाद भूमि की उत्पादकता समाप्त कर देते हैं और भूमि को बंजरतथा अनुत्पादक बना देते हैं;

(ग) क्या सरकारको भारत में सर अलवर्ट हावर्डस की उपपत्तियों का पता है कि उर्वरक भूमि के लिये भारी अभिशाप हैऔर ये खाद्यान्न की पौष्टिक तत्वोंको नष्ट कर देते हैं; और

(घ) क्या सरकारको यहभीपताहैकि जबकि पश्चिमीदेश प्राकृतिक खादोंसे खेती करने के तरीकों को अपना रहे हैं; हम भारत में खेतीमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगको अपना रहे हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) संसार के समस्तभागोंमें हुए प्रयोगोंसे सिद्धहोताहै कि यदि रासायनिक उर्वरकों का उचित ढंग से उपयोग कियाजाए तो भूमिया खुराकपर उनका कोईबुराप्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) यदि उर्वरकों का असन्तुलित ढंग से प्रयोग किया जाए तो उसका भूमि की उत्पादन क्षमतापर दुषपरिणामहो सकताहै। परन्तुयदिभूमि के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर रासायनिक उवरकों का प्रयोग कियाजाए तो भूमि बंजर या नाकारा नहीं होती और यहबात भारत तथा अन्य समस्त देशों में हुए दीर्घकालीन परीक्षणों से सिद्ध होती है। सर अलवर्ट हावर्डस ने भारत में इस विषय में जो कार्य किया है उसका सम्बन्ध मुख्यत: खेतों के कूड़े-करकट से अमूल्य खाद की तैयारी से है और इसदिशामें सरहावर्डस काकार्य बड़ाही सराहनीय है। सर हारवर्डस ने श्रीवाई० डी० वाड के सहयोगसे 1931में "दी वेस्ट प्रोडक्टस आफ एग्रीकल्चर" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में भूमि में कार्बनिक पदार्थ की सप्लाईको जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथही पुस्तकमें निम्न-लिखित बातें स्पष्ट करके लिखी गई हैं:

"(1) निःसन्देह परीक्षणोंसे यह सिद्धहुआ हैकिनाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश को मिलाकर उचित ढंगसे भूमि में उपयोगकरनेसे कार्बनिक पदार्थों की मिलावट करने के बिना उगाईहुई फसलों की जड़ों से हीप्राप्त होनेवाली खाद से ही काफी वर्षों तक अच्छी फसलें प्राप्त की जा सकतीहैं; और

(2) अबयह धारणाज़ोर पकड़तीजारही हैकिकार्बनिक पदार्थोंके उचित प्रयोग के पश्चात ही रासायनिकखादोंसे पूरा लाभउठायाजा सकता है। ऐसीभूमि में (जिसमें पहलेही काफी उवरता मौजूद है) रासायनिक उर्वरकों के उचित उपयोग के क्षेत्र में परीक्षण करने की काफी गुंजाइश मौजूद है।"

(ग) सर हावर्डसने "एनएग्रीकल्चरलटेस्टामेंट, 1940" नामक एक अन्य पुस्तक में (जो उनके भारतसे चले जाने के पश्चात प्रकाशित हुईथी) अप्राकृतिक उर्वरकोंके विरुद्धतथा कूड़ा-खाद के पक्ष में लिखा है।

यह कहा जासकता है कि इस समयसंसार "नेचर्स ओन एग्रोकल्चर" से काफी दूर चलागयाहै। निरन्तर उत्पादनशीलता को बनाये रखने के लिए प्रकृति के सन्तुलनमें परिवर्तन हो चुकाहै, और आज के दिन जबकि मानव तथा पशुओं की संख्या बड़ी विषमतासे बढ़ रहीहै, भूमिमें छोड़े हुए फसलों के बचे खुचे अवशेषोंसे, भूमिको पूर्ण रूपसे उर्वरताशक्ति नहीं मिलती। अतः आज कल रासायनिक उर्वरकों के बिना गुजारा नहींहोसकता। जैसाकि पहलेकहाजाचुका है रासायनिक उवरकों के प्रयोगसे खुराककी पौष्टिकता पर कुप्रभावनहींपड़ता। विज्ञानइस बात कोनहीं मानता कि ठीक ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए तोभी उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरीओर यदि रासायनिक उवरकोंका उचित रूप से प्रयोग किया जाए तोबड़ा लाभहोता है।

(घ) कार्बनिक उर्वरकोंके लाभके बारेमें कोई सन्देह नहींहै परन्तु यह कहना ठीक नहींहै कि पश्चिमी देश कार्बनिक उर्वरकों को अपना रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग त्याग रहे हैं। 1963-64की अवधिमें संसारभरमें तीन प्रमुख उर्वरकों (एन०एण्ड पी० एण्ड के०) की औसत खपत 9.14 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी जबकि भारतमें यह खपत केवल 3.39 किलोग्राम है। यूरोपतथा उत्तरी अमरीका में यह औसत क्रमशः 65.61 तथा 17.22 किलोग्राम है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात

2967. श्री वाडिवा :
श्री रा० सं० तिवारी :
श्री लखमू भवानी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार**मंत्री यहबतानेकी कृपा करेंगे कि:

(क) चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान शीर्षक 2कार्यक्रम के अन्तर्गत मजूरी के स्थान पर भोजनके रूप में पी०एल० 480 के गेहूं के आयात के सम्बन्धमें की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्याकिसी राज्यने पहले भी ऐसी योजनासे लाभ उठाया था,

(ग) यदिहां, तो उसका ब्यौराक्याहै, और

(घ) शीर्षक 2 कार्यक्रम के अन्तर्गत मजूरीके स्थानपर अमरीकासे प्राप्तभोजन के सम्यक वितरण के लिए सरकार का क्या कार्यवाहीकरनेकाविचारहै?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्षमें पी०एल० 480 के शीर्षक II के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिकासे खाद्यान्नों के आयात के बारेमें अबतककोईनिर्णयनहींकियागया है।

(ख) और (ग): 1964 में जब राजस्थान में सूखा पड़ा था तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पी०एल० 480 केशीर्षक II के अधीन 30,000मीटरी टन गेहूं सुलभकियाथा। बादमें इसमें से लगभग 9,000मीटरीटन की फालतूमात्रा उत्तरप्रदेश में ग्रामीण कार्यक्रम के लिए जिन्स के के रूप में मजदूरी की अदायगी करनेकेलिए देदी गयी थी। पी०एल० 480के शीर्षकII के अधीन प्राप्त गेहूंको पश्चिमीबंगाल के पुरुलियाजिलेमें तालाबोंको सुधारनेवे काम में लगे व्यक्तियों को जिन्स के रूप में मजदूरीकी अदायगी करने के लिए भी दिया गया है।

(घ) इन कामोंपर लगे व्यक्तियों में खाद्यान्न बांटने की प्रक्रिया सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। तथापि, राज्यसरकारोंको सुझावदियागयाहैकि वेखाद्यान्नोंके कूपन देने की पद्धति अपनाएं जिससे किकमी सम्बन्धी राहत कार्योंपर वास्तवमें काम कर रहे व्यक्तियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंच सके।

कपास

2968. श्री कोल्ला वकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में कितने क्षेत्र में कपास की खेती की गई है;

(ख) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) देश में सूतीवस्त्र तथा सूत उद्योग को कितने कपास की आवश्यकता है; और

(घ) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में देश में उत्पादन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कितनी कपास का आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : आल इंडिया फाइनल एस्टीमेट आफ काटन, 1964-65, के लिए कपास का कुल क्षेत्र तथा उत्पादन 8,154 हज़ार हैक्टर्स तथा 5,408 हज़ार गाठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम) थी। 1965-66 के लिए ऐसी ही जानकारी जुलाई, 1966 (कृषि वर्ष, 1965-66 की समाप्ति के बाद) में किसी समय उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) 1964-65 में मिल की कुल खपत 6,372 हज़ार गाठें थीं और 1965-66 में लगभग 6,000 हज़ार गांठों की खपत की सम्भावना है।

(घ) 1964-65 में 850 हज़ार गाठों का आयात किया गया। इसी प्रकार की जानकारी अगस्त, 1966 में मौसम की समाप्ति पर उपलब्ध होगी।

खाद्य नीति

2969. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने खाद्य नीति विकल्पों के बारे में कांग्रेसी संसद सदस्यों में एक नोट परिचालित किया है;

(ख) क्या उस नोट में क्षेत्र, समाहार तथा राज्य व्यापार सम्बन्धी सरकार की नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र को उर्वरक का संभरण

2971. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965-66 में अब तक महाराष्ट्र को किस किस्म के उर्वरक दिये गये;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में उर्वरकों का कोटा बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :—

उर्वरक की किस्म	नियतन (1965-66)	7-11-66 तक सप्लाई की गई मात्रा
	मीटरी टन	मीटरी टन
सल्फेट आफ अमोनिया	1,28,820	1,28,820
यूरिया	41,776	31,700
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . . .	7,640	6,363
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट . . .	9,404	5,007
अमोनियम फास्फेट	200	..
अमोनियम क्लोराईड	1,000	972

(ख) तथा (ग): 1966-67 के लिए निर्धारण विचाराधीन हैं और सामान्य रीति के अनुसार त्रिमासिक आधार पर राज्य सरकारको निर्धारित कर दिए जायेंगे। 1966-67 के दौरान उर्वरकों की कुल उपलब्धि में अपेक्षित बेहतरी को दृष्टि में रखते हुए 1966-67 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय पूल से 1965-66 की अपेक्षा अधिक निर्धारण किए जायेंगे ।

महाराष्ट्र में सामुदायिक विकास खण्ड

2972. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1966-67 के दौरान राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों के लिए केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में जहाज बनाने का कारखाना

2973. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यहबतानेकी कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या गुजरातमें जहाजबनाने का एक कारखानास्थापित करने केलि ये भारत और यूगोस्लाविया की सरकारोंके बीच कोई बातचीतहुईहै; और

(ख) यदि हां, तो उसकाब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

Supply of Potato Seeds

2974. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have made provision of funds for grants to the State Governments for the supply of improved Potato-seeds with a view to increase their production; and

(b) if so, the break-up of grants given during the last four years, State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) The Central Government have, under Centrally sponsored scheme, given financial assistance to the State Governments only during 1964-65 and 1965-66 for increased production of disease-free, certified seed potatoes.

(b)

Name of the State	1964-65		1965-66	
	Loan	Grants	Loan	Grants
Andhra Pradesh	..	..	42,310	19,002
Assam	..	9,5	3,75,000	1,32,000
Kerala	10,000	3, 8	4,000	7,000
Madras	..	1,950	..	,239
Maharashtra	..	10,60c	..	1,02,282
Mysore	..	14,400	..	2,61,c00
Orissa	3,00,000	5,000	15,45,000	9,65,000
Punjab	..	..	..	11,000
Rajasthan	..	..	..	22,800
Gujarat	..	..	4,00,000	23,000

In addition the State Plans include similar schemes.

नई दिल्ली में एक कम्पनी द्वारा सावधि निक्षेपों (फिक्सड डिपाजिट्स) का स्वीकार किया जाना

2975. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री वारियर :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कनाट प्लेस, नईदिल्ली की एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ने लोगों से 12 प्रतिशत सूद पर सावधि निक्षेपों के रूप में 25 लाख रुपये की राशि वसूल की है तथा अब अवधि पूरी होने पर वह कम्पनी इस धनराशि को लौटाने से इनकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है विशेष कर यह देखते हुए कि इस कम्पनी ने पिछले 3 वर्षों से अपने संतुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं; और

(ग) भविष्य में जनता के हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वि० रा० पट्टाभिरामन) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं।

(ख) इन शिकायतों के कारण तथा कम्पनी द्वारा 30 जून, 1964 को समाप्त हुये वर्ष का संतुलन पत्र समवायपंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण, कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं का कम्पनी विधि बोर्ड के निरीक्षण एवं जांच निदेशालय द्वारा विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया था। कम्पनी और इसके निदेशकों को निम्नांकित बातों के लिये अभियोजित किया गया था :—

(1) 30 जून, 1964, को समाप्त होने वाले वर्ष के हिसाब किताब का अप्रस्तुतीकरण; और

(2) 1964 के वार्षिक विवरण का अप्रस्तुतीकरण।

अभियोजन के परिणाम स्वरुप कम्पनी और इसके अधिकारियों को दंड मिला और उन पर 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। न्यायालय ने कम्पनी के निदेशकों को 5 मई, 1966 तक लेखा पत्र प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया है। 30 जून, 1965, को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक विवरण एवं लेखापत्रों के अप्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में कम्पनी को कारणोल्लेख सम्बन्धी नोटिसें जारी की गयी हैं, जिनमें कहा गया है कि इस मामले में कम्पनी को क्यों न अभियोजित किया जाय तथा यदि इस माह के अन्ततक लेखापत्र प्रस्तुत न किये गये तो कम्पनी और इसके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जायेंगे।

(ग) आगे की कार्यवाही निरीक्षण एवं जांच निदेशालय की रिपोर्ट की जांच पड़ताल पूरी होने के बाद सोची जायेगी।

पालम हवाई अड्डा

2976. **श्री बसुमतरि :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे का प्रबन्ध प्रतिरक्षा अधिकारियों के स्थान पर सिविल अधिकारियों को सौंपे जाने के कारण आय बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-65से 28-2-66 के समय के दौरान विमान के उतरने/खड़ा करने के प्रभार से प्राप्तआय में लगभग 3.75लाख रुपये की बढ़ोतरी हुईहै।

मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण

2977. श्री लिंग रेड्डी :क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 मार्च, 1966के अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के उत्तर के सम्बन्ध में यहबतानेकीकृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारने मैसूरसरकारकीखाद्यान्न संभरण के लिये की गई प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की, और

(ख) बंगलौर, कोलार सोना क्षेत्र देवनागिरी तथा भद्रावती में खाद्यान्न केन्द्रीय संभरण के आधार पर कानूनीतौरपर राशन व्यवस्थाकब लागू की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) मैसूरसरकार कोबताया गयाहैकि केन्द्रीयसरकार प्रति मास मैसूरको 50से 60 हजार मीटरी टन गेहूं तथा माइलोंदे पायेगी लेकिन यहनहीं कहाजासकताहैकि मैसूर को कितना चावल दिया जाएगा।

(ख) सांविधिक राशन-व्यवस्था लागूकरने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

2978. श्री दशरथ देव:क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़नेके तरीकोंका विकास करनेके लिए भारत में कोई प्रयास किया गया है,

(ख) यदिहां, तोवे कौनसे राज्य हैं जोइसउद्योग का विकास कर रहे हैं, और

(ग) इस उद्योग के विकास के लिए केन्द्र द्वाराउन्हेंकिस प्रकार की सहायतादी जारही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा राज्य।

(ग) केन्द्र इनराज्योंको मत्स्य हरग बन्दरगाहों का विकास करनेऔर विदेशों से ऋण प्रबन्धों के प्रति समुद्री डीजलइंजनतथा मत्स्यहरण उपकरण दिलवाने में सहायता देता है।

Cultivated Land

2979. Shri D. S. Patil :
Shri Baswant :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the cultivated land available in India, State-wise; and

(b) the percentage of irrigated land and dry land separately to the total cultivated land, State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). A statement showing the latest available information is attached. **[Placed in library. See No. L. T. 5931/66].**

Hindi translation of Acts and Rules

2980. Shri Jagdev Singh Sidhanti : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the time by which authorised Hindi translation of Acts and Rules regarding Income-tax and Central Excise will be ready; and

(b) the time by which the same will be made available for public use after printing?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhai Raman) : (a) and (b). The Official Language (Legislative) Commission has been requested to undertake preparation of Hindi versions of the Income-tax Act and the Central Excises and Salt Act and Rules made thereunder and expedite the publication of the authorised versions thereof.

संसद् सदस्यों का उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली

2981. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्योंके उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके लेखों की लेखा परीक्षा हो गई है तथा क्या लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) इस स्टोर को राशन के वितरण का कार्य न देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। संसद सदस्योंका उपभोक्ता सहकारी भण्डार, नईदिल्ली पिछले कुछ महीनोंसे व्यापार नहीं कर रहा है।

(ख) भण्डार को व्यापार में हानि हुई है।

(ग) जी हां। 30-6-65 तक के लेखोंकी लेखा-परीक्षा हो गई है। जांचे हुए संतुलन-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5932/66]**

(घ) समिती ने किसी राशन कि दुकान के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिया ।

चावल तथा चावल से बने पदार्थों के परोसे जाने पर प्रतिबन्ध

2982. श्री प्र० चं० बरूआ: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गुरूवार को होटलों में मध्यान्होपरान्त चावल तथा चावल से बने हुये पदार्थों के परोसे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सोमवार को मध्यान्होपरान्त भोजन परोसे जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध तथा दिल्ली में उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों के फलस्वरूप चावलों में कितनी बचत होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्दमेनन) : (क) दिल्ली में गुरुवार को भोजनालयों में चावल या चावल के बने पदार्थों के परोसे जाने पर 15 मार्च, 1966 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह प्रतिबन्ध सारे दिन और रात के लिये लगाया गया है और न कि केवल मध्यान्होपरान्त के लिये।

(ख) इससे होने वाली बचत का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है।

खाद्य तेलों, तिलहनों तथा वनस्पति घी के मूल्य

2983. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य, तेलों, तिलहनों तथा वनस्पति घी के मूल्य इस महीने एकदम बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के तीन महीनों में से प्रत्येक के आरम्भ में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में इस समय उन वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं अथवा कम, और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) चालू वर्ष में मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5933/66**]

(ग) पिछले कुछ सप्ताहों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, अन्य बातों के अतिरिक्त उसका कारण चालू वर्ष में उत्पादन में गिरावट होने की सम्भावना का होना है।

दुग्ध केन्द्रों के डिपो मैनेजर

2984. **श्री तिम्मय्या** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजरों तथा डिपो असिस्टेंटों को 1959 में कितना वेतन तथा भत्ते मिलते थे ;

(ख) पिछले $6\frac{1}{2}$ वर्षों में निर्वाह व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि को देखते हुए तब से लेकर अब तक उनकी उपलब्धियों पर समय समय कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) क्या उनकी उपलब्धियों में गत काल में की गई वृद्धि का उसी अवधि में योजना के अन्य पूर्णकालिक कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ते, तथा प्रतिकर भत्ते में हुई वृद्धि से कोई सम्बन्ध है ;

(घ) यदि योजना के अन्य कर्मचारियों की तुलना में डिपो मैनेजरों तथा डिपो असिस्टेंटों की उपलब्धियों में की गई वृद्धि बहुत कम है, तो केवल इस बात को छोड़कर कि वे अंशकालिक कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव करने का क्या औचित्य है ; और

(ङ) इन दो अंशकालिक श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या तथा योजना के तीसरी श्रेणी तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के अन्य पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) एक डिपो प्रबन्धक को कुल मिलाकर 50 रुपये तथा डिपो सहायक को 25 रुपए प्रति मास मिलते हैं। ये राशियाँ 1959 में निर्धारित की गई थीं।

(ख) इन राशियों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परन्तु 1-11-1962 से उनको सप्ताह में एक छुट्टी या छुट्टी न दी जा सकने की स्थिति में उसके बदले में एक दिन का अधिक वेतन दिया जाता है।

(ग) और (घ): डिपो स्टाफ प्रातः या सायं की पारी में अंशकालिक रूप से कार्य करते हैं। इस राशि का जीवन निर्वाह के सूचकांकों या नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) लगभग 2:1

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना के जमाव के समाचार

Shri Yashpal Singh(Kairana) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"Reported concentration of Pakistani troops on Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir borders'.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार को राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू की पश्चिमी पाकिस्तान से लगी सीमाओं के उस पार पाकिस्तानी सेना उपस्थिति की जानकारी है। सीमाओं के उस पार की स्थिति के बारे में हम पूरी तरह सावधान हैं।

Shri Yashpal Singh : Has his attention been drawn towards the statement made by Shri Bhutto that they had not given any undertaking at Tashkent that they would not use force in case of Kashmir and that they had not signed any 'no war' pact and if so, the measures being adopted by the government in regard thereto?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: श्री भुट्टो तथा कुछ अन्य पाकिस्तानी नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों को हम ने पढ़ा है शायद वे इसका गलत अर्थ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी राय तो यह है कि इस समझौते के अन्तर्गत वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): In accordance with the Tashkent declaration the troops on both the sides were to be withdrawn to the positions held by them on 5th August, but on the other hand the Government of Pakistan is deploying its troops on the borders and she does not want to withdraw from the Chamb sector which is a part of India. May I know the reaction of the government there to? Besides this some fear complex is prevailing in the villages on our side of the border due to this concentration and as a result these of the people in border areas of Rajasthan are leaving these areas. I want to know the arrangements being made for their security?

Mr. Speaker : When a number of questions are put simultaneously, the Minister concerned may answer only one question.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: श्रीमान, जहां तक मुझे पता है पाकिस्तानी सेना छम्ब तथा राजस्थान क्षेत्र से भी पीछे हट गई है और वह पांच अगस्त के अपने ठिकानों पर चली गई है । सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में आतंक फैल गया है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु यदि ऐसा है तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य आवश्यक कदम उठा रही होगी ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यदि पाकिस्तान और चीन मिल कर इस समय अथवा भविष्य में भारत के विरुद्ध आक्रमण कर दें तो क्या सरकार इसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जी हां ।

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) : In view of the concentration of Pakistani troops on the borders, presence of big Chinese officials there and parading of fifty Chinese tanks and fifty Chinese Mig Aeroplanes by Pakistan, may I know the steps taken or being taken by Government to avail this serious situation being arisen and to impress upon Pakistan to observe the Tashkent Declaration?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: श्रीमान, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पाकिस्तानी सेना सीमा के उस पार उपस्थित तो है परन्तु मुझे उनके वहां पर असाधारण जमाव के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिससे आक्रमक इरादे का आभास हो । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस मामले विशेष के बारे में हमने सभी प्रतिरक्षात्मक उपाय कर लिये हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): जमाव के इलावा शस्त्रास्त्रों, चीनी नेताओं से गठजोड़ करने, आदि के बारे में पाकिस्तान द्वारा और क्या क्या युद्धजैसी तैयारियां की जा रही हैं तथा इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जिस तरह से पाकिस्तानी नेता ताशकन्द समझौते के बारे में बातें कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने चीनी उपकरणों को प्रदर्शित किया है इनसे यह स्पष्ट है कि हमें सदा सचेत रहना चाहिये और हम इस मामले में इत्मीनान से नहीं बैठ सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether the Tashkent Declaration is binding on both the parties or it is binding on merely one side? Is it a fact that this Agreement had been signed by the ex-Prime Minister under the pressure of Russian authorities?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ताशकन्द समझौता दोनों पक्षों पर लागू होता है । स्पष्ट है कि जब भी कोई समझौता किया जाता है तो वह दोनों पक्षों पर लागू होता है और इसलिये यह केवल भारत पर ही लागू नहीं हो सकता । ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किसी दबाव के कारण नहीं किये गये हैं ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : क्या सरकार ने सीमावर्ती नगरों में विमान-भेदी तोपों, लड़ाकू विमानों, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का शीघ्रता से निर्माण करने तथा सैनिकों के लिये मरू भूमि में नलकूप खोदने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: माननीय महोदय ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं । किसी नगर विशेष की विमानों द्वारा सुरक्षा के कई पहलू हैं जिनमें से संचार सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस मामले में कदम उठाये हैं । नलकूपों सम्बन्धी सुझाव की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There are reports that Pakistan is violating the Tashkent Declaration, may I know whether attention of Soviet Union has been drawn to these reports and if so, their reaction thereon?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ताशकन्द समझौते के बारे में कुछ पाकिस्तानी नेताओं का जो रवैया है उसके बारेमें हम रूसी सरकार को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रूससरकार इस सम्बन्ध में पूरी तह से सावधान है ।

Shri Maurya (Aligarh) : May I know whether any protest notes have been sent to Pakistan against the statements being made by Pakistani leaders and concentration of Pakistani troops on the borders of Punjab and Rajasthan and if so, whether these notes along with replies received from Pakistan will be laid on the Table ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र सामान्यत: वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे जाते हैं। अत: इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व मुझे उनसे परामर्श करना पड़ेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): क्या पाकिस्तानी सेना के जमाव का उद्देश्य अमरीका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता को बन्द कराना तथा अमरीका से हमारे प्रधान मंत्री पर दबाव डलवाना है कि वह खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व काश्मीर के बारे में पाकिस्तान से बातचीत करें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न पूछ कर माननीय सदस्य पाकिस्तान के इरादों का स्वयं निर्धारण कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के ऐसे इरादे हों और यह भी हो सकता है कि वह अपने लोगों पर प्रभाव डालने तथा अपनी कमज़ोरी को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether there are Pakistani troops on our side also?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हमारी सीमा के इस ओर सेना का कोई जमाव नहीं है । जितने भी सैनिक हैं वे पाकिस्तान के राज्यक्षेत्र में हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : May I know whether there is any proposal to appoint a commission on partition of this country into India and Pakistan and if so, when it is likely to be appointed?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसे किसी आयोग को स्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Annual Accounts of the Commissioners for the Port of Calcutta and Audit Report

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): श्रीमान, मैं श्री संजीव रेड्डी की ओर से कलकत्ता पत्तन के 1963–64 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०–5922/66]**

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त हुए इन सन्देशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 21 मार्च, 1966 को पास किये गये सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 28 मार्च, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 22 मार्च, 1966 को पास किये विनियोग विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमान, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 83वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : श्रीमान, मैं आयकर अन्य राजस्व प्राप्तियां तथा "सामान्य" के बारे में राजस्व प्राप्तियां, 1965 सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के बारे में लोक लेखा समिति का 46वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : श्रीमान, मैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MINISTER

पश्चिमी बंगाल में खाद्यस्थिति

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम): मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-5923/66]**

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे परिचालित करा दूंगा ।

अनुदानों की मांगें, 1966-67—(जारी)

DEMANDS FOR GRANTS, 1966-67—(*Contd.*)

प्रतिरक्षा मंत्रालय—(जारी)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा प्रतिरक्षा मंत्रालयसे सम्बन्धित मांग संख्या 4 से 8 और 114 पर अग्रेतर चर्चा करेगी । श्री कृष्णपाल सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : श्रीमान, कल मैं यह कह रहा था कि तीनों प्रतिरक्षा-सेवाओं का एक ही संयुक्त मुख्यालय होना चाहिये क्योंकि सेना के तीनों अंगों के अलग अलग मुख्यालय होने से सैनिक कार्यवाही करने में विलम्ब हो सकता है । अत: यदि हम कार्यकुशलता बनाये रखना चाहते हैं तो कार्य को शीघ्रता से निबटाने के लिये एक ही मुख्यालय होना चाहिये जिसमें सेना के तीनों अंगों के कर्मचारी हों जिससे वे मिल कर जानकारी एकत्र कर सकें और समन्वित योजनायें बना सकें । आज के युग में ऐसी सनिक कार्यवाही की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें सेना के केवल किसी एक ही अंग का प्रयोग हो ।

यह एक अच्छी बात है कि ताशकन्द समझौते का पालन किया जाय परन्तु यदि पाकिस्तान कच्छ समझौते की तरह इसका भी पालन करने के लिये तैयार नहीं है तो कोई कारण नहीं कि हम इसका पालन करें ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हाल ही में पाकिस्तान से हुए संघर्ष में हमारे जवान जिस शूरवीरता और उत्साह से लड़े वह सराहनीय है, परन्तु इससे कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हुई हैं जिनपर विचार किया जाना चाहिये । एक बात यह है कि पाकिस्तान को छम्ब जौड़ियां अंचल में पहल क्यों करने दी गई थी और इस प्रकार सु-आयोजित तथा बड़े पैमाने के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हमने वहां पर पर्याप्त संख्या में सैनिक क्यों नहीं रखे थे। या तो हमारे गुप्तचर विभाग में कोई कमी या हमारे आयोजन में ही कुछ गलती थी । यदि वायु-सेना बचाव न करती तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती ।

दूसरी बात यह है कि केवल 20 दिन के युद्ध में 12,000 व्यक्ति हताहत और लापता हो गये । यह संख्या बहुत अधिक है। तीसरी बात यह है कि कम-से-कम एक बार ऐसा हुआ कि हमारी सैनिक टुकड़ियां आपस में ही भिड़ गई थी । स्पष्ट है कि या तो सैनिक टुकड़ियों को सही आदेश नहीं दिये गये अथवा हमारे उपकरणों में कोई खराबी थी । हमारी सेना को 'इन्फ्रारेड' उपकरण नहीं दिये गये जो रात को लड़ने में काम आते हैं । यह भी एक कारण था कि संघर्ष में हमारे इतने अधिक सैनिक हताहत हुए थे ।

यह कहा गया था कि लाहौर छावनी पर कब्जा करने का हमारा इरादा नहीं था । यह बात लाहौर नगर के बारे में सही हो सकती थी परन्तु लाहौर छावनी पर हमें अवश्य कब्जा कर लेना चाहिये था । यद्यपि इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना था तथापि इसका नैतिक प्रभाव अवश्य पड़ता । यदि पाकिस्तान हमारी स्थिति में होता तो वह ऐसी गलती कभी नहीं करता ।

चीन और पाकिस्तान के बीच जो नापाक गठजोड़ हुआ है वह बहुत खतरनाक चीज़ है । हमें ताशकन्द समझौता कराने वाले देश रूस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये ।

चीन के बारे में मेरा सदा यह मत रहा है कि हमने तिब्बत को धोखा दे कर चीन को तिब्बत में घुसने तथा वहां पर सामरिक महत्व के सभी मार्गों पर उसे कब्ज़ा करने की अनुमति दे कर वर्तमान इतिहास में बहुत भारी भूल की है। यह हमारी सुरक्षा के लिये निरंतर खतरा बन गया है। चीन ने हमारे जिस क्षत्र पर कब्ज़ा कर रखा है उससे हमें उससे वापस ले लेना चाहिये ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनकी प्रतिरक्षा के लिये कोई आवश्यकता नहीं है । इनमें से एक 12 बोर की बन्दूक है । जब हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण हथियारों

की कमी है तो हमें ऐसी चीजों का निर्माण करने की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। दूसरे देशों में ऐसी चीजों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाता है ।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि पहला 'फ्रिगेट' अंग्रेजों के सहयोग से 1971 तक बन कर तैयार होगा और इसी प्रकार पहला 'मिग विमान' भी लगभग इसी वर्ष तैयार होगा। परन्तु उस समय तक 'मिग विमान' तथा 'फ्रिगेट' उपयोगी नहीं रहेंगे । यदि हम अभी कुछ फ्रिगेट खरीद लें और ऐसे 'फ्रिगेटों' का निर्माण आरम्भ करें जिससे जब यह बन कर तैयार होंतो संसार के अन्य देशों के 'फ्रिगेटों' की ही श्रेणी के हों ।

इस समय हमारे पास केवल एक पनडुब्बी है । यह भी केवल प्रशिक्षण देने के लिये है । इन परिस्थितियों में हम अपनी नौसेना से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह हमारे नौ-वहन तथा हमारे तट की सुरक्षा कर सकेगी । नौसेना के सम्बन्ध में हम बहुत पिछड़े हुए हैं और इसका जो बेड़ा है वह बहुत ही पुराने ढंग का है। इन त्रुटियों को दूर करने तथा नौ-सेना को शक्तिशाली बनाने के लिये कुछ उपाय अवश्य किये जाने चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी गुप्तचर प्रणाली बहुत त्रुटिपूर्ण है । हमें इसे सुधारना चाहिये । इस के लिये हमारे पास अधिक अच्छे उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिये । क्योंकि गोपनीय सूचना इकट्ठी किये बिना उचित आयोजन नहीं किया जा सकता है ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : In the beginning, I pay my tributes to 12,264 persons who laid down their life for the defence of the country.

We welcome the Tashkent Agreement but Pakistan is ignoring it without realising that the agreement cannot be observed unilaterally. It is hoped that the Minister of Defence would have assessed our weaknesses that come to light during our conflict with Pakistan. It is also hoped that such mistakes will not be repeated in future.

We should also pay attention to the policies of Pakistan. We have seen during the last nineteen years that Pakistan has not implemented a single agreement, entered into between her and India. We should, therefore, be cautious. The collusion between China and Pakistan is directed against India. There are reports of the concentration of Pakistani army on our borders. If Pakistan attacks us again, the people of India will again fight. We must meet Pakistani challenge with foresight. We should try to become self-dependent and we should not look to others for our needs of materials and stores. We should have our own defence policy and war strategy.

It is possible that China may attack us along with Pakistan. We have come to know that China is constructing buildings across the border. The morale of the people of Nefa is very high and they are prepared to serve as the second line of Defence. The House had adopted a resolution on the 26th November, 1965 that steps should be taken to develop and modernise the Indian Navy in order to make it effective. But the provisions in the budget for the Navy are very disappointing. It appears that the Government does not realise the growing importance of Navy in the modern warfare in general and the defence of India in particular. In case of war with Pakistan, only Navy can break the links between the two wings of Pakistan. The Chinese war equipment like tanks would be transported to Pakistan by sea. Therefore, we cannot afford to ignore the Navy. The combined strength of Naval personnel of China and Pakistan is 1,32,250 whereas our strength is only

[Shri Raghunath Singh]

19,500. Beside this, China manufactures her own torpedo boats, mine sweepers, gun boats etc.

I welcome the construction of a dry dock. India has no dry dock so far. The construction of a dry dock will result in a good deal of saving in foreign exchange. I hope that this decision will be implemented at an early date.

U.S.A. and U. K. rely two much on their navy while we are ignoring it. China is building small gun boats and destroyers. We now need atomic submarines. The United Kingdom is not prepared to give us any submarines. We should have submarines and all other technical know-how, no matter from where we get it.

The control of Defence fund should be in the hands of a Central Organisation and not in the hands of the States. There should also be proper audit arrangements. Otherwise, the confidence of the people will be shaken and they will not be prepared to contribute in the case of an emergency in future. There is a feeling that the fund is being misused. I hope that the Minister of Defence will pay attention to this matter.

श्री इन्द्रजीतगुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम): छः मास पूर्व हमारेदेश की सेनाओं ने स्वतन्त्रता के बाद पहली बारएकबड़ेपैमानेपरयुद्ध में भागलिया। यह संतोष तथा गर्व की बात है कि पाकिस्तान की आक्रमक योजनाओं को विफल बना दिया गया। इसके लिए हम जवानों द्वारा किये गये बलिदान के लिए उनके आभारी है। हमारी सेना के अफसरों ने नेतृत्व तथा साहस का प्रदर्शन किया है और हमारी वायुसेना ने नई सफलता प्राप्त की है।

खेद की बात है कि उन ही जवानोंको, जिन्होंने छः मास पूर्व इतनेवीरता के कार्य कियेहैं, पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की कमी के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाने के लिए कहा जा रहा है। इससे देश में लोकतन्त्रकाबुनियादी ढांचा खतरेमेंपड़जायेगा। योजना आयोग के एक सदस्य डॉ० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है कि यदिसेना की इस प्रकार अधिक सहायता ली जाती रही तो शायद किसी समय सेनाअपने विचारों पर चलने लगे। हमें अन्य देशोंके अनुभवसे लाभ उठाया चाहिये। सेना का यह कार्य नहींहै कि वह किसी विशेष मुख्य मंत्री की खाद्य सम्बन्धी नीति के समर्थन में कार्य करे। जवानों को ऐसे कार्य पर नहीं लगाया जाना चाहिये।

चीन के साथ 1962 के तथा पाकिस्तान के साथ पिछले वर्ष के संघर्ष से दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उन दोनों देशों के साथ हमारे विवादों के शक्तिपूर्वक दल की कोई सम्भावना इस समय दिखाई नहीं देती। उस बात के बावजूद, कि हमारी जनता पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है, रक्षा कीतैयारी मेंढ़ील देने काअभी समय नहीं है। मंत्रालय केप्रतिवेदन से अविलम्बनीयता की कोईझलकदिखाई नहीं देती। संसद कोसितम्बर के बादपैदाहुईवास्तविक समस्याओं, कठिनाइयों तथा आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह ने ठीक ही कहा हैकि आत्मनिर्भरता के बिना देश की रक्षा अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

यह विचार गलत है कि क्योंकि अमरीका का हित चीन के विरुद्ध है, इसलिए, वह फिर हमारी सहायता करेगा। 23 मार्च को रावलपिंडी में अमरीका द्वारा दिये गये शस्त्रों का प्रदर्शन चीन द्वारा दिये गये शस्त्रों के साथ-साथ किया गया। यह एक नये प्रकार का सह-अस्तित्व अथवा सहयोग है। अमरीकाद्वारापाकिस्तान कोनयेविमान तथा टैंक दियेगये परन्तुभारत के विरुद्ध रोक अभी तक जारी है।ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि सामान के व्यापारिक क्रय पर रोक हटा ली गई है परन्तु लाइसेंस देने के बारे में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है।

मेरे विचार में अमरीकी नीती में एक नया दृष्टिकोण आ रहा है और हमें इसके बारे में सावधान रहना होगा। वास्तविकता यह है कि आत्मनिर्भरता तथा संदिग्ध विदेशी मित्रों पर निर्भरता एक

साथ नहीं चल सकते। सहायता रोकना सितम्बर के बाद हुई एक नई घटना नहीं है बल्कि ऐसा भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले भी हुआ है। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद हमें बताया गया था कि छः नये आयुद्ध कारखाने बनाये जयेंगे। उन छः कारखानों में से चार समाप्त हो गये हैं, हमें यह जानना चाहिये कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है।

बंगलौर के विमान कारखाने के लिए जिस सामान तथा प्रशिक्षण का वचन दिया गया था, वह पूरा नहीं किया गया है। एच० एफ०–24 के लिए इंजन के लिए हम ब्रिटेन से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न वर्षों से कर रहे हैं परन्तु यह सहायता नहीं मिली। बाद में हमें बताया गया था कि हम संयुक्त अरब गणराज्य के साथ मिल कर एक परियोजना बना रहे हैं। वहां जर्मन तक्नीकी कर्मचारियों की सहायता से इंजन बनाये जायेंगे और बंगलौर में उपयुक्त ढांचे बनाये जायेंगे। हमें बताया जाये कि इसके बारे में स्थिति क्या है।

उन अनभवों के बाद हमें पुरानी विचार धारा को बदलना चाहिये। इसके लिए दो हल बनाये गये है। पहला यह कि प्रतिरक्षा के लिए सामान का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाये तथा दूसरा यह कि अपना परमाणु बम बनाया जाय। मैं इन दोनों बातों का खण्डन करता हूं। परमाणु बम बनाने से देश पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। मैं इस का पूर्ण विरोध करता हूं।

प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में अपनाई जा रही नीति अच्छी है क्योंकि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच तालमेल होना चाहिये। परन्तु इस तालमेल के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें होनी चाहिये। उत्पादन पर प्रतिरक्षा संगठन द्वारा कुछ प्रमाप तथा नियंत्रण होने चाहिये। राज्य द्वारा नियंत्रण में कोई ढ़ील नहीं होनी चाहिये। शस्त्रों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार होना चाहिये। जब आयुद्ध कारखानों में बेकार क्षमता हो तो गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन नहीं होना चाहिये।

प्रतिरक्षा व्यय में मितव्ययता की जानी चाहिये। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से बहुत खराब स्थिति का पता लगता है। उससे न केवल अधिक अपव्यय तथा हानि का बल्कि अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए नियत राशि व्यय न किये जाने का भी पता लगता है।

तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रमाप के आधार पर हज़ारों ट्रक बेकार घोषित किये गये हैं। परन्तु जब पंजाब पर आक्रमण हुआ तो हमें 6,000 से लेकर 7,000 तक गैर-सरकारी ट्रकों का प्रयोग करना पड़ा। यदि यह गैर-सरकारी ट्रक उपलब्ध न होते तो सैनिक परिवहन के साथ संचार व्यवस्था बनाई नहीं रखी जा सकती थी।

नये आयुध कारखानों के विकास में गतिरोध दूर किया जाना चाहिये। शस्त्रों तथा सामान का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिये। विदेशों से सम्भरण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के सभी सम्भव वैकल्पिक साधकों को खोज की जानी चाहिये। प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास के लिए राशि में वृद्धि की जानी चाहिये।

आर्मर प्लेटों के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना होगा। क्या हम अपने इस्पात कारखानों में इनके उत्पादन के लिये क्षमता स्थापित नहीं कर सकते ताकि हमें टैंकों के लिए विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े ?

रांची में भारी इंजीनियरी निगम समूह में ऐसी भारी मशीनरी बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी थी। मेरा विश्वास है कि इसका प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को ब्रिटेन तथा राष्ट्र मण्डल के साथ जोड़ने की पुरानी प्रथा समाप्त करनी चाहिये।

हमारे पास अपने पैरों खड़े होने की क्षमता होनी चाहिये, तभी हम कह सकते हैं कि हम विजयी हुए हैं।

रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	1	श्री यशपाल सिंह	आयुक्त कारखानों के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
4	2	श्री यशपाल सिंह	प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
4	3	श्री यशपाल सिंह	भूतपूर्वसैनिकों के समुचित पुनर्वास की आवश्यकता	100
4	4	श्री यशपाल सिंह	भूतपूर्वसैनिकों को सीमा के साथ साथ पुनः बसाने की आवश्यकता ।	100
4	5	श्री यशपाल सिंह	भारतीय नौसेना का उचित विकास करने की आवश्यकता ।	100
4	6	श्री यशपाल सिंह	इस समय चीनियों के अधिकाराधीन क्षेत्रों को मुक्त कराने की आवश्यकता ।	100
4	11	श्री किशन पटनायक	सेना में पदोन्नति के लिये अंग्रेजी ज्ञान की कसौटी को हटाने की आवश्यकता ।	100
4	12	श्री किशन पटनायक	अन्दरूनी शांति और व्यवस्था के काम में सेना का इस्तेमाल करने का अनौचित्य ।	100
4	13	श्री किशन पटनायक	सेना के अन्दरवेतन तथा अन्य सुविधाओं की दर-बराबरी की आवश्यकता ।	100
4	14	श्री किशन पटनायक	सेना को शक्तिशाली बनाने के लिये आम भर्ती की की आवश्यकता ।	100
4	15	श्री किशन पटनायक	सैनिक तैयारी के लिये औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	16	श्री किशन पटनायक	शस्त्रों की मदद देने वाले देशों के साथ शस्त्रों के प्रयोग की शर्तों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता ।	100
4	17	श्री स० मो० बनर्जी	ई–एम–ई० स्टेशन वर्कशाप्स और व्हीकल डिपोज में छंटनी का भय ।	100
4	18	श्री स० मो० बनर्जी	सेनामें असैनिक कर्मचारियों के लिये समझौता-व्यवस्था पुनः लागू करने की आवश्यकता ।	100
4	19	श्री स० मो० बनर्जी	सेना के असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता ।	100
4	20	श्री स० मो० बनर्जी	औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में भेदभाव दूर करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	21	श्री स० मो० बनर्जी	1960 की हड़ताल के दौरान सेवा-च्युत किये गये या हटाये गये सेना-कर्मचारियों को पुनः काम पर रखने की आवश्यकता ।	100
4	22	श्री स० मो० बनर्जी	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के लिये कर्मचारियों के लिये समान मजूरी और सेवा-शर्तों की आवश्यकता ।	100
4	23	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों, ई-एम-ई० वर्कशापों और प्रतिरक्षा अनुसंधान-शालाओं में निकट समन्वय की आवश्यकता ।	100
4	24	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड बनाने की आवश्यकता	100
4	25	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र को काम देना ।	100
4	26	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा विभाग के अधीन विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित न करना ।	100
4	27	श्री स० मो० बनर्जी	कानपुर में एवरो-748 का निर्माण	100
4	28	श्री स० मो० बनर्जी	उत्पादन-कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को उत्पादन प्रोत्साहन बोनस देने की आवश्यकता ।	100
4	29	श्री इन्द्रजीत गुप्त	अमरीका और ब्रिटेन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का प्रतिरक्षा योजना पर प्रभाव ।	100
4	30	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पाकिस्तान को अमरीकी और चीनी शस्त्रों का निरन्तर सम्भरण ।	100
4	31	श्री इन्द्रजीत गुप्त	अपंगसैनिकों के पुनर्वास के लिये की गई कार्यवाही	100
4	32	श्री इन्द्रजीत गुप्त	प्रतिरक्षा व्यय में और अधिक कठोरता से किफायत करने की आवश्यकता ।	100
4	33	श्री इन्द्रजीत गुप्त	'मिग' विमानों के निर्माण-संयंत्रों की स्थापना में प्रगति ।	100
4	34	श्री इन्द्रजीत गुप्त	"एवरो-748" के विकास की धीमी प्रगति	100
4	35	श्री इन्द्रजीत गुप्त	नए आयुध कारखानों के विकास में अड़चनें	100
4	36	श्री इन्द्रजीत गुप्त	1965-66 में आयुध कारखानों में हुए उत्पादन के मूल्य में कमी ।	100
4	37	श्री इन्द्रजीत गुप्त	प्रतिरक्षा-अनुसन्धान और विकास कार्य का प्राथमिकता-क्रम ऊंचा करने की आवश्यकता ।	100
4	38	श्री इन्द्रजीत गुप्त	सडियों को निकम्मी घोषित करने की नीति में सुधार की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	39	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पश्चिमी बंगाल और बिहार में खाद्य-आन्दोलन-कारियों के विरुद्ध सेना का प्रयोग ।	100
4	40	श्री इन्द्रजीत गुप्त	सरकार द्वारा भारत-पाक युद्ध का इतिहास तैयार करने की आवश्यकता ।	100
4	41	श्री इन्द्रजीत गुप्त	'असल उत्तर' में हवलदार अब्दुल हमीद का स्मारक बनाने की आवश्यकता ।	100
4	42	श्री इन्द्रजीत गुप्त	सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अग्रिम चौकियों पर तयनात सैनिकों के लिए मनोरंजन-सुविधायें ।	100
4	43	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारत-पाक संघर्ष में हुई क्षति की पूर्ति.	100
4	44	श्री इन्द्रजीत गुप्त	ई-एम-ई के तथाकथित अतिरेक कर्मचारियों को वैकल्पिक काम देने की आवश्यकता ।	100
4	45	श्री इन्द्रजीत गुप्त	एच० एफ० 24 सुपरसानिक इंजनों के निर्माण के लिए भारत और संयुक्त अरब गणराज्य की संयुक्त परियोजना ।	100
4	46	श्री इन्द्रजीत गुप्त	प्रतिरक्षा-उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों का भाग ।	100
4	47	श्री इन्द्रजीत गुप्त	राष्ट्रमंडल देशों के संयुक्त अभ्यासों और संयुक्त सैनिक-अधिकारी सम्मेलनों का बहिष्कार करने की आवश्यकता ।	100
4	48	श्री इन्द्रजीत गुप्त	मलोशिया अथवा अन्य ऐसे देशों को, जिन्हें सैनिक सहायता देने का वचन दिया जा चुका है, छोटे शस्त्र बेचने की अवांछनीयता ।	100
4	49	श्री इन्द्रजीत गुप्त	शस्त्रों और उपकरणों के मानकीकरण में शीघ्रता की आवश्यकता ।	100
4	50	श्री इन्द्रजीत गुप्त	प्रतिरक्षा-तैयारी में आत्मनिर्भरता आन्दोलन तेज करने की आवश्यकता ।	100
4	51	श्री इन्द्रजीत गुप्त	विदेशों में प्रशिक्षण-सुविधाओं के वैकल्पिक स्त्रोत ढूंढने की आवश्यकता ।	100
4	52	श्री इन्द्रजीत गुप्त	जवानों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	54	श्री कर्णी सिंहजी	अणु बम बनाये जाने की आवश्यकता	100
4	55	श्री कर्णी सिंहजी	पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा के उल्लंघनों और वर्तमान-चीनी धमकी को ध्यान में रखते हुए भारत की फौजी तैयारी ।	100
4	56	श्री कर्णी सिंहजी	अमरीका और ब्रिटेन द्वारा शस्त्र-सहायता का पुनः आरम्भ किया जाना ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
5	81	श्री कर्णी सिंहजी	प्रक्षेपणास्त्र तथा असैनिक प्रयोग के लिये कारतूसों के उत्पादन की आवश्यकता ।	100
7	82	श्री कर्णी सिंहजी	मिग विमानों तथा विमानों के पुर्जों के उत्पादन की आवश्यकता ।	100
4	57	श्री अ० व० राघवन	भूतपूर्व सैनिकों को कुछ उद्योग अथवा व्यापार आरम्भ करनेकेलिए ऋण देने की आवश्यकता	100
4	58	श्री अ० व० राघवन	प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक सभी गाड़ियों को भूतपूर्व सैनिकों को रियासती मूल्योंपर दिये जाने की आवश्यकता ।	100
4	59	श्री अ० व० राघवन	सशस्त्र सेना कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षणकरनेकेलिए वेतनआयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100
4	60	श्री अ० व० राघवन	सशस्त्र सेवा कर्मचारियों को पेंशन दरें बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	61	श्री अ० व० राघवन	सशस्त्र सेवा कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में परिवार क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	100
4	62	श्री अ० व० राघवन	डाक्टरी आधार पर सेना से हटाये गये व्यक्तियों को पुनः काम पर लगाने की आवश्यकता ।	100
4	63	श्री अ० व० राघवन	सेना कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सामान्य परिवार पेंशन की दर बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	64	श्री अ० व० राघवन	पेंशन की दर निर्धारित करने के लिये राशन भत्ते को वेतन में मिलाने की आवश्यकता ।	100
4	65	श्री अ० व० राघवन	देश में नागरिक दंगों को दबाने के लिए सेना का अविवेकपूर्ण प्रयोग ।	100
4	66	श्री अ० व० राघवन	भारतीय सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक बोर्ड में एक भूतपूर्व सैनिक शामिल करने की आवश्यकता ।	100
4	67	श्री अ० व० राघवन	देश में बेरोज़गार भूतपूर्व सैनिकों का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100
4	68	श्री अ० व० राघवन	देश में और सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता	100
4	69	श्री अ० व० राघवन	देश में व्यवसायिक कालिजों में सेवारत तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता ।	100
4	70	श्री अ० व० राघवन	पुनर्निर्माण तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विशेष निधि के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को शीघ्र अदायगी करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपय
4	71	श्री अ० व० राघवन	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि सम्बन्धी विशेष समितियों द्वारा वसूल की जाने वाली शेष राशियों को बट्टे खाते लिखने की आवश्यकता ।	100
4	72	श्री अ० व० राघवन	सेवारत तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये धन देने की आवश्यकता ।	100
4	73	श्री अ० व० राघवन	सेना से हटाये गये कर्मचारियों के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पद आरक्षित करने की आवश्यकता ।	100
4	74	श्री अ० व० राघवन	भूतपूर्व सैनिकों के लिये केरल में "वाइनाड बस्ती योजना" के लिये पर्याप्त धन देने की आवश्यकता ।	100
4	75	श्री अ० व० राघवन	सेवारत हवलदारों के मामलों की, जिन्हें हिन्दी में परीक्षा पास न करने के कारण पदोन्नत नहीं किया जाता, पुनः जांच करने की आवश्यकता ।	100
4	76	श्री अ० व० राघवन	मिलिटरी नर्सिंग सेवा में पुरुषों को कमिशन प्राप्त अधिकारी बनाने तथा वर्तमान लिंग भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
4	77	श्री अ० व० राघवन	भूतकाल में उपेक्षित राज्यों में आयुध कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता ।	100
4	78	श्री अ० व० राघवन	अधिकारियों की भांति जवानों को भी नियुक्ति भत्ता देने की आवश्यकता ।	100
4	83	श्री मनोहरन	अवाडी इंजिनीयरिंग स्टोर डिपो को बन्द करने की धमकी ।	100
4	84	श्री मनोहरन	एनौर में मैरिन डीजल इंजिन कारखाना स्थापित करने में धीमी प्रगति ।	100
4	85	श्री मनोहरन	प्रतिरक्षा आयुध कारखानों में असैनिक कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी ।	100
4	86	श्री मनोहरन	अधिकारियों की भांति जवानों को वार्षिक वेतन-वृद्धि देने की आवश्यकता ।	100
4	87	श्री मनोहरन	विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में चौकीदारों की काम की स्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
4	88	श्री मनोहरन	जवानों के लिये परिवार-आवास स्थान की कमी	100
4	89	श्री मनोहरन	जवानों के वेतन-क्रमों के बारे में प्रतिवेदन देने के लिय संसदीय समिति बनाने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	90	श्री मनोहरन	नौसेना के विस्तार में धीमी प्रगति	100
4	91	श्री मनोहरन	सशस्त्र सेना के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली प्रतिकर-राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।	100
4	92	श्री मनोहरन	जवानों के लिये पदोन्नति के अवसरों की कमी	100
4	93	श्री मनोहरन	नगरीय दंगों को दबाने के लिये सेना का अविवेकपूर्ण प्रयोग ।	100
4	94	श्री मनोहरन	जवानों की पदोन्नति के संबंध में हिन्दी का दृढ़ता से लागू किया जाना ।	100
4	95	श्री वारियर	भूतपूर्व सैनिकों को कुछ उद्योग अथवा व्यापार आरम्भ करने के लिये ऋण देने की आवश्यकता	100
4	96	श्री वारियर	प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से अधिक सभी गाड़ियों को भूतपूर्व सैनिकों को रियायती मूल्यों पर दिये जाने की आवश्यकता ।	100
4	97	श्री वारियर	सशस्त्र सेना कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100
4	98	श्री वारियर	सशस्त्र सेवा कर्मचारियों को पेंशन दरें बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	99	श्री वारियर	सशस्त्र सेवा कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में परिवार क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	100
4	100	श्री वारियर	डाक्टरी आधार पर सेना से हटाये गये व्यक्तियों को पुनः काम पर लगाने की आवश्यकता ।	100
4	101	श्री वारियर	सेना कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सामान्य परिवार पेंशन की दर बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	102	श्री वारियर	पेंशन की दर निर्धारित करने के लिय राशन भत्ते को वेतन में मिलाने की आवश्यकता ।	100
4	103	श्री वारियर	देश नागरिक दंगों को दबाने के लिये सेना का अविवेकपूर्ण प्रयोग ।	100
4	104	श्री वारियर	भारतीय सैनिक, नाविक तथा वयुसैनिक बोर्ड में एक भूतपूर्व सैनिक शामिल करने की आवश्यकता ।	100
4	105	श्री वारियर	देश में बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100
4	106	श्री वारियर	देश में और सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	107	श्री वारियर	देश में व्यावसायिक कालिजों में सेवारत तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता ।	100
4	108	श्री वारियर	पुनर्निर्माण तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विशेष निधि के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को शीघ्र अदायगी करने की आवश्यकता ।	100
4	109	श्री वारियर	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि संबंधी विशेष समितियों द्वारा वसूल की जाने वाली शेष राशियों को बट्टे खाते लिखने की आवश्यकता ।	100
4	110	श्री वारियर	सेवारत तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये धन देने की आवश्यकता ।	100
4	111	श्री वारियर	सेना से हटाये गये कर्मचारियों के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पद आरक्षित करने की आवश्यकता ।	100
4	112	श्री वारियर	भूतपूर्व सैनिकों के लिये केरल में "वाइनाड बस्ती योजना" के लिये पर्याप्त धन देने की आवश्यकता ।	100
4	113	श्री वारियर	सेवारत हविलदारों के मामलों की, जिन्हें हिन्दी में परीक्षा पास न करने के कारण पदोन्नत नहीं किया जाता, पुनः जांच करने की आवश्यकता ।	100
4	114	श्री वारियर	मिलिटरी नर्सिंग सेवा में पुरुषों को कमीशन प्राप्त अधिकारी बनाने तथा वर्तमान लिंग भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
4	115	श्री वारियर	भूतकाल में उपेक्षित राज्यों में आयुध कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता ।	100
4	116	श्री वारियर	अधिकारियों की भाँति जवानों को भी वियुक्ति भत्ता देने की आवश्यकता ।	100
4	117	श्री वारियर	प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान में अधिक आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता ।	100
4	118	श्री वारियर	प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100
4	119	श्री वारियर	आयुध कारखानों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
4	120	श्री वारियर	आयुध कारखाने, विशेषकर, केरल में नौसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्थापित करने की आवश्यकता ।	100
4	121	श्री वारियर	कोचीन-स्थित अनुसंधानशाला के विस्तार की अवलम्बनीयता ।	100
4	122	श्री वारियर	भारतीय जनता के विरुद्ध सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग रोकने की आवश्यकता ।	100
4	123	श्री वारियर	राष्ट्रीय कैडेट कोर में हथियारों का प्रशिक्षण आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100
4	124	श्री वारियर	राष्ट्रीय कैडेट कोर में उड्डयन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100
4	125	श्री वारियर	जवानों के परिवारों को खेती के लिये भूमि देने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100
4	126	श्री वारियर	प्रारक्षित सैनिकों के लिये पर्याप्त रोजगार ढूंढने की आवश्यकता ।	100
4	127	श्री वारियर	प्रारक्षित सैनिकों की प्रतिधारण-फीस बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
4	128	श्री वारियर	प्रतिरक्षा सम्बन्धी सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

डा०मेलकोटे (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा था कि ताशकन्द समझौते के बाद अब हम देश में शान्ति अनुभव करेंगे परन्तु पाकिस्तान की हाल की घटनाओं से हमारी आशा पर पानी फिर गया है। गतवर्ष लगभग इन्हीं दिनों में मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला था। उन्हीं दिनों में कच्छ के रन पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। वहां पर भारत के नामकों मिट्टी में मिलाया जा रहा था। प्रत्येक समाचारपत्र में भारत की आलोचना की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि भारत पाकिस्तान जैसे छोटे से देश का भी मुकाबला नहीं कर सका है ।

परन्तु जब मैं वापिस आया तो मुझे बहुत अचम्भा हुआ कि जून के महीने में पाकिस्तान ने शान्तिवार्ता के बावजूद भी फिर आक्रमण कर दिया है। मैं अपनी जनता, अपने जवानों तथा सैनिक अधिकारियों की वीरता पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं मेजर जनरल चौधरी को भी जिन्होंने हैदराबाद और गोआ में अपनी वीरता का परिचय देने के पश्चात् पाकिस्तान के हमले के विरुद्ध बड़ी वीरता से सेना का नेतृत्व किया था, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने प्रतिरक्षा मंत्री तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को जनता तथा सेना में जोश तथा वीरता का भाव उभारने के लिये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर तहूं । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि खतरा अभी टला नहीं है। हमें यह नहीं सोच कर बेसुध नहीं हो जाना चाहिये कि अब हमले

[डा० मेलकोटे]

की आशंका नहीं रही है और खतरा टल गया है और इसलिये अपने प्रतिरक्षा बजट में दूसरे क्षेत्रों में प्रगति लाने के लिये कमी नहीं करनी चाहिये।

हमारा तो यह विचार है कि इस वर्ष के लिये भी प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों की राशि बहुत कम है। आज के समय में युद्ध के लिये वैज्ञानिक जानकारी तथा सेना दोनों की ही आवश्यकता है। सेना वीरता से लड़ सके इसके लिये भी वैज्ञानिक तरीकों से बने हुये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता होती है। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिक जानकारी पर हम केवल 1 प्रतिशत व्यय करते है। परन्तु मैं कहूंगा कि हम 0.1 प्रतिशत व्यय करते है। अमरीका तथा ब्रिटेन में प्रतिरक्षा पर होने वाले कुल खर्चे का क्रमशः 15 तथा 14 प्रतिशत खर्चा वैज्ञानिक अनुसंधान पर होता है। लोकतंत्र में प्रतिरक्षा का बड़ा महत्व है। प्रतिरक्षा के लिये बजट में अधिक धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिये तथा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर अधिक व्यय किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि सैनिक तो मोर्चे पर लड़ता है परन्तु उसके पीछे जो आम श्रमिक है उसका भी बड़ा महत्व है। जिन वस्तुओं की आवश्यकता एक सैनिक को होती है वह सब श्रमिक ही उपलब्ध करा देता है। ताशकन्द समझौते के तुरन्त बाद ऐसे स्थायी श्रमिकों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये है जो 15, 20 और 25 वर्षों से सेवा करते रहे है। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो 20 वर्षों तक सेवा करने के बावजूद स्थायी नहीं किये गये हैं। असैनिक कार्यालयों में ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं कह सकता कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यालयों में ऐसी धांधली क्यों हो रही है। बहुत से श्रमिकों ने चीन के आक्रमण के समय से 10 से 14 घंटे रोजाना काम किया है और वे कुशल कारीगर हैं और सरलता से नहीं मिल जाते। ऐसे श्रमिकों की छंटनी की जा रही है। इन लोगों का उपयोग किया जा सकता है। यदि इन लोगों को अन्य स्थानों में भेजा जायेगा तो उन्हें खाद्य, आवास तथा बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में कठिनाइयां हो जायेंगी। यदि नये स्थान पर बच्चों की शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें दुहरा खर्चा करना होगा—एक तो नये स्थान में और दूसरे जहां बच्चे शिक्षा पायेंगे। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री को सहानुभूति से कार्य करना चाहिये। जहां तक सम्भव हो स्थानान्तरण न किया जाये अन्यथा नये स्थानों में कर्मचारियों को आवास, अधिक राशन इत्यादि की सुविधायें दी जानी चाहिये।

पिछले वर्ष मैंने ब्रिटेन के कुछ हथियार बनाने वाले कारखानों को देखा था। इनमें से अधिकतर कारखाने प्रतिरक्षा विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते बल्कि वे गैर-सरकारी कारखाने है। ब्रिटेन में एक झाड़ू लगाने वाले को भी 1,000 रुपये प्रतिमास मिलते हैं। जर्मनी में 1,500 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है। हमारे यहां हथियार बनाने वाले कारखानों में संसार के विभिन्न भागों से मंगाई हुई आधुनिक मशीनरी है परन्तु श्रमिकों का वेतन संसार के अन्य देशों में मिलने वाले वेतन की तुलना में सब से कम है। हमारे यहां कच्चा माल बहुत सस्ता है फिर भी उत्पादन अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं है। क्या ऐसा श्रमिकों की बहानेबाजी के कारण होता है अथवा प्रबंधकों की गलतियों के कारण होता है? बहानेबाज श्रमिकों को निकाल दिया जाना चाहिये। वास्तव में बात यह है कि भारतीय श्रमिक भी अन्य विकसित देशों के श्रमिकों की कुशलता के स्तर पर पहुंच सकता है। भारतीय श्रमिक बहुत चतुर है। आवश्यकता के समय वह रात-दिन कार्य करके चौगुना उत्पादन कर सकता है। इसपर भी यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है तो इसमें प्रबंधकों का दोष है। यदि श्रमिक चार गुना अधिक उत्पादन कर रहा है तो 700 अथवा 800 रुपये अधिक मिलने पर उसका उत्साह बढ़ेगा। अतः प्रतिरक्षा मंत्री को देखना चाहिये कि उत्पादन उच्च स्तर के अनुसार क्यों नहीं है और हथियार बनाने वाल कारखानों में यह सब गड़बड़ी किस कारण है।

मैं सहकारी समितियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। विभिन्न दलों द्वारा अपने हित के लिये इनका उपयोग किया जा रहा है। जब तक कोई श्रमिक किसी संघ का सदस्य नहीं बनते उन्हें सहकारी समितियों का उपयोग नहीं करने दिया जाता। प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस मामले

को भी जांच करानी चाहिये और उन लोगों का जो सहकारी समितियों के तथा कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, स्थानान्तरण कर देना चाहिये।

अन्त में मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा के लिये बजट में अधिक धन राशि रखी जाये तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान पर और अधिक रुपया खर्च किया जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध करने की नीति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यद्यपि युद्ध करना कांग्रेस तथा हमारी सरकार की नीति के विरुद्ध है, हम ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंहतोड़ जबाब देकर संसार को दिखा दिया है कि हम देश की अखण्डता तथा अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा कर सकते हैं और भविष्य में भी करेंगे। हम बिना खून खराबे के पराजय की अपेक्षा वीरता से लड़कर देश की अखण्डता की रक्षा करेंगे।

आज की युद्ध-कला में इस कहावत का कोई महत्व नहीं रह गया है कि रक्तदान से विजय प्राप्त होती हैं। युद्ध के द्वारा किसी बुनियादी मामले को नहीं सुलझाया जा सकता। केवल सम्मेलनों तथा बातचीत द्वारा ही मामले इस प्रकार सुलझाये जा सकते हैं कि लोग पारस्परिक समस्याओं तथा कठिनाइयों को समझ सकें और बाद में शान्ति तथा सुरक्षा के वातावरण में रह सकें। परन्तु हमें सामरिक क्षेत्र में कमजोर रह कर उस कारण से युद्ध न करने की तथा शान्ति के लिये बातचीत नहीं करनी चाहिये। हमें चाहिये कि देश की सैनिक शक्ति पूर्ण विकसित हो और फिर भी हम युद्ध न करने की बात कहें।

ताशकंद समझौते के बावजूद पाकिस्तान का वर्तमान युद्धप्रिय रवैया तथा चीन का युद्धप्रिय रवैया अभी कुछ दिनों जारी रहेगा। अतः हमारी औद्योगिक, आर्थिक तथा सैनिक योजनायें इस प्रकार की हों कि यदि कभी शत्रु का आक्रमण हो तो लोग उसका अच्छी तरह सामना कर सकें। इसके साथ साथ सरकार को चाहिये कि वह संसार के अन्य देशों का मत भारत के पक्ष में बनाये। अलग रहने की नीति पर तो रूस और अमरीका भी अमल नहीं कर सके हैं।

प्रतिरक्षा की समस्या के तीन पहलू हैं। सैनिक पहलू के बारे में तो सैनिक विशेषज्ञों को ही कार्य करना होगा परन्तु घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में सभा विचार कर सकती है क्योंकि ये उसके कार्यक्षेत्र के अन्दर हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगें 970 करोड़ रुपये की हैं और यह राशि सरकार के कुल खर्चे का करीब 1/8 है। देश तथा लोगों की आवश्यकताओं तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को देखते हुये तथा खाद्य समस्या की गम्भीरता को देखते हुये, प्रतिरक्षा पर देश के लिये इससे अधिक धनराशि व्यय करना सम्भव नहीं है और न निकट भविष्य में सम्भव हो सकता है। पिछले वर्ष हम ने 300 करोड़ रुपये का खाद्यान्न आयात किया था, परन्तु हो सकता है इस वर्ष इससे दुगनी राशि का अन्न आयात करना पड़े। अतः यद्यपि प्रतिरक्षा का महत्व कुछ कम नहीं है, फिर भी जितना हम इस मद पर व्यय कर रहे हैं उससे अधिक कम करना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

करीब एक वर्ष पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि सरकार का 10 लाख सैनिकों के रखने का लक्ष्य था परन्तु रिपोर्ट में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। शायद, इस बारे में कुछ कहना लोकहित में नहीं है। परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि सेना का गति तथा अन्य योजना कार्यों में भाग लेने वाले तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है और युद्ध में भाग लेने वाले तथा अन्य सैनिकों की संख्या में क्या अनुपात है।

संकट की स्थिति का सामना करने के लिये कोई भी देश चाहे उसके साधन कितने ही अच्छे क्यों न हों, अधिक समय तक बहुत बड़ी सेना रख कर उसका व्यय सहन नहीं कर सकता। ब्रिटेन में, 1965 के आंकड़ों के अनुसार, 1,80,000 सैनिकों का लक्ष्य है जबकि उनकी रिज़र्व सेना की संख्या 1,65,000 है। परन्तु हमारी रिपोर्ट के अनुसार देश में टैरिटोरियल सेना की संख्या 43,000 है। यदि यह मान

(श्रीमती शारदा मुकर्जी)

लिया जाये कि 10 लाख सैनिकों के रखने का लक्ष्य पूरा हो चुका है तो भी टेरिटोरियल सेना में 4,300 सैनिकों का होना अपर्याप्त है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जवानों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक जवान को 15 वर्षों के लिये सेवा में रखा जाता है जिससे 7 वर्षों तक वह सक्रिय ड्यूटी पर रहता है। इस के पश्चात उसकी कोई पदोन्नति नहीं होती। 8 वर्षों तक वह रिज़र्व सूची पर रखा जाता है और उसे कुल 10 रुपये प्रतिमास मिलता है। देश में बेरोज़गारी बहुत अधिक है और सेना के लिये भर्ती गरीब तथा पिछड़े हुये वर्गों में से की जाती है।

रिज़र्व सेना के बारे में मेरा यह सुझाव है कि असैनिक विमान चालकों, व्यापारी बेड़े के चालकों तथा वैज्ञानिकों को रिज़र्व सूची पर रखा जाये। इनको छः महीने की या एक वर्ष का प्रशिक्षण देकर रिज़र्व सूची पर रखा जाये। इसी प्रकार पैदल सेना, तोपचालकों, इन्जिनियर और डाक्टरों की प्रारक्षित सेना बनाई जा सकती है। इस प्रकार, 10 लाख सेना के अतिरिक्त 10 या 15 लाख की एक और प्रारक्षित सेना बनाई जा सकती है और इन लोगों को संकट काल में आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है।

हमारे साधन, तकनीकी तथा आर्थिक साधन बहुत ही सीमित हैं। अतः हम इस समय या निकट भविष्य में केवल आत्मनिर्भर हो कर ही अपना काम नहीं चला सकते। हमें विदेशी सहायता लेनी ही पड़ेगी। अनुदानों के लिये मांगों से पता चलता है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर 900 करोड़ रुपये खर्च होते हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस राशि में से कितना रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय होता है। दूसरे, यदि कोई विदेशी सहायता मिल रही है तो यह नहीं बताया गया है कि उसकी मात्रा क्या है और वह किस प्रकार की सहायता है तथा किन शर्तों पर मिल रही है।

इस में संदेह नहीं है कि अभी हमारी सेना में परम्परागत हथियारों का अनुकूलन करके उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय हमारे जवानों को स्वचालित राइफ़लें जो बहुत भारी होती हैं ले जाने में बड़ी कठिनाई हुई थी। उन्हें ऊंचाई पर चढ़ने में दिक्कत होती थी तथा कम गोला बारूद ले जा सकते थे। इस के परिणामस्वरूप ऊंचाई पर पहुंचने पर उनकी गोला-बारूद शीघ्र ही समाप्त हो जाती थी और चूंकि स्वचालित राइफ़लें 10 मिनट में 15 गोली चलाती हैं, वहां अधिक गोलाबारूद की आवश्यकता होती थी। अतः हमें इस बात का अनुमान लगाना चाहिये कि क्या उन आधुनिक शस्त्रों की जो अन्य देशों में उपयोग किये जाते हैं, हमारे सैनिकों की परिस्थितियों तथा उस भूप्रदेश की कठिनाइयों को देखते हुये, जहां उनका उपयोग होगा, वास्तव में हमें आवश्यकता है अथवा नहीं।

पराध्वानिक चाल वाले वायुयान अच्छे रहते हैं परन्तु उनके लिये वायु में ही ईंधन डालने की व्यवस्था होना आवश्यक है। उसके लिये रेडार तथा अन्य आधुनिक सामान की भी आवश्यकता होती है।

सैनिक उड्डयन अथवा नौ सेना की सीमीत आवश्यकताओं को देखते हुये विभिन्न प्रकार के वायुयान, जलपोत इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ब्रिटेन में उड्डयन मंत्रालय है, और वह सैनिक तथा असैनिक उड्डयन से सम्बधित सप्लाई का कार्य देखता है, हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

इसी प्रकार जलपोतों की स्पलाई जलपोतों तथा वायुयानों का जीर्णोद्धार तथा साधारण किसी एक संयुक्त संगठन को जो प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा अन्य किसी मंत्रालय के अधीन हो, सौंपा जाये। मैं समझती हूं कि मंत्रालय मेरे इस सुझाव पर अवश्य विचार करेगा।

हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड ने, जिसमें 50 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी तथा 38 करोड़ रुपये की प्रार्थित पूंजी है और जिसके कारखाने पांच स्थानों में हैं, कुछ "नैट" विमान बनाये हैं परन्तु हमें यह पता नहीं है कि कितने प्रतिशत विमान यहां बनते हैं अथवा बनाये गये हैं।

"एवरो 748" विमान बनाने की योजना असफल रही है । "एच० एफ० 24" विमान को पराध्वनिक चालवाले विमान के रूपमें अभी तक नहीं बनाया जा सका है । अतः पुनर्गठन तथा दुबारा निर्धारण के लिये काफी गुंजाइश है तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन पर होने वाले व्यय में काफी कमी की जा सकती है ।

सेना के प्रयत्नोंको असैनिक प्रयत्नों का समर्थन मिलना भी आवश्यक है । जर्मनी में एक ट्रैक्टर "यूनीमौग" बनाया गया था जो टैंक की तरह भी उपयोग किया जा सकता था । उसी कम्पनी ने "पैंथर" टैंक भी बनाये थे। हमारे देशमें भी ऐसा किया जा सकता है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों को एकदम पृथक भी नहीं रखा जा सकता हालांकि आर्थिक कठिनाईके कारण हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिये जिस से आर्थिक, औद्योगिक तथा जनशक्ति सम्बन्धी साधनों का उपयोग किया जा सके ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाये और उनका और अधिक समन्वय किया जाये । आजकल एक प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन बहुत सी विस्तृत गतिविधियां चल रही हैं । अतःवहां विशेषीकरण, प्रयत्नों का एकीकरण तथा समन्वय की बड़ी आवश्यकताहै जिस से खर्चे को सीमा के अन्दर ही रखा जा सकता है ।

चूंकि हमारी युद्धनीति हमारे शांतिप्रिय राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल ही होनी चाहिये यानी हमारी युद्ध नीति शांति की नीति का अंग होनी चाहिये । हमें इतना शक्तिशाली होना चाहिये जिससे कि हम विदेशी आक्रमण का मुँहतोड़ सामना कर सकें । हमारी सेना की कार्यकुशलता तथा उसका मनोबल जनता के प्रयत्नों पर निर्भर रहता है । रिपोर्ट में "प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी" पर जोर दिया गया है। मेरी राय में उसके स्थान पर दूसरे वाक्य होने चाहिये, जैसे, "प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुशलता" अथवा "प्रभावशाली युद्ध नीति"।

इतना कह कर मैं मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : हमारे सैनिक अधिकारियों तथा जवानों ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है, इसको हमारी सेना के इतिहास में स्वर्णक्षरोंमें लिखा जायेगा । एक भूत-पूर्व सैनिक होने के नाते मैं उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की अखंडता को बनाये रखने के लिये जान की बाजी लगा दी थी ।

एक भूत-पूर्व सैनिक होनेके नाते मुझे जवानोंकी सेवाशर्तों केबारे में बड़ी चिन्ता है । हमारे सैनिकों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। अधिकतर सैनिकोंको 100 रुपये से कम वेतन मिलता है । सैनिकों का वेतन बढ़ाने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये । मामूली सिपाही का वेतन केवल 55 रुपये है। एक जवान का सेवाकाल 15 से 20 वर्ष तक होता है । इस कालमें अधिक से अधिक 10 रुपये की वृद्धि होती है। 5 वर्षों के बाद 2.50 प्रति मास मिलता है। औसतन यह 50 पैसे प्रति मास आता है। इसके विपरीत अफसरों को आरम्भ में 400 रुपये प्रतिमास मिलते हैं । सामान्यतः एक अफसर कम से कम मेजर होकर सेवा निवृत्ति पाता है जिससे उसे करीब 550 रुपये पेंशन मिलती है । एक सिपाही को 17 रुपये पेंशन लेती है । अतः मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह जवानोंका वेतन बढ़ाने के सुझाव पर विचार करें ।

अफसरों को परिवार से अलग रहने पर पृथक्करण का भत्ता दिया जाता है। यह बड़े दुःख की बात है कि अफसरों को पृथक्करण का भत्ता 50 रुपये प्रति मास दिया जाता है जबकि एक मामूली जवान को ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता । जवानों का भी परिवार होता है । वह भी अपने परिवार को ड्यूटी के स्थान पर नहीं ले जा सकता और उसे भी अपने परिवार से अलग रहने पर अफसरों की भांति ही दुःख होता है। फिर जवान को पृथक्करण का भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

अतः मैं चाहता हूं कि अफसरों तथा जवानों की सेवा की शर्तों का अध्ययन करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये जो जवानों के वेतन बढ़ाने के लिये सुझाव दे ।

[श्री अ० व० राघवन]

जवानों को बहुत कम पेंशन मिलती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जवान को 17 रुपये प्रतिमास तथा अभी हाल की 5 रुपये प्रतिमास की वृद्धि को मिला कर कुल 22 रुपये प्रतिमास मिलते हैं। यह राशि उसके वेतन का 25% है। एक अफसर को निवृत्ति के बाद 550 पेंशन मिलती है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पेंशन 50 रुपये प्रतिमास नियुक्त कर दी जाये।

सेना के लिये रिहायशी मकानों की बहुत कमी है। केवल जवानों को ही नहीं अपितु अफसरों को भी रिहायशी स्थान सम्बन्धी कठिनाई होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सामग्री की खरीद पर 1.13 लाख अतिरिक्त व्यय हुआ है क्योंकि वस्तुयें 50 से 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर खरीदी गई थीं। सप्लाई डिपो के अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

इसी प्रकार बंगाल में ताज़ा फल तथा तरकारियों की सप्लाई के लिये एक समिति को जो ठेका दिया गया था उस के अन्तर्गत 1964-65 में माल 14.10 लाख अधिक मूल्य पर मिला था। इससे संदेह होता है कि जब एक मास पूर्व निम्नतम मूल्य पर सप्लाई करने वाला टेंडर मिला था तो इस समिति को ठेका क्यों दिया गया। हो सकता है कि समिति में कोई सेवा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जो ठेका उस समिति को दिलाना चाहता हो। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि मंत्रालय बंगाल की एक सहकारी समिति को ठेका देकर 14.10 लाख रुपये नष्ट करे।

ऐसे कुछ मामले हैं कि जवानों द्वारा हिन्दी में परीक्षा (टैस्ट) पास न करने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं की गई है। कई हवलदारों की पदोन्नति इसी लिये नहीं की गई है कि वे हिन्दी परीक्षा नहीं पास कर सके हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि कम से कम जो व्यक्ति अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आते हैं उनके मामले में इस शर्त को सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिये और उनको पदोन्नति के अधिक अवसर दिये जाने चाहिये।

सेना की नर्सिंग सेवा में स्त्री-पुरुष भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः कमीशन मिलने पर पुरुषों को एक 'स्टार' दिया जाता है। परन्तु स्त्रियों की नियुक्ति लफ्टिनेंट की श्रेणी में की जाती है। हजारों पुरुष नर्सों को पदोन्नति का अवसर नहीं मिल रहा है। उनको "कमीशन रैंक" नहीं दी जा रही है। पुरुष नर्से 90% कार्य कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सेना की नर्सिंग सेवा में स्त्री पुरुष के विभेद को यथासम्भव शीघ्र समाप्त करायें।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये एक निधि आरम्भ की गई है। राष्ट्रीय रक्षा कोष से 5 करोड़ रु० की सहायता से इस निधि को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को रुपया मिल चुका है। जिन राज्यों को अभी तक रुपया नहीं मिला है उनको शीघ्र दिलाया जाये।

भारतीय सैनिकों, नाविकों तथा वैमानिकों के बोर्ड में कोई भूत-पूर्व सैनिक नहीं है। अतः एक भूत-पूर्व सैनिक को नाम-निर्देशित किया जाना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह–कोटा (झालावाड़) : हाल के संघर्ष में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। जिन सैनिकों ने मातृभूमि के लिये जान की बाज़ी लगा दी तथा 1962 में हमारे खोये हुये सम्मान को पुनः प्राप्त किया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रतिरक्षा मंत्री ने बड़ी वीरता से देश का मार्ग दर्शन किया था।

मैं माओत्से-तुंग का धन्यवाद करता हूं कि उनके 1962 के आक्रमण ने भारत की आंखें खोल दी थी और उसका रण हमने जो तैयारी की वह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में काम आई।

हमें आज पूर्व में चीन से तथा पश्चिम में पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। चीन के पास परमाणु हथियारों के अतिरिक्त "मिसाइल" तथा "बैलिस्टिक मिसाइल" भी बना है। इसका मतलब यह है कि 1967 में हमारे सारे पृष्ठदेश को जो तिब्बत की सीमा से 500 मील के अन्दर अन्दर है, और जो हमारा आर्थिक आधार है तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन का केन्द्र है, परमाणु शस्त्रों द्वारा नष्ट किये जाने का हमेशा भय बना हुआ है। अमरीका भी इस बात को मानता है कि 1970 तक चीन ऐसी "मिसाइल" बना लेगा जिस से यूरोप के नगरों तथा न्यूयार्क और सानफ्रांसिस्को इत्यादि को नष्ट किया जा सकता है।

चीन और पाकिस्तान शक्ति में विश्वास करते हैं। चूंकि हमें परमाणु शस्त्रों से खतरा है, हमें चाहिये कि रूस और अमरीका से हम अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिये गारन्टी ले लें। या हम अपनी परमाणु शक्ति का विकास करें। पिछले संघर्ष से यह सिद्ध होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में केवल शक्ति का ही सम्मान किया जाता है। हमें कमजोर समझा जाता था परन्तु पिछले संघर्ष ने यह दिखा दिया है कि हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को सर्वप्रथम वायुसेना को उच्च कोटि का बनाना चाहिये। हमारे पास विमानों की कमी है। जोधपुर पर पिछले संघर्ष के दौरान किये गये हमले से यह पता चलता है कि हमारे पास ऐसे लड़ाकू विमानों की कमी है जो हर मौसम में उपयोग में लाये जा सके। फिर भी हमारी वायुसेना ने प्रशंसनीय कार्य किया है। "नैट" विमानों ने बहुत अच्छा कार्य कर के दिखाया है। चूंकि हवाई युद्ध 3,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं हुआ आधुनिक, इन्फ्रारेड तथा ताप का पीछा करने वाली मिसाइलें अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुई। केवल मशीन चालकों की वीरता तथा चतुरता के कारण अधिक सफलता मिली है।

एक चीनी सिपाही ने एकबार कहा था कि केवल शस्त्रों से ही युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध संचालन करने वाले लोगों की योग्यता पर भी बहुत कुछ आधारित रहता है। मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक आपात के समय में विमान भेदी तोपों को लगाने का सम्बन्ध है हमें इस मामले में काफी अच्छा समन्वय करना चाहिये। हाल ही में जो संघर्ष हुआ था उसमें यह तथ्य देखने में आया कि जिन स्थानों पर इनकी आवश्यकता थी वहां पर उनको लगाने में काफी देर हो गयी। चाहिये तो यह था कि उनको बहुत पहले ही वहां ले जाया जाता। यह बात तो विदेशी सम्वाददाताओं ने भी स्वीकार की है कि हमारी विमान भेदी तोपें काफी अच्छी थी और उन से पाकिस्तान को काफी क्षति पहुंचाई गई।

मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अंग्रेज क्यों हमारे विरुद्ध हो गये हैं। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिये था कि उनके यहां बने हुए शस्त्रों से हमने युद्ध में अमरीकी हथियारों का मुकाबला किया। राजस्थान सीमा के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें सचेत रहना चाहिये। ऐसा न हो कि बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। राजस्थान सशस्त्र पुलिस को मजबूत करने की बात कईबार की गयी है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस को सेना के अधीन रखा जाना चाहिये और उसे आवश्यक हथियार दिये जाने चाहियें और वहां पर परिवहन तथा संचार सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिये। हाल ही के संघर्ष के दौरान राजस्थान के लोगों को दिये गये हथियारों को वापिस नहीं लेना चाहिये था। घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिये उनकी बहुत आवश्यकता है।

विमानों के जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि हमें विदेश पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि यदि हमारे भारतीय विमान-फ्रेमों के लिये इंजिन निर्माण करने के लिये मिस्र का संयंत्र लगाने की परियोजना को कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है तो इस परियोजना की क्रियान्विति के अन्य तरीके ढूंढने चाहियें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कानपुर डिपों में "एवरो" का उत्पादन बहुत ही कम है। ऐसा लगता है कि उत्पादन के लिये पर्याप्त धन नहीं है। हमें सिडले ग्रुप के सहयोग से कानपुर डिपो में लाइसेंस के अन्तर्गत एक 'कैरिब्यू' विमान का भी निर्माण करना चाहिये।

[श्री ब्रजराज सिंह-कोटा]

हमारी विदेश नीति को देखते हुए हमारे देश के लिये वाहक विमानों को रखने का कोई फायदा नहीं है। इन विमानों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे दूर की मार करने वाले तथा भूमि पर रख कर चलाने वाले नौसेना के दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने वाले विमानों को प्राप्त करने पर खर्च किया जा सकता है और अधिक संख्या में हेलीकोप्टर भी प्राप्त कर मे भी खर्च किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I pay my homage to the armed personnel who.did their best during our conflict with Pakistan. But our armies are not adequate innumber. We should also try to increase the armed forces. I want to urge that people belonging to the martial races, should be recruited in the army. Moreover people should not be recruited into the army against their or their guardians wishes. We have army of about 8 lakhs, it should be at least 20 lakhs.

Also I may state that the people are prepared to contribute as much money as is required for strengthing the defence of the country. We should also make a comparative study of our war implements and weapons. After a dispassionate study we will come to know that we lack behind very badly in this connection. We should manufacture modern weapons and try to get them from foreign country. This is the only way by which we can equip our Armed Forces well. For this purpose we should try to become self sufficient.

This has also come to light that the money out of the National Defence Fund is being misused in the States. I want to urge upon the Government that the National Defence Fund should be utilized for manufacturing weapons. This is in the best interest of the country. We should understand that itis no use always harping on peace, we should try our level best to make the country strong. Only strong nations have the right to preach peace. We should always be ready to repeat our army.

We also lack in the guerilla soldiers. We should give training to our soldiers in guerilla warefare. These soldiers can be utilized at the time of need. According to our need we should get weapons from different countries. In this connection political consideration should not be allowed to stand in our way. We should be well prepared for war and peace both. Every effort should be made to make the country very strong.

I have read in audit report that the cement was stolen from the Defence Ministry worth lakhs. This is highly condemnable. I urge that the thorough inquiry should be conducted in this whole affairs and those guility persons should be brought to book. In this connection I also want to insist that the civilian employees in the Defence Ministry should not be retrenched. They should be employed in our ordnance factories.

Together with that I would like to point out that no anti-national elements should be allowed to work in the Ministry. The Ministry should be fully purged of such elements. Government should ever remain vigilant for such elements. Let me also state that the Government should pay attention to the corruption in the Jabalpore Factory. It is said that lakhs and crores are involved there. Also that the officials of that factory are indulging in anti-national activities. All such activities should be thoroughly controlled.

Lastly I may state that Military training should be imparted to the people in the border areas. It will be quite in fitness of things if the Ex-service men are asked to settle in the border areas. Arms should be given to the people inhabiting the border areas. People should be allowed to manufactue arms also. In the border areas the ban on the equisition of arms should be removed.

श्रीमानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): हमने अभी तक अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय प्रतिरक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। हम गुटों में शामिल न होने की नीति पर अमल करते रहे हैं। हमारा विचार यह था कि हम शांति से अपने आर्थिक विकास की ओर ही ध्यान देते रहेंगे। परन्तु हालात ने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ उससे हमें पता चला कि इस नीति से हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जो लोग गुटों में शामिल थे और जो गुट साम्यवाद को समाप्त करने के लिए बने थे वे भी ऐसे लोगों को सहन करते देखे गये जो कि साम्यवादियों से प्रेम बढ़ाने में संकोचन नहीं करते। पाकिस्तान ने चीन के साथ सम्बन्ध बढ़ाये परन्तु किसी भी पश्चिमी राष्ट्र ने उसकी निन्दा नहीं की। भारत पूरी तरह से अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कायम है। परन्तु इस पर भी उसे पाकिस्तान के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पश्चिम राष्ट्र यह नहीं देखते कि वह किस प्रकार चीन की गोद में जा रहा है।

यह भी अमर सत्य है कि रूस भी हमारी सहायता को नहीं आया। सारी स्थिति में हमें यह बात समझनी चाहिये कि हमें अपनी विदेश नीति में प्रतिरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। यदि हम अपने सिद्धान्तों के पीछे ही लगे रहे तो हमें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। हमारी विदेश नीति में प्रतिरक्षा मंत्री का अंश भी बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्री यदि इस दिशा में निष्क्रिय रहे तो इसका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। एक बात हमें समझ लेनी चाहिये इस वक्त चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ताशकन्द समझौता दोनों देशों को एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने अपने दोषों को देख सकें। ताशकंद भावना पर तो कायम रहना ही चाहिये। परन्तु तथ्यों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें अल्पकालीन नीति के तौर पर विदेशों से सामान तथा ऋण के रूप में प्रतिरक्षा सहायता लेनी चाहिये। हम प्रतिरक्षा के उपकरणों पर निरन्तर कर नहीं लगा सकते।

यह हर्ष की बात है कि स्थायी नीति के रूप में दीर्घ काल के लिए सरकार ने पांच वर्ष के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रतिरक्षा के लिये की है। इस सम्बध में मेरा निवेदन यह है कि हमें अपने आस-पास के वातावरण को देखते हुए हमें प्रतिरक्षा योजना की पांच वर्ष की अवधि में कमी करनी चाहिये हमें किसी भी समय किसी भी दुर्घटना का मुकाबला करने के लिए तयार रहना चाहिये। यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि सरकार हथियारों के विकास तथा भण्डार बनाने पर ध्यान दे रही है। इस समय हम जन-शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें अपनी स्थल सेना को बढ़ाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उचित रूप में सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए एमरजैंसी कमीशन अफसर को स्थायी कमीशन देने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं की नौ सेना के लिये जो 30 करोड़ रुपये की धन राशि निर्धारित की गई है वह आज की स्थिति में बहुत कम है इसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर देने चाहियें। हमें पनडुब्बी जैसे उपकरण खरीदने चाहिये जो हमारे तट की रक्ष करसकें। वायु सेना के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी भी देश में आपात चल रही है। अतः हमें असैनिक कार्यों के लिए अपने तकनीकी विमान-चालकों को नहीं देना चाहिये। परन्तु उन्हें असैनिक विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण देना चाहिय। प्रतिरक्षा संगठन के बारे में मैं दो और महत्वपूर्ण सुझाव स्तुत करना चाहता हूं। सेना के जो कर्मचारी सेना मुख्यालय में लगे हुए हैं उनको क्षेत्रीय ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिये। आम तौर पर प्रतिरक्षा सेवाएं सीधा सेनाध्यक्षों के अधीन कार्य करती है और मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य समन्वय करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देखभाल करना है इस लिये प्रतिरक्षा

[श्री मानवेन्द्र शाह]

मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या में कमी की जानी चाहिये और जो भी कर्मचारी फालतू हों उनको प्रतिरक्षा मुख्यालयों में सैनिक कर्मचारियों का स्थान लेने के लिये बदली कर दिया जाना चाहिये। वित्तीय सलाहकार की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिरक्षा सेनाओं पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वे निधियों का सदुपयोग करेंगी और फिजूल खर्ची नहीं करेंगी।

श्री नाथ पाई (राजापुर): गत अठारह वर्षों में पहली बार सितम्बर 1965 में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कोई शानदार कारनामा किया। हम उन सभी व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। इन लोगों ने अपनी वीरता के कारनामों से देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया।

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए]
[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

मेरा यह निवेदन है कि जिन लोगों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया है उनमें भाषा की एकरूपता नहीं है इस प्रतिवेदन को और अच्छा लिखा जा सकता था। इस वर्ष तो प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन एक खेलपत्र के रूप में होना चाहिये था जो हमारी तयारी अथवा अगले वर्ष के लिए अनुमान न केवल धन के संबंध में ही करे अपितु सीमाओं पर कठिनाइयों के बारे में भी बताये और यह भी बताये कि हम क्या करना चाहते हैं। यह प्रतिवेदन तो एक खिचड़ी सी बन गई है। आशा है कि भविष्य में मामले के इस पहलू पर ध्यान दिया जायेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि सभा को प्रतिरक्षा की प्रत्येक मांग को स्वीकार करना चाहिये, फिर भी, जो धनराशि स्वीकार की जाये उसके एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिये। इस वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कई कमियां बताई गई है। जब कि पैसे का उचित उपयोग नहीं किया गया था। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि अधिक किराये पर आवास स्थानों को न लिया जाये। यह एक ऐसी फिजलखर्ची है जिसको विजय वर्ष में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

गत सितम्बर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बारे में कहा जाता है कि अन्त में विजय भारत की ही हुई क्योंकि 11 करोड़ पाकिस्तानों के विरुद्ध 48 करोड़ भारतीय थे। यह एक बिल्कुल गलत चित्रण है। इस बात को भुलाया जाता है कि पाकिस्तान के पास सभी प्रकार के अच्छे हथियार थे।

पिछले साल की पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बारे में यह कहा जाता है कि भारत इस लिये विजयी हुआ कि 11 करोड़ पाकिस्तानियों के विरुद्ध 48 करोड़ भारतीय थे। यह गलत बात है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ 70 करोड़ चीनी और 12 करोड़ इंडोनेशियाई भी थे। इन दो देशों ने भी खुले आम पाकिस्तान का साथ दिया था। यह आवश्यक नहीं कि बढ़िया किस्म के हथियारों से ही लड़ाई जीत ली जाये। विजय के लिये मनोबल की आवश्यकता होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बढ़िया हथियारों वाले देशों को मुंह की खानी पड़ी है। हमें प्रशिक्षण और नेतृत्व ठीक प्रकार से रखना चाहिये तब सदैव हमारी विजय होगी। पिछले अप्रैल में जब पाकिस्तान ने रणकच्छ पर आक्रमण किया था उस समय हमने मांग की थी कि हमारी सरकार को अपनी प्रतिरक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहिये। हमने कहा था यदि पाकिस्तान ने रणकच्छ पर आक्रमण किया है तो हम पाकिस्तान पर किसी और सुविधाजनक स्थान पर आक्रमण कर दें। सरकार को इस नीति पर बाध्य होना पड़ा और गत सितम्बर में हमें पाकिस्तान को ऐसे ही उत्तर देना पड़ा। हमने संसार को दिखा दिया कि यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा तो हमें भी हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारी विजय इसीलिये हुई कि हम ने अपनी नीति को बदला।

ताशकन्द समझौता के बावजूद पाकिस्तान अपनी पुरानी चालें चल रहा है और चीन उसका साथ दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार तथा लड़ाई का दूसरा सामान भी दिया है। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया से सांठगांठ की है। हमें चीन से भयभीत नहीं होना चाहिये। उसकी सेनाएं भी कई स्थानों पर बिखरी हुई हैं। ये स्थान वियतनाम, फार्मोसा और चीन की सोवियत संघ के साथ लगती सीमा हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिये। यदि चीन हमारे देश पर आक्रमण करता है तो हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

हमारी वायुसेना ने पिछले संघर्ष के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया है मैं उसकी सराहना करता हूं। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि हमें आधुनिक विमानों का निर्माण करना चाहिये। हमें समझ लेना चाहिये कि चीन की स्थितिऐसी है कि उसके विमान तिब्बत से उड़ान भरकर हमारे ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं परन्तु हमें तिब्बतके उस पारजा कर चीन के ठिकानों को निशाना बनाना पड़गा। इसलिये सरकार कोइन सभी बातों पर विचार करना चाहिये।

हमने 1959 में भी चीन के खतरे की चेतावनी दी थी। परन्तु हमारे साम्यवादी मित्रों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया था। आज हमें चीन से और भी अधिक खतरा है। उसने अणु बम बना लिया है। हमारी सरकार कोभी गम्भीरता से विचार करना चाहिये और देश की रक्षाके लिये यदि आवश्यक हो तो अणु बम बनाना चाहिये। सेना में भर्ती के समय योग्य व्यक्तियों को लेना चाहिये।

श्रीमतीतारकेश्वरी सिन्हा(बांढ़) : श्रीमान, प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगें बहुत महत्व रखती हैं। विशेष रूप से ताशकन्द समझौते के बाद इनका महत्व और भी बढ़ गया है। माननीय मंत्री ने इन मांगों को बहुत अच्छे ढंग सेप्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ताशकन्द समझौते पर ईमानदारी से अमल करना चाहती है। यह अच्छी बात है। परन्तु हमें कुछ बाद की घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि सेनाओं की 25 फरवरी की स्थिति तक वापसी पूरीहो गई है परन्तुसंयुक्त राष्ट्र केप्रतिनिधि ब्रिगेडियर मुराम्बयू की रिपोर्ट के अनुसार यह वापसी पूरी नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों के बारे में पाकिस्तान ने झगड़ा खड़ा करदिया हैऔर दावा किया है कि कुछ क्षेत्र पहले उनके अधिकार में थे। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उस दावे को स्वीकार नहीं किया है। मैं चाहती हूं कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री हमें इस बारे में ठीक ठीक स्थिति बताएं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं रावलपिंडी में चीन के बने हथियारों, टैंकों और विमानों का प्रदर्शन किया गया है। इससे पाकिस्तान केइरादों का पता लगता है। अमरीका कोइस पर ध्यान देना चाहिये। इस समय वह भारत और पाकिस्तान के बारेमें अपनी नीति निर्धारित कर रहा है। चीन के साथ गुप्त रूप से एकप्रकार का समझौता कर के पाकिस्तान विश्व के इस भाग में खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। इस सब कामों के पीछे चीन की चाल है। ताशकन्द समझौता चीन को एक आंख नहीं भाता।

वियतनाम की स्थिति भी बहुत गम्भीर हो गई है। अब वहां पर अमरीका और चीन लगभग एक दूसरे के सामने हैं। चीन अब वहां से सेना हटाकर और किसी स्थान की तलाश में है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान चीन केइशारों पर नाचने को तयार है। खेद की बात है कि अमरीका ने रावलपिंडी में हुएप्रदर्शनों को अधिक महत्व नहीं दिया है। इसके लिये अमरीका को पछताना पड़ेगा। अमरीका को भारत तथा पाकिस्तान के साथ एक जसा व्यवहार नहीं करना चाहिये। अमरीका को भारत की सहायता देने के लिये कोई शर्तें नहीं रखनी चाहियें। चीन के बीच में आ जानेसे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। इसलिये अमरीका तथा भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

ऐसा समझा जाता है कि दो या तीन वर्षों में चीन 100 अणु बमों का विस्फोट करने में समर्थ हो जायेगा और वह प्रक्षेपण अस्त्र भी बना रहा है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हमें दोनों बड़े बड़े गुटों से अणुहथियारों से संरक्षण की गारंटी लेनी चाहिये। ऐसी स्थिति में हमें अणु बम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतिरक्षा मंत्री को प्रधान मंत्री के साथ अमरीका जाना चाहिये था और वहां पर पिछले संघर्ष के बारे में ठीक जानकारी देनी चाहिये थी। इससे हमें बहुत लाभ हो सकता था।

Shri Gopal Dutt Mengi (Jammu and Kashmir) : Our Army has fought this war very bravely and has proved that our Jawans are quite capable of defending our territorial integrity. The credit for this goes to our wise leadership. The enemy had superior weapons, but better trained soldiers rendered them ineffective. This conflict has brought to light some drawbacks in our preparedness. The roads and culverts were not in good condition and the result was that we could not advance our heavy vehicles. This gave an advantage to Pakistan. Had our roads been in good shape, we would have been able to check enemy advance. Proper attention should be paid to the work of construction and maintenance of roads. We should have alternative roads along with all border roads.

In order to check illegal infiltration in border areas ex-service-men should be settled there. All political parties are in favour of this. These people should be given arms. The hon. Minister should consider this proposal seriously. During the days of last conflict N.C.C. cadets have worked magnificently. They served the military Jawans very nicely. I want that girl cadets should be imparted training in nursing. It will be very helpful.

Our Armed forces have endeared themslves after the recent conflict with Pakistan. People have developed a special liking for them. I suggest that army should not be called for internal disturbances. We should have a special police force for this purpose.

We should enter into some agreement with Ceylon and assure her protection from aggression.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : श्रीमान मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्य की प्रशंसा की है। 1965-66 की रिपोर्ट से पता चलता है कि नई नई प्रकार के हथियारों तथा गोलाबारूद के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष कपड़े और सामान्य भण्डार के उत्पादन में कमी का उल्लेख है। हमने इस बारे में प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये काफी उत्पादन कर लिया है। अतः इस क्षेत्र में कमी की कोई चिन्ता का विषय नहीं है। वर्ष 1964-65 में नई पहाड़ी तोपों, विमान भेदी तोपों और नये मारटर गोलों के उत्पादन के लिये पर्याप्त प्रयास किये गये हैं और हमें इस में सफलता भी मिली है। इस काम के लिये मैं आयुध कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की प्रशंसा करता हूं। इस संकटकालीन स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आयुध कारखानों के बारे में प्रश्न किये हैं। ऐसे समय पर इस प्रकार के प्रश्न उठाना उचित है। हमें आयुध कारखानों के बारे में विचार करते समय अपनी कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिये। कहीं पर कुछ विलम्ब हुआ है फिर भी काम की प्रगति काफी संतोषजनक रही है।

वरणगांव के नये आयुध कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है। अगस्त, 1965 से इस से साजसामान मिलने लगा है। ऐसी आशा है कि एक या दो वर्षों तक यह कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा।

जब सितम्बर, 1965 में अमरीका ने सैनिक सहायता देना बन्द कर दिया तो अम्बाझारी के प्रस्तावित कारखाने के लिये संयंत्र के मिलने में बाधा खड़ी हो गई, परन्तु इस के एक भाग के लिये संयंत्र प्राप्त करने के वैकल्पिक प्रबन्ध किय जा रहे हैं। और देश में गैर-सरकारी क्षेत्र से सहायता प्राप्त की जा रही है।

चान्दा कारखाने के बारे में ब्रिटेन ने सहायता बन्द कर दी थी परन्तु हमने नकद भुगतान करके परियोजना के काम को रुकने नहीं दिया है। तिरुच्चिरापल्ली के कारखाने के बारे में हम अपनी सुरक्षित विदेशी मुद्रा को प्रयोग में ला रहे हैं और काम ठीक प्रकार से चल रहा है। कुछ ही महीनों में उत्पादन का प्रथम चरण आरंभ हो जायेगा। तीन और कारखाने पहले ही बनाये जा चुके हैं। ये हैं—भण्डारा में विस्फोटक पदार्थ कारखाना, चण्डीगढ़ में तार कारखाना और आवाड़ी में टैंकों का कारखाना इन में उत्पादन आरंभ हो चुका है। म माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उनके सुझावों पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

दो और कारखानों—जबलपुर में मोटर गाड़ियों का तथा आगरा में "क्सलरेटिड फ्रीजड्राइंग" फैक्टरी— के बारे में स्वीकृति दी जा चुकी है और आगे की कार्यवाही हो रही है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिये दी जाने वाली राशि में तीन गुना वृद्धि हुई है। 1965-66 में इस बारे में लगभग 967 लाख रुपये व्यय होंगे। विदेशी मुद्रा भी अधिक मात्रा में व्यय की जा रही है और कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हम गैर सरकारी क्षेत्र से भी काम कराना चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र के कारखानों की क्षमता का भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। गैर सरकारी क्षेत्र को हमारे आदेशों के अनुसार माल तयार करना होगा। इस बारे में किसी प्रकार की ढील नहीं की जायेगी।

हथियारों आदि के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में हमने एक मजबूत आधार बना लिया है। यह ठीक है कि कई वस्तुओं के बारे में हम विदेशों से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। बाहर की कम्पनियां भी तो अन्य देशों की कम्पनियों पर निर्भर करती हैं। इस लिये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। जैसे नेट विमानों के उत्पादन के लिये ब्रिस्टल सिडले के सहयोग से हमने इसके इंजिन तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, परन्तु यह कम्पनी भी अपने देश तथा कई अन्य देशों की कम्पनियों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही हमें पता है कि उन मदों के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता की जांच अभी शेष है। और अपने हाल के अनुभव की दृष्टि से हमें इन मदों के बारे में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करना होगा।

रुड़केला में 'आरमर्ड प्लेटों' के कारखाने की स्थापना का काम हो रहा है। हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्पेशल स्टील के उत्पादन कार्य को भी हाथ में लिया जा रहा है। प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये 'इलेक्ट्रानिक्स' की आवश्यकता के महत्व को हम समझते हैं। इस उद्योग के विकास पर हमारा प्रतिरक्षा सम्भरण विभाग विशेष ध्यान देगा और उत्पादन में वृद्धि की जायेगी। हम हैदराबाद में दूसरा इलेक्ट्रानिक कारखाना भी स्थापित कर रहे हैं।

जैसा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है हमारे आयुध कारखानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत से कारखानों ने पिछले वर्ष के लिये लाभांश की भी घोषणा की है।

'हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड' की जो आलोचना की गई है वह अनुचित है। केवल एच० एफ० 24 पर ही इस कारखाने का आधार नहीं है। इस कारखाने में और भी कई प्रकार के विमान तैयार होते हैं। इस कारखाने में मरम्मत कार्य भी होता है जो बहुत महत्व

[श्री अ० म० थामस]

का काम है। यदि किसी परियोजना में प्रगति धीमी हो तो हमें उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

एवरो–748 के बारे में संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। फिर भी हमें वहां पर काफी अनुभव प्राप्त हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर के कारखाने को दिये गये आदेशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भी सप्लाई आर्डर दिया है। मंत्रालय इस काम पर विचार कर रहा है और सोचा जा रहा है कि इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ समझौते के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में कार्य हो रहा है और जब काम ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि इंजिन बनने लगें तो हम इस बारे में ब्यौरे से बता सकेंगे। सरकार कानपुर यूनिट से पूरा पूरा लाभ उठाने के बारे में विचार कर रही है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

नौसेना की ओर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमें अधिक जहाजों के खरीदने को ही अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। फ्रीगेट्स के निर्माण का काम ठीक प्रकार से चल रहा है। हम अपनी पोत निर्माण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार हम अपने प्रतिरक्षा कार्यों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं। हमें और भी अधिक कार्य करना है और सतर्क रहना है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, from the point of view of defence the development of industries is very vital. Industries should be so developed that if necessary we are able to manufacture not only nuclear weapons but also missiles. The number of our army has, no doubt, increased during the last 20 years but there has been no change in their attitude. Mere Indianisation is not enough. The basic policies have to be changed.

There should be larger avenues of promotion for the soldiers to higher grade so that all men of a particular age group are recruited to the army.

So far as the question of our border with China is concerned the old traditions are followed. If you see the past history, it will be found that the border line is not Macmohan line but it is about 80-100 miles of Macmohan line. The question of watershed should not be determined on the basis of the flow of river but on the basis of the point from where the land slopes towards India or China. According to that criterion the natural water shed is Kailash, Mansarovar and Brahmputra from where Yangse river goes to China and Brahmputra and Sindhu rivers come to India.

So far as Pakistan is concerned, it is strange that on the one hand we talk of honcuring the Tashkent Agreement and on the other we talk of vigilance on borders. In this way we cannot promote our relations with Pakistan. A commission should be set up to find out the causes of the division of the country. Such a commission has already been set up by the London University.

It is very necessary that we take in view every aspect of the problems that we face. The Indo-Pak problem can only be solved either by war or by reuniting both the countries.

There should be no casteism in the army. No efforts have been made in this regard. In America much effort was made in this respect.

The U.S.A. and U.S.S.R. should see that China had given arms to Indonesia and those Chinese arms were utilised there for the massacre of Communists. It

should be frankly made clear to U.S.A. that they should not try to stop the development of our country. They only think in the way that once they enter into an agreement, they start supplying arms.

The national anthem 'Jana Gana Mana' inculcates a spirit of disintegration in the minds of our people and armymen as it enlogises the various units of our Union instead of enlogising the country as a whole. It should be replaced by 'Vande Mataram' in the army.

I.N.A. men have not yet been absorbed in the army. A radical change should be brought about in the army.

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर): हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत को विजयी बनाने का श्रेय स्वर्गीय प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और हमारे सभी सैनिकों को और आयुध कारखानों को है।

जहां तक ताशकंद घोषणा का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता कि तनाव कम हो गया है। हमें पाकिस्तान के युद्ध के इच्छुक नेताओं के हाल के भाषणों पर गौर करना है कि वे ताशकंद घोषणा का कितना आदर करते हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को दो स्क्वाड्रन मिग विमान दिये हैं। प्रतिरक्षा मंत्री यह बताएं क्या ये विमान वही हैं जो रूस ने इंडोनेशिया की सरकार को दिये थे और बाद में जो इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को दिये थे या ये विमान चीन में बनाये गये थे और सीधे पाकिस्तान को दिये गये। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति का रावलपिण्डी में जो भारी स्वागत किया गया उससे पता चलता है कि इनदोनों देशों में कितना गठबन्धन है और वे आगामी वर्षों में हमको क्या धमकी देना चाहते हैं।

हाल ही के युद्ध से यह सिद्ध हो गया है कि सभी प्रकार की सैनिक तैयारी का पता हथियारों से लगता है। सरकार यह बताये कि भारतीय सेना के हथियारों को चीन तथा पाकिस्तान के हथियारों के मुकाबले में बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। आगामी एक दो वर्ष में भारत को हथियारों में पाकिस्तान और चीन से आगे निकल जाना चाहिये।

सितम्बर 1965 हमारे लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। ताशकंद घोषणा से हमें झमीन पर से नहीं बैठ जाना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लगातार गलत प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान के युद्ध के इच्छक नेताओं को यह डर है कि यदि भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये तो पाकिस्तान के लिये एक पृथक देश के रूप में बने रहने का औचित्य नहीं रहेगा। इस लिए हमें पाकिस्तान के साथ सतर्क रहना है। यदि पाकिस्तान ने या चीन ने भविष्य में हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमें उनका मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

काश्मीर की समस्या को अच्छी तरह से समझना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काश्मीर हमारा है। पाकिस्तान समझता है कि काश्मीर उनका है। इस स्थिति में दोनों देशों में मैत्री-संबंध स्थापित होना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में यह अत्यावश्यक है कि भारत, जो एक शांति-प्रिय देश है, अपनी सेना का और अपनी आणविक शक्ति का इस हद तक विकास करे कि जरूरत पड़ने पर देश की अखण्डता की रक्षा कर सकें।

सेना का गुप्तचर विभाग हमारी समस्याओं की आवश्यकता के अनुसार काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी काफी लम्बी सीमा है। क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह समझते हैं कि सेना का गुप्तचर विभाग हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनपर ध्यान देने के लिये पर्याप्त है। प्रतिरक्षा मंत्रालय अपनी जानकारी गृह मंत्रालय के जरिए एकत्र करता है जहां इस प्रकार की जानकारी के लिए एक सैल है। इस गुप्त जानकारी के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय में ही एक सैल होना चाहिये।

भारत जैसे देश में, जिसको बड़ी सीमाओं की रक्षा करनी होती है और पाकिस्तान और चीन की संयुक्त धमकियों का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना पड़ता है, अणु बम अथवा आणविक

[श्री कर्णी सिंहजी]

अस्त्रों का विकास बहुत जरूरी है। चीन अणु बम का विस्फोट कर ही चुका है। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी अणु बम का विस्फोट करेगा। हमें अपनी डिलीवरी पद्धति का भी विकास करना होगा।

हर वह देश जिसे आत्मसम्मान प्यारा है, आत्म निर्भर होना चाहेगा। भारत को भी अगले कुछ वर्षों में शस्त्रास्त्र में आत्म निर्भर हो जाना चाहिये। हथियारों के लिये ब्रिटेन, अमरीका या रूस का मुंह ताकना उचित नहीं है। हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से पता चलता है कि ब्रिटेन और अमरीका ने किस प्रकार हमारा निरादर किया। हम हर सहायता करने वाले देश का स्वागत करते हैं लेकिन जब वे संकट के समय सहायता देना बन्द कर दें तो हमें क्रोध आना ही चाहिये। हमें आधुनिक हथियार बनाने चाहिये और आयुध कारखानों में इस बारे में अनुसन्धान की व्यवस्था होनी चाहिये।

कई वर्षों से हम यह सुनते आ रहे हैं कि भारत में मिग विमान बनाये जायेंगे लेकिन अभी राज्य मंत्री ने बताया कि इसमें समय लगेगा। जब तक ये मिग बन पायेंगे, ये पुराने पड़ चुके होंगे।

भारत के कुछ नगरों पर आसानी से बमबारी हो सकती है। इसके लिये समय पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि उन्हें पहले की भांति हानि न उठानी पड़े।

अमृतसर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी सीमा-संघर्ष में इन नगरों के व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझ सकें।

सीमान्त सड़कों के निर्माण के बारे में सरकार का बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। हाल के संघर्ष में पाकिस्तान इस बारे में हमसे बाजी मार ले गया है क्योंकि उसके संचार-साधन उत्तम हैं। मुझे आशा है कि इन सीमान्त सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायगी और उनके शीघ्र निर्माण के मार्ग में ठेकेदारों और राज्य सरकारों को रोड़ा नहीं अटकाने दिया जायगा।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुएं न होने के कारण सेनाओं के लिये पानी 20-30-40 मील दूर से लाना पड़ता है जिसमें 6-7 घंटे लग जाते हैं। सारे सीमान्त क्षेत्र में नलकूप खोदे जाएं ताकि सेनाओं को पीने का पानी प्राप्त हो सके। चीन और पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्रों में कम से कम 20 वर्षों तक भतपूर्व सैनिक बसाये जाएं ताकि यदि पुनः युद्ध छिड़े तो ये लोग उनको दबाये रखें।

मुझे आशा है कि भारत सरकार भूतपूर्व राज्यों के सैनिकों की पेंशन भारतीय सैनिकों के समान करेगी।

आज के युग में संसार के सभी देश शक्तिशाली होना चाहते हैं। चाहे हमारा शांति में कितना ही विश्वास क्यों न हो, आज केवल वही देश आदर पाता है जो शक्तिशाली है और आत्मनिर्भर है। हाल में यह भी देखा गया है कि ब्रिटेन और अमरीका और कई अन्य देश अपना रवैया बदल लेते हैं। यदि हमारी सेना शक्तिशाली होगी, यदि हमारी विदेश नीति दृढ होगी और यदि हमारा देश एक होकर रहेगा तो सभी देश हमारा सम्मान करेंगे। हमारी सेनाओं ने हाल के संघर्ष में देश की अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है।

इस युद्ध में इस देश के वासियों ने संसार को दिखा दिया है कि हम में एक होने की भी शक्ति है और मुझे आशा है कि हम देश कि भलाई के लिये एक ही रहेंगे। लेकिन हम अपने शत्रु देशों को यह बता देना चाहते हैं कि यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता की ओर फिर आंख उठाई तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे और इस बार भारत चुप नहीं रहेगा।

श्री रा० शि० दुब (बीजापुर-उत्तर) : मैं शास्त्री जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने शांति के लिए युद्ध किया और देश का नेतृत्व किया। जसा कहा जाता है कि सर विन्सटन चर्चिल 24 डिवीजन सेना के बराबर थे। यही बात शास्त्री जी के बारे में भी कही जा सकती है। प्रतिरक्षा मंत्री ने भी युद्ध में और सेना का नेतृत्व करने में बड़ा साहस और चातुर्य दिखाया। 'बाल्टीमोर सन' में समाचार छपा कि भारतीय सैनिकों की द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुर रूसी सैनिकों से तुलना की जा सकती है। उसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तानी सेना में इन्फैन्ट्री और टैंक दस्ते में कोई समन्वय नहीं था। जबकि भारतीय अफसर बड़ा बहादुर और कुशल था, पाकिस्तानी अफसर को टैंक के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। अमरीका में इस बारे में चिन्ता होने लगी कि जब भारत में बने हथगोले पैटन टैंक तोड़ सकते हैं तो फिर रूसी चुम्बकीय राकेटों का तो कहना ही क्या। हमारी भारतीय सेना इस प्रकार लड़ी। मुझे याद है कि किस प्रकार कप्तान कीलर ने पांच मिनट में विमान-युद्ध जीत लिया। हालांकि हमें चीनी खतरे को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये लेकिन इसे भूलना भी नहीं चाहिये।

ताशकंद घोषणा के बारे में पाकिस्तान ने चाहे जो भी गल्ती की हो, हमें इसको मानना चाहिये। देखना चाहिये कि क्या होता है। संसार को यह बात समझ लेनी चाहिये कि हम ताश्कंद घोषणा के प्रति वफादार हैं और इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं।

आयुध कारखानों में बड़ा अच्छा काम हुआ है। हमारी आवश्यकता का 75 प्रतिशत सामान इन कारखानों में बनता है। अणु-शक्ति प्रधान देशों को पता है कि युद्ध में मानवता को कितनी क्षति पहुंचती है। इसलिये भारत भी युद्ध नहीं चाहता है। इसी लिये हमने ताशकंद घोषणा को स्वीकार किया।

यह खुशी की बात है कि प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्था को अधिक धन दिया जा रहा है। सेना और वायु सेना में तालमेल रखने के लिए मैं जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह की प्रशंसा करता हूं। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में हमारी प्रतिरक्षा तैयारी और प्रतिरक्षा सेनाओं की परीक्षा हुई है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने संसार को दिखा दिया है कि यदि उन्हें उचित सुविधाएं और उपयुक्त शस्त्र दिये जाएं, तो वे इस देश पर बुरी नजर डालने वाले किसी भी पडोसी की युद्ध-व्यवस्था से बढ़कर हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें चीन का धन्यवाद करना चाहिये कि उसने हमें 1962 में सोते से जगा दिया। यदि ऐसा न हुआ होता तो हमारी सैनिक तैयारी न हो पाती और न जाने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में क्या बीतती। हमें पाकिस्तान का भी धन्यवाद करना चाहिये कि उसने भारत पर आक्रमण करके यह बता दिया कि उसकी शक्ति कितनी है। अब हमें पता है कि उसकी सैन्य शक्ति कितनी है।

अब हमें अपनी सैनिक स्थिति की पूर्ण रूप जांच करनी चाहिए और इसको सुदृढ़ करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 30 मार्च, 1966/9 चैत्र, 1888 (शक) के 11 बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 30 1966/Chaitra 9, 1888 (Saka).

भा.स.मु.ना.—से४—46 लोक सभा/66—1-8-67—600.

P.L.S. 48. L. 7-66(N)
600

© 1966 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1966 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.